लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

Preservation Unit
18-8-92
Fumigated
On 15-2-84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 13 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. XIII contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 29, शुक्रवार, 21 अप्रैल, 1972/1 वैशाख, 1894 (शक)
No. 29, Friday, April 21, 1972/Vaisakha 1, 1894 (Saka)

	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
	ता० प्रा० संख्या S. Q. Nos.		
	सभा का कार्य	Bussiness of the House	1—2
502.	भारी वर्षा से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिये हिमाचल प्रदेश को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Himachal Pradesh for Relief to People affected by Heavy Rains	3—4
503.	विद्युत की कमी के कारण सूनाबेडा स्थित एयरो इंजन संयंत्र के उत्पादन में कमी	Production cut in Aero Engine Plant at Sunabeda due to Power Shortage	4—6
504.	चार्टर्ड एकाऊंटेंटों द्वारा नए भर्ती किये जाने वाले लोगों को पारिश्रमिक देना	Payment of Stipend to Fresh Recruits by Charterd Accountants	6—7
507.	उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal for Oil Refinery in North-Western Region	7—8
508.	अगरतला में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की परियोजना के चालू होने में विलम्ब	Delay in Commissioning of ONGC's Project in Agartala	8—10

किसी नाम पर अंकित यह+ इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
509.	आय कर विभाग के मूल्यांकन सैल को निर्दिष्ट किए गए नए निर्माणों सम्बन्धी मामले	Cases of New Construction Refered to Valuation Cell of Income Tax Department	11—12
510.	नई दिल्ली में एक कृषि बैंक की स्थापना	Setting up of an Agricultural Bank in New Delhi	12
511.	औद्योगिक वित्त निगम तथा कृषि वित्त निगम द्वारा गुजरात राज्य की परियोजनाओं के लिये मंजूर किए गए ऋण	Loans Sanctioned by Industrial Finance Corporation and Agricultural Finance Corporation to Projects in Gujarat	12—14
512.	स्थल सेना में बंगाली रेजिमेंट बनाने का प्रस्ताव	Proposal for Bengali Regiment in the Army	14—16
513.	इंडियन एयरलाइन्स की परिचालन कुशलता	Operational Efficiency of Indian Airlines	16—21

प्रश्नों के लिखित उत्तर | WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	Pages
501.	इंडियन एयरलाइन्स को बोइंग 737 विमान के लिये कोचीन हवाई अड्डे का प्रयोग लोड पैनल्टी के साथ करने की हिदायतें	Instructions to Indian Airlines to Operate Boeing 737 at Cochin Airport with Load Penalty	21
505.	पी. एल. 480 निधि का उपयोग	Utilisation of PL 480 Funds	21—22
506.	प्रतिरक्षा कालेज में अमरीकी एजेंटों की मौजूदगी का आरोप	Allegation Re : Presence of US Agents in Defence College	23
514.	अमरीकी सैनिक ऋण सुविधाओं के बन्द होने के परिणामस्वरूप प्रभावित परियोजनाओं का पुनर्विन्यास	Re-orientation of Projects affected by Suspension of US Military Credit Facilities	23

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
515. उद्योगों के विभिन्न क्षेत्रों द्वारा प्रयुक्त आवश्यक प्लास्टिक के कच्चे माल की कमी	Shortage of Essential Plastic Raw Material used by various Sectors of Industries	23—24
516. बोकारो इस्पात संयंत्र परियोजना के विस्तार में गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड का योगदान	Role of Garden Reach workshop Ltd. in Expansion of Bokaro Steel plant project	24—25
517. विजयन्त टैंक की कार्य कुशलता	Performance of Vijayanta Tank	25
518. पांचवी पंचवर्षीय योजना में पर्यटकों को आकर्षित करने की योजनायें	Scheme to attract Tourists during Fifth Five Year Plan	25—26
519. बड़ौदा के निकट नेफ्था क्रैकर कारखाने	Naptha Cracker Project near Baroda	26
520. कृत्रिम रबड़ बनाने के कारखाने स्थापित करने की योजना	Scheme to Set up Factories for Manufaturing Synthetic Rubber	26

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3442. दिल्ली में कैमिस्टों द्वारा आक्सीजन गैस का सप्लाई न किया जाना	Non Supply of Oxygen Gas by Chemists at Delhi	26—27
3443. पालामऊ, बिहार में स्टेट बैंक आफ इन्डिया की गड़वा शाखा द्वारा किये गये ऋण	Loans given by Garhwa Branch of State Bank of India in Palamau, Bihar	27
3444. भारत में विदेशी बैंकों का कार्य	Functioning of Foreign Banks of India	27—28
3445. विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा पूंजी निवेश	Capital Investment by Foreign Oil Companies	28

अता० प्र० संख्या विषय U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ Pages
3446. विदेशी कम्पनियों द्वारा निवेश	Investment by Foreign Companies	29
3447. स्टेट बैंक ग्राफ इन्डिया नई दिल्ली में नये पद का सृजन	Creation of Special Post in State Bank of India, New Delhi	29
3448. तस्करी के मामले	Cases of smuggling	29—30
3449. मध्य प्रदेश में ग्रायकर कार्यालयों के लिये भवन	Accommodation for Income Tax Offices in Madhya Pradesh	30
3450 वर्ष 1967-68 के ग्रकाल के दौरान मध्य प्रदेश में ग्रारम्भ की गई परियोजनाग्रों के लिये ग्रांवटित धन राशि	Allocation of Funds for Projects in Madhya Pradesh undertaken during Famine Year 1967-68	30
3451. मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिये कार्यवाही	Steps to develop Onkareshwar (Madhya Pradesh) as a Tourist Centre	30—31
3452. मध्य प्रदेश के राष्ट्रीयकृत बैंकों में ग्रनुसूचित जातियों तथा ग्रनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारी	Scheduled Castes and Scheduled Tribes Employees in Nationalised Banks of Madhya Pradesh	31
3453. मध्य प्रदेश में तस्कर व्यापारियों की गिरफ्तारियां	Arrest of Smugglers in Madhya Pradesh	31
3454. शिमला में हवाई ग्रड्डे	Airport at Simla	31
3455. जीवन बीमा निगम की मकान ऋण योजनाएं	House Loan Scheme of LIC	31—32
3456. सशस्त्र सेना के वरिष्ठ ग्रधिकारियों की पदोन्नति के सम्बन्ध में नीति	Policy for Promotion of Senior Officers in Armed Forces	32
3457. हाथ से बने धातु के धागों का पकड़ा जाना	Seizure of Man made Metallic Yarn	32—33

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3458. भारत और पाकिस्तान के बीच वायु युद्ध	Air War between India and Pakistan	33
3459. त्रिवेन्द्रम शहर का दर्जा बढ़ाना	Upgrading of Trivandrum City	33
3460. कोचीन नगर का दर्जा बढ़ाना	Upgrading of Cochin City	34
3461. पौलिथीन के निर्माण हेतु लाइसेंसों का जारी करना	Issue of Licences for Manufacture of Polyethylene	34
3462. सरकारी उद्यम ब्यूरो द्वारा लघु सहायक उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये मार्ग-दर्शन किया जाना	Guidelines to encourage Small Scale Ancillary Industries by Bureau of Public Enterprises	34—35
3463. समाचार पत्रों से हुए लाभों को उद्योग धन्धों में लगाने का आरोप	Alleged Diversion of Profits out of Newspapers to Industrial Ventures	35
3464. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बिहार के गया जिले के किसानों को दिया गया ऋण	Loans Advanced to Farmers of Gaya Bihar by Nationalised Banks	35
3465. 7-8 मार्च, 1972 को सरकारी दौरे पर कलकत्ता गये भारतीय उर्वरक निगम के अधिकारी/कर्मचारी	Officers/Employees of the Fertiliser Corporation of India on Official Tour at Calcutta on March 7-8,1972	36
3466. भारतीय उर्वरक निगम की बिगड़ती हुई स्थिति के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच	CBI Enquiry into the Deteriorating Affairs of Fertilizer Corporation of India	36
3467. भारतीय उर्वरक निगम के कार्यकरण की जांच के लिये उच्च शक्ति प्राप्त आयोग	High Powered Commission to Examine the working of Fertilizer Corporation of India	36—37
3468. जम्मू और कश्मीर में शरणार्थी कर का न लगाया जाना	Non Levy of Refugee Relief Tax in Jammu and Kashmir	37
3469. सरकारी उपक्रमों में तकनीकी कर्मचारियों का सेवा छोड़कर चले जाना	Flight of Technical Personnel in Public Undertakings	37—38

तारांकित प्रश्न संख्या U.S.Q.Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3470. इण्डियन ड्रग्ज एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड में उत्पादन	Production in Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd.	38
3471. केमिकल्स एण्ड फायबर्स आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा खोजा गया नई किस्म का धागा	New Kind of fibre discovered by the Chemicals and fibres of India Ltd.	39
3472. सरकारी क्षेत्र निगमों के वर्तमान प्रबन्धक ढांचे का पुनर्गठन	Reorganisation of existing managerial structure in Public Sector	39
3473. नाइलोन टैक्सटाइल फिलामेंट यार्न एककों का उत्पादन बढ़ाने के लिये जारी किये गये आशयपत्र	Letters of intent issued for increasing production of Nylon Textile Filament Yarn Units	39—40
3474. सरकारी तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा गुजरात में परियोजनाओं को दिये गये ऋण	Loans given to Projects in Gujarat by Government and Financial Institutions	41
3475. जयपुर नगर का पुनर्वर्गीकरण	Reclassification of Jaipur City	41
3476. केन्द्र राज्य वित्तीय सम्बन्ध पर अध्ययन दल	Study Team on Centre State Finances	41
3477. भारतीय उर्वरक निगम के जोधपुर एकक को हुई हानि	Loss suffered by Jodhpur Unit of Fertiliger Corporation of India	42
3478. भारत पाकिस्तान संयुक्त सीमा पड़ताल चौरी का स्थान बदलना	Shifting of Indo Pak Joint Border Check Post	42
3479. गुजरात पैट्रो-रसायन उद्योग समूह की एरोमेटिक्स परियोजना द्वारा कार्य आरम्भ करने में विलम्ब	Delay in functioning of Aromatics Project of the Cujarat Petro-Chemical Complex	42—43
3480. हिमाचल प्रदेश में पर्यटक केन्द्रों का विकास	Development of Tourist Centres in Himachal Pradesh	43
3481. रूस से मिट्टी के तेल का आयात	Import of Kerosene Oil from USSR	43—44

अता० प्र० संख्या	विषय	पृष्ठ
U.S.Q.Nos.	Subject	Pages
3482. संसद सदस्यों को देश के भीतर हवाई यात्रा करके भुगतान से छूट देना	Grant of Exemption to M. Ps. from payment of Inland Air Travel Tax	44
3483. देश में औषधियों के उत्पादन में वृद्धि के लिये कार्यवाही	Steps to increase production of Drugs in the country	44
3484. पर्यटन उद्योग के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार देने का निर्णय	Decision to institute National Awards for Tourist industry	44
3485. मैसूर को विशेष अनुदान	Special Grant to Mysore	45
3486. देश में नये पर्यटक केन्द्रों की स्थापना	Setting up of New Tourist Centres in the country	45—46
3487. राज्यों द्वारा जमा राशि से अधिक राशि निकालना	Overdrafts by States	46—47
3488. राष्ट्रीयकृत बैंकों की शेयर धारी कम्पनियां	Companies in which shares are held by Nationalised Banks	47
3489. मध्य प्रदेश में आयकर की बकाया राशि	Arrears of Income Tax in Madhya Pradesh	47—48
3491. टाटा उद्योग समूह पर आय कर की बकाया राशि	Arrears of Income Tax against Tata Group of Industries	48
3492. स्टेट बैंक आफ इण्डिया, रायपुर से निकाले गये 13 लाख रुपये	Withdrawal of Rs. 13 lakh from SBI Raipur	48
3493. अनुसंधान और विकास संबंधी पंचवर्षीय योजनाएं और प्रक्षेपणास्त्र तथा वैमानिकी अनुसंधान	Expenditure on research on Missiles and Aeronautics	49
3494. गार्डनरीच वर्कशाप लिमिटेड के विकास की योजना	Expension Plan of Garden Reach Workshops Ltd.	49

अता० प्र० संख्या U.S.Q.Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3495. योजना और समन्वय निदेशालय द्वारा आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात संवर्द्धन कार्य	Import Substitution and Export Promotional Activities by Directorate of Planning and Co-ordination	50
3496. विभिन्न प्रयोगशालाओं एवं विश्वविद्यालयों को सौंपे गए परियोजना अध्ययनों का कार्यान्वयन	Implementation of Project Studies Assigned to various Laboratories and Universities	50—51
3497. इंस्टीट्यूट आफ डिफेंस मैनेजमेंट द्वारा सैनिकों को प्रशिक्षण	Training to Armed Personnel by the Institute of Defence Management	51
3498. आयकर विभाग, दिल्ली के कर्मचारी	Employees working in Income Tax Department, Delhi	51—53
3499. आयकर विभाग में इन्स्पेक्टरों की नियुक्ति के लिये परीक्षा	Examination for recruitment of Inspectors in Income Tax Department	53
3500. गुजरात में पर्यटकों को आकर्षित करने वाले स्थान	Places of Tourist Attraction in Gujarat	54
3501. 28 मार्च, 72 को इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ान संख्या 402 में विलम्ब होना	Delay in Flight No. 402 of Indian Airlines on 28-3-72	55
3503. राजस्थान को विशेष अनुदान	Special Grant to Rajasthan	55
3504. भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड द्वारा क्रालर और पहिए वाले ट्रैक्टरों का निर्माण	Production of Crawler and Wheeled Tractors by Bharat Earth movers Ltd.	55
3505. भारत डाइनैमिक्स लिमिटेड का उत्पादन तथा उसकी खपत	Production and Consumption Pattern of Bharat Dynamics Ltd.	56
3506. नेवल डिजाइन डाइरेक्टरेट द्वारा बनाए गए जहाजों के डिजाइन	Designs of Ships and Crafts by Directorate of Naval Design	56

अता० प्र० संख्या U.S.Q.Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3507. दिल्ली में व्यक्तियों और फर्मों के नाम आयकर की बकाया राशि	Arrears of Income Tax against individuals and Firms in Delhi	57
3508. केन्द्रीय करों की वसूली	Collection of Central Taxes	57
3509. अशोधित पैट्रोलियम तथा उससे तैयार माल में आत्म निर्भरता	Self sufficiency in Petroleum Crude and Finished Products	57—58
3510. पश्चिमी बंगाल में जायन्ट स्टाक कम्पनियां	Joint Stock Companies in West Bengal	58—59
3511. राज्यों में बैंक ऋण की प्रति व्यक्ति उपलब्धता	Per Capita Availability of Bank Credit in States	59
3512. ग्रामीण बैंक सेवा योजना	Scheme for Rural Banking System	59
3513. अमरीका, ब्रिटेन और नैटो ब्लाक के देशों से शस्त्रास्त्रों की सप्लाई	Defence Supplies from USA, UK and NATO COUNTRIES	59—60
3514. विदेशी भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों का अनुमान लगाना	Assessment of foreign Language knowing Personnel	60
3515. राज्यों द्वारा ऋणों का चुकाया जाना	Repayment of Loans by States	60
3516. भारत की बिजली परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक से ऋण	Loan from World Bank for Power Projects in India	61
3517. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता	Financial Assistance under United Nations Development Programme	61
3518. भारतीय पैट्रो-रसायन निगम द्वारा बड़ौदा परियोजनाओं का कार्यान्वयन	Implementation of Projects in Boards by Indian Petro chemical Corporation	62
3519. कच्छ में रसायन संयंत्र का बन्द होना	Closure of Chemical Plant in Kutch	62—63

अता० प्र० संख्या	विषय	पृष्ठ
U.S.Q.Nos.	Subject	Pages
3521. चित्तूर जिला (आन्ध्र प्रदेश) में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं	Branches of Nationalised Banks in Chittor District (Andhra Pradesh)	63—64
3522. तिरुपति (आन्ध्र प्रदेश) में असैनिक हवाई अड्डे के निर्माण कार्य में हुई प्रगति	Progress made in the construction of Civil Airport at Tirupathi (Andhra Pradesh)	64—65
3523. गुजरात में रहस्यपूर्ण गैस	Mysterious Gas in Gujarat	65
3524. गया (बिहार) को पर्यटकों के लिये आकर्षक बनाने के लिये उसके विकास की योजना	Scheme to Develop Gaya (Bihar) for Attracting Tourists	65
3525. गृह निर्माण पर विकास छूट	Development Rebates on House Construction	66
3526. 1971-72 में भारत आए विदेशी पर्यटक	Foreign Tourist who visited India during 1971-72	66
3527. भारतीय पर्यटन विकास निगम का कार्यकरण	Functioning of India Tourism Development Corporation	66—67
3528. इंग्लैंड से भारत आने वाले यात्रियों के लिये किराये में वृद्धि	Increase in Fares for Passengers Travelling from England to India	67
3529. भारत और बंगला देश के बीच हवाई सेवाएं	Air Services between India and Bangla Desh	67
3530. पिथौरागढ़ में छावनी और हवाई अड्डे के लिये भूमि अर्जित किये जाने के कारण भूमिहीन हुए किसानों का पुनर्वास	Rehabilitation of Farmers Rendered Landless due to Acquirement of Land for Cantonment and Airport at Pithoragarh	68
3531. किसानों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से सीधे ऋण देने की योजना	Scheme for direct Credit to Farmers from Nationalised Banks	68
3532. राष्ट्रीयकरण के पश्चात् सामान्य बीमे की आय में वृद्धि	Increase in Income of General Insurance after Nationalisation	68—69

अता० प्र० संख्या U.S.Q.Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3533. केमिकल्स एण्ड फाइबर्स आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा पोलिस्टर का उत्पादन	Polyster produced by the Chemicals and Fibres of India Ltd.	69
3534. मध्य प्रदेश के मन्दसौर और रतलाम जिलों के अफीम उत्पादक	Opium Growers in Mandsaur and Ratlam Districts of Madhya Pradesh	69
3535. वित्तीय संस्थाओं द्वारा विकास कार्यों के लिये गुजरात को ऋण देने की स्वीकृति	Loans Sanctioned by Financial Institutions to Gujarat for Development Purposes	70—71
3536. गार्डन रीच वर्कशाप, रांची में समुद्री जहाजों के डीजल इन्जनों का निर्माण	Production of Marine Diesel Engines by Garden Reach Workshop, Ranchi	71
3537. नौ-सैनिक केन्द्रों में क्वार्टर बनाने की योजनाए	Plans to build Accommodation at Naval Stations	72
3538. मद्रास तेल शोधनशाला और ल्यूब इण्डिया लिमिटेड बम्बई से संलग्न पेराफिन मोम संयंत्रों की स्थापना	Setting up of Paraffin Wax Plants Attached to Madras Oil Refiner and Lube India Ltd, Bombay	72—73
3539. निर्यात और आयात घोटालों का पता लगाने के लिये मद्रास में छापे	Raids in Madras to Unearth Export and Import Racket	73
3540. तमिलनाडु में पर्यटक सम्वर्धन योजनाओं की क्रियान्विति के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Implementing Tourist Promotion Scheme in Tamil Nadu	73—74
3541. जवानों को आवासीय और शैक्षिक सुविधाएं	Housing and Educational Facilities to Jawans	74—75
3542. मुर्शिदाबाद, दार्जिलिंग, माल्दा और सुन्दरवन का पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकास	Development of Murshidabad, Darjeeling Malda and Sunderban as Tourist Centres	75

अता० प्र० संख्या	विषय	पृष्ठ
U.S.Q.Nos.	Subject	Pages
3542. जापान से ऋण के लिये समझौता	Agreement for Credit from Japan	75—76
3544. सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिये मानडण्ड	Criteria for Recruitment to Armed Forces	76
3545. राज्यों द्वारा जमा की गई राशि से अधिक निकालना	Overdraft by States	76
3546. क्षेत्रों, प्रदेशों एवं राज्यों के नाम वाली सैनिक यूनिटें	Military Units denoting Geographical, Regional and State Identities	77
3547. राष्ट्रीयकृत बैंकों में कर्मचारियों की अधिकता	Overstaffing in Nationalised Banks	77
3548. गुजरात में पैट्रो-रसायन परियोजनाएं स्थापित करने का निर्णय	Decision on Setting up of Petro-Chemical Projects in Gujrat	78
3549. महेश्वर में नर्मदा घाट पर तथा मान्डू (मध्य प्रदेश) में होटल/मोटल खोलने का प्रस्ताव	Proposal to Open Hotel/Motel at Narmada Ghat in Maheswar at Mandu (Madhya Pradesh)	78
3550. विदेशों में विदेशी मुद्रा का अवैध व्यापार करने वाले गिरोह	Foreign Exchange Rackets Abroad	78—79
3551. राज्यों के लिये धन का आवंटन	Allocation to States	79—80
3552. देश के भीतर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये कार्यवाही	Steps to encourage Home Tourism	80—81
3554. भारत में काले धन सम्बन्धी आयोग	Commission on Black Money in India	81
3555. आत्म-निर्भता के लिये साधन जुटाना	Mobilisation of Resources for Selfreliance	81—82

अता० प्र० संख्या	विषय	पृष्ठ
U.S.Q.Nos.	Subject	Pages
3556. एकाधिकार आयोग द्वारा वापिस भेजे गये आवेदन पत्र	Applications returned by Monopolies Commission	82
3557. दिल्ली में वाणिज्यिक बैंकों की शाखायें खोलना	Opening of New Branches of Commercial Banks in Delhi	82—83
3558. इण्डियन एयरलाइन्स के पास अप्रयुक्त पड़े विमान	Planes lying idle with Indian Airlines	83
3559. चौथी पंचवर्षीय योजना में तेल शोधन के लक्ष्य	Oil Refining Targets in Fourth Five Year Plan	83—84
3560. बीजक बनाने में गड़बड़ी करके तथा तस्करी आदि के कारण विदेशी मुद्रा की हानि	Loss of Foreign Exchange due to invoice Manipulation and Smuggling etc.	84—85
3561. हैदराबाद में केन्द्रीय उड्डयन प्रशिक्षण (फलाइंग ट्रेनिंग) स्कूल की स्थापना के बारे में प्रस्ताव	Proposal to set up a Central Flying Training School at Hyderabad	85
3562. आकर्षक मूल्यों पर कच्चे तेल का आयात	Import of Crude at Attractive Prices	85—86
3563. वर्ष 1974 में कच्चे तेल और पैट्रोलियम के उत्पादों के आयात की आवश्यकता	Import requirement of Crude and Petroleum Products in 1974	86
3564. आवास निर्माण कार्यों में जीवन बीमा निगम का योगदान	LIC's Contribution to Housing Construction Activities	86—87
3565. एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम का पुनर्विलोकन	Review of Monopolies and Restrictive Trade Practices Act	87
3566. औद्योगिक गृहों द्वारा कम्पनी अधिनियम का उल्लंघन	Violation of Companies Act by Industrial Houses	87

अता० प्र० संख्या U.S.Q.Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3568. चौथी योजना की अवधि में लगाई जाने वाली प्राइवेट विदेशी पूंजी	Flow of Private Foreign Investment during Fourth Plan	88
3570. लघु बचतों में से राज्यों को आवंटन	Allocation to States out of Small Savings	88—89
3571. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा लिया जाने वाला विशेष वेतन	Special Pay drawn by Central Government Employees	89
3572. राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों को दिया गया समयोपरि भत्ता	Overtime paid to Employees of Nationalised Banks	89
3574. छोटे सिक्कों का जब्त किया जाना	Seizure of Small Coins	90
3575. उड़ीसा के लिये पृथक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कलक्टरी	Central Excise Co lectorate for Orissa	90
3576. भारतीय पर्यटन विकास निगम के माध्यम से देश में होटलों के निर्माण की योजना	Plans to construct Hotels in the country through India Tourism Development Corporation	90
3577. कम्पनियों द्वारा कलकत्ते में साधारण बैठक करने में कठिनाइयां	Difficulties in holding Annual General Meetings by Companies in Calcutta	91—92
3578. डकोटा विमान की सेवाओं के स्थान पर एवरो विमान की सेवाओं को लेने के लिये कार्यवाही	Steps to Replace Dakota Services by Avros	92
3579. सीरा नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1972	Molasses Control (Amendment) Order, 1972	92—93
3580. ऐलकोहल तथा पेय शराब बनाने वाली मद्यशालाओं को सप्लाई किया गया सीरा	Molasses supplied to Al-cohol and Potable Liquor Distilleries	93—94

अता० प्र० संख्या U.S.Q.Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3581.	राज्य सरकारों द्वारा सीरा खुले बाजार में बेचने की अनुमति देना Free Sale of Molasses allowed by State Governments	94
3582.	और अधिक बोइंग विमान न खरीदने के बारे में एयर इण्डिया को निदेश Direction to Air India to Stop Further purchase Boeing Planes	94
3583.	बलिया (उत्तर प्रदेश) में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं Branches of Nationalised Banks in Balia (U. P.)	94--95
3584.	बलिया (उत्तर प्रदेश) में बैंकों द्वारा ऋण देना Advancing of loans by Banks in Ballia (U.P.)	95
3585.	हिण्डन हवाई अड्डे (गाजियाबाद) के सिविल कर्मचारियों को अर्ध स्थायी बनाना Grant of Quasi permanancy to Civil Employees at Hindon Airport (Ghaziabad)	95—96
3586.	नकद धन देने का काम करने वाले कर्मचारियों को विशेष वेतन देना Grant of Special Pay to persons Engaged in Disbursement of Cash Money	96
3587.	देश में स्थापित की गई मौसम वेद्यशालायें Metearlogical observatories set up in the Country	96—97
3588.	अपना मकान बनाओ योजना के अन्तर्गत जीवन बीमा निगम द्वारा दिया गया ऋण Loan given by life Insurance Corporation to Build Your Own House Scheme	97
3589.	जीवन बीमा निगम द्वारा कृषि की प्रगति के लिये छोटे किसानों को ऋण दिया जाना Advancing of Loans by L. I. C. to Small Farmers for development of Agriculture	97
3590.	मुख्य मंत्रियों द्वारा आयकर का भुगतान Payment of Income Tax by Chief Ministers	97—98
3591.	200 रुपये से अधिक पेंशन पाने वाले व्यक्तियों की पेंशन में वृद्धि Increase in pension for persons drawing pension above Rs. 200	98

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3592. अधिकारियों तथा अन्य रैंक की परिवार पेंशन में समानता	Uniformity in Family Pension to Officers and other ranks	99—100
3593. मोदी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्ज लिमिटेड पर आयकर की बकाया राशि	Arrears of Income Tax against Modi Spinning and Weaving Mills Ltd.	100
3594. "साधु समाज" पर आयकर लगाना	Levy of Income Tax from Sadhu Samaj	100
3595. केरल में बैंक के कर्मचारियों द्वारा सांकेतिक हड़ताल	Token Strike by Bank employees in Kerala	100—101
3596. गया जिले (बिहार) में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना	Opening of Branches of Natationalised Banks in District Gaya (Bihar)	101
3597. विश्व बैंक द्वारा दिये गये ऋण पर ब्याज	Interest on Loan advanced by World Bank	101—102
3599. इण्डियन लीफ टोबैको डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड और इण्डियन टोबेको कम्पनी लिमिटेड	Indian Leaf Tobacoo Development Co. Ltd. and Indian Tobacoo Co. Ltd.	102—103
3600. 1971-72 में वाणिज्यिक बैंकों के लाभ में वृद्धि	Increase in the profit of Commercial Banks during 1971-72	103
3601. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा क्विलोन जिला, केरल में कृषकों को दिया गया ऋण	Loan given by nationalised Banks to Farmers of Quilon District, Kerala	103—104
3602. केरल को ऋण	Loans to Kerala	104—105
3603. पर्यटन का विकास करने हेतु केरल राज्य को अतिरिक्त धन का नियतन करने संबधी प्रस्ताव	Proposal to earmark aditional funds to Kerala for Development of Tourism	105—106

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	106—111
दक्षिण वियतनाम में भारतीय राष्ट्रजनों तथा अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग में भारतीय शिष्ट मंडल के विरूद्ध कार्यवाही करने की मांग किये जाने का समाचार	Reported action sought against Indian delegation to the ICC and Indian nationals in South Vietnam	107—111
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Inderjit Gupta	107—108
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	108—111
विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege	111
टाइम्स आफ इण्डिया में लोकसभा के कार्यवाही वृत्तान्त को गलत छापना	Misreporting of Lok Sabha Proceedings in the Times of India	111
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	112
सदस्य द्वारा पद-त्याग	Resignation of Member	113
(श्री घनश्याम ओझा)	(Shri Ghanshyam Oza)	113
लोक लेखा समिति	Public Accountants Committee	113
41वां प्रतिवेदन	Forty-first Report	113
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	Committee on Public Undertakings	113
16वां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश	Sixteenth Report and Minutes	113
अनुदानों की मांगें, 1972-73	Demands for Grants, 1972-73	113
गृह मंत्रालय	Ministry of Home Affairs	114—126
श्री हरि सिंह	Shri Hari Singh	
श्री एम० सत्यनारायण राव	Shri M. Satyanarayana Rao	114—115
श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा	Shri Inder J. Malhotra	115—116
श्रीमती गायत्री देवी	Shrimati Gayatri Devi	116—117
श्रीमती मुकुल बनर्जी	Shrimati Mukul Banerjee	117—118
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	118—119
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	119—120
श्री के० बासप्पा	Shri K. Basappa	120—121
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad	121
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	121—122
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	122—126

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions	127—128
12वां प्रतिवेदन	Twelfth Report	128
साम्प्रदायिक अर्ध-सैनिक संगठनों के बारे में संकल्प	Resolution re : Communnal Para-Military Organisations	128—134
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	128—129
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे	Shri N. K. Salve	129
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	Shri Krishna Chandra Halder	129
श्री सतपाल कपूर	Shri Satpal Kapur	129
श्री वसन्तराव पुरुषोत्तम साठे	Shri Vasantrao Purshottam Sathe	130
श्री जे० एम० गौडर	Shri J. M. Gowder	130
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha	131
श्री एफ० एच० मोहसिन	Shri F. H. Mohsin	131—133
श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा	Shri Inder J. Malhotra	133—134
पांचवी पंचवर्षीय योजनावधि में दो और इस्पात कारखाने स्थापित करने के बारे में संकल्प	Resolution re : Establishment of two more Steel Plants during Fifth Five Year Plan	134—136
श्री बनमाली पटनायक	Shri Banamali Patnaik	134—135
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi	136
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	136
10वां प्रतिवेदन	Tenth Report	136

———

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 21 अप्रैल, 1972/1 वैसाख, 1894 (शक)
Friday, April 21, 1972/Vaisakha 1, 1894 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : प्रश्नों के आरम्भ किये जाने से पूर्व मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : प्रश्नोत्तर काल में अब इसके पश्चात हमें भी ऐसे ही अधिकार होंगे ।

श्री राजबहादुर : मैं सदन की सूचना के लिये, सदन की सुविधा के लिये अध्यक्षपीठ की अनुमति से कुछ निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यदि ऐसा होता है तो हमें भी ऐसा ही अधिकार होगा ।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय ने मुझ से बातचीत की है । वह सदन के कार्यक्रम के विषय में कुछ कहना चाहते हैं । यह सप्ताह का अन्तिम दिन है । मैंने सोचा कि यह सूचना सदस्यों को दे दी जानी चाहिये क्योंकि प्रश्नोत्तर काल के पश्चात कुछ सदस्य सदन से चले जाते हैं । इसमें कोई नई बात नहीं है, कोई नई प्रक्रिया नहीं है, विचार के लिए कोई नया प्रस्ताव नहीं है । यह एक सूचना है जिससे सदन को अवगत कराया जाना आवश्यक है क्योंकि प्रश्नकाल के पश्चात कुछ सदस्य चले जाते हैं । केवल इतनी ही बात है ।

श्री राजबहादुर : क्योंकि प्रधानमन्त्री अत्यधिक व्यस्त हैं अतः वह गृह मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में वाद-विवाद का उत्तर सोमवार को ठीक प्रश्नकाल के पश्चात देंगी इसलिये मैं सदन से आज के मध्याह्न भोजन अवकाश को समाप्त करने का अनुरोध करता हूं तथा इसके लिए आपकी अनुमति चाहता हूँ जिससे चर्चा आज समाप्त हो जाये और सोम को ठीक प्रश्नकाल के पश्चात प्रधान मन्त्री उसका उत्तर दे सकें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सदन का कार्यक्रम प्रधान मन्त्री की सुविधा के अनुसार नहीं बनाया जा सकता। यह एक उपहासास्पद प्रस्ताव है। यह लोकतांत्रिक संस्था है। क्या यहां भी फासिस्टवाद ने अधिकार जमा लिया है। हम ऐसा नहीं होने देंगे।

श्री जगन्नाथ राव : यह चर्चा सोमवार तक चलेगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ठीक है, वह उनकी नेता हैं परन्तु हमारे भी अपने अधिकार हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई असाधारण बात नहीं है। उस दिन खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद का समय बढ़ाने के लिये की गई मांगों के अनुसार व्यवस्था करनी पड़ी थी। उसके लिए तीन घन्टे का और समय बढ़ाया गया था। हम निश्चित कार्यक्रम से बहुत पीछे चल रहे हैं। प्रधान मन्त्री के पहले से ही निश्चित कुछ कार्यक्रम हैं। मैंने उन्हें यह सूचना भेज दी है कि सोमवार को ठीक प्रश्नकाल के पश्चात वह वाद-विवाद का उत्तर दे सकती हैं। मैं बता चुका हूं कि हम निश्चित कार्यक्रम से बहुत पीछे चल रहे हैं। इस कारण आज मध्याह्न भोजन अवकाश नहीं होगा यह केवल एक व्यवस्था ही है।

श्री एस०एम० बनर्जी : आज तो मध्याह्न भोजन के बिना रहेंगे और सोमवार को मध्याह्न भोजन मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय : अतः आज मध्याह्न भोजन अवकाश नहीं होगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : एक व्यक्ति की सुविधा के कारण।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, क्योंकि पहली मांगों पर चर्चा के लिये अधिक समय दिया गया है अतः आपकी सुविधा के लिये ऐसा किया जा रहा है।

श्री वसंतराव पुरुषोत्तम साठे (अकोला) : यह आश्चर्यचकित करने वाली बात है तथा तुच्छ है कि माननीय सदस्य ने अनुरोध को फासिस्टवाद का रूप दिया है।

श्री राजबहादुर : यह व्यवस्था प्रधानमन्त्री के कार्यक्रमों को देखते हुए की गई है। प्रधानमन्त्री देश की तथा सदन की नेता हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हमारी नेता नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे छोटे छोटे मामलों पर आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिये।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS OF QUESTIONS

भारी वर्षा से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए हिमाचल प्रदेश को वित्तीय सहायता

*502 श्री वीरभद्र सिंह :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश सरकार से कोई ज्ञापनावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें 1971 में राज्य में हुई भारी वर्षा से बुरी तरह प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए वित्तीय सहायता देने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुरोध पर, नवम्बर 1971 में, एक केन्द्रीय दल ने जून, जुलाई से सितम्बर तक के महीनों के दौरान हुई भारी वर्षा से उत्पन्न स्थिति का मौके पर जाकर मूल्यांकन करने और राहत, पुनर्वास तथा मरम्मत सम्बन्धी उपायों के लिये स्थान पर जाकर आवश्यक धनराशि निर्धारित करने के लिये, राज्य का दौरा किया था । दल की सिफारिशों के आधार पर, केन्द्रीय सहायता के प्रयोजनार्थ 396.50 लाख रुपये के व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई थी और इसकी सूचना राज्य सरकार को दे दी गई थी ।

Shri Virbhadra Singh : Mr Speaker, Sir, last year heavy raint have caused great damages to the growing crops, fields and houses in Himachal Pradesh and the amuont ot assitance, is Rs. 3 crores 96 lakhs, decided to be given to Himachal Pradesh Government is very much inadequate to meet their requimente. May I know whether the hon. Minster would propose to increase the amount of financial assistance and whether Himachal Pradesh Government have demanded an increase.

श्री के० आर० गणेश : अध्ययन दल की मौके पर जाकर जांच के पश्चात ही 396.50 लाख रुपये की सहायता राशि निश्चित की गई थी तथा यह निश्चय राज्य सरकार से परामर्श करके तथा उनकी सहमति के पश्चात ही किया गया था ।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग के उत्तर का सम्बन्ध है सरकार 1971-72 के वास्तविक व्यय के ब्यौरे की प्रतीक्षा कर रही है । राज्य सरकार ने 21 मार्च, 1972 को एकमुश्त ऋण सहायता मांगी है । वास्तविक व्यय का ब्यौरा प्राप्त हो जाने के पश्चात इस समस्या के बारे में राज्य सरकार से बातचीत की जायेगी ।

श्री वीरभद्र सिंह : स्वीकृत राशि में हिमाचल प्रदेश सरकार को अभी तक कितनी राशि का भुगतान कर दिया गया है ।

श्री के० आर० गणेश : जो व्यय राज्य सरकार पहले ही कर चुकी है उसमें से राहत मदों के अन्तर्गत राज्य-सरकार द्वारा बतायी गयी 25 लाख रुपये की राशि में से केन्द्रीय सहायता का 13 लाख रुपया बनता था। इस 13 लाख रुपये की राशि में से 1 लाख रुपया काटकर क्योंकि राज्य-सरकार के बजट में इस राशी की पहले से ही व्यवस्था कर दी है राज्य-सरकार का 12 लाख रुपया बनता है और केन्द्रीय सहायता के लिये निर्धारित मापदण्ड के अनुसार व लाख रुपया अर्थात् 6 लाख रुपया अनुदान के रूप में और 3 लाख रुपया ऋण के रूप में बनता है जिसका भुगतान कर दिया गया है।

Shri Pratap singh : The Government had sanctioned the amount of financial assistance after studying the assessment made by Study Team sent to Himachal Pradesh this Government to to make by an on-the-spot enquiry. Will the hon. Minister be pleased to state whether the Study Team has also studied about the losses seffered by the Contrators and swing owrners during the Goods in Yamuna and Girind rivers, if so, whether this study team has recommended compensation to these small contractors and the extension of contract agreements ?

श्री के० आर० गणेश : जैसा कि मैं बता चुका हूं केन्द्रीय सहायता की राशि राज्य-सरकार की सहमति से निर्धारित की गई थी। जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न का सम्बन्ध है यह राज्य-सरकार का कार्य है कि वह स्थानीय नुकसानों का ब्यौरा प्राप्त करे और उन पर व्यय करे।

Shri Lalji Bhai : May I know whether there is any case of Corrupton regarding the amount in incusred out of Cental assistance ? May I know the number of cases in which allegatins of Corrupion have been made regarding the distribu tion of funds on relief items ?

Mr speaker : The question regarding Corruption does not arise.

Shri Lalji Bhai : I want to know whether there is any carse of Corruption regading the disitribution of funds three, if so, the number thereof ?

Mr Speaker : Please take your seat because this does not arise out of it.

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : क्या कुछ अन्य राज्यों में सूखा और अधिक वर्षा की स्थिति को ध्यान में रखकर केन्द्रीय सहायता देने के उद्देश्य से मामले की जांच करने के लिए केन्द्रीय दल को उन राज्यों में भी भेजा गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न केवल हिमाचल प्रदेश के बारे में है।

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : क्योंकि सरकार ने हिमाचल प्रदेश में केन्द्रीय दल भेजा है अत: उन्हें दूसरे राज्यों में भी ऐसे ही दल भेजने पड़ेंगे।

अध्यक्ष महोदय : यह मूल प्रश्न से नहीं उठता है।

विद्युत की कमी के कारण लुनावडा स्थिति एयरो-इंजन संयंत्र के उत्पादन में कमी

*503. श्री पी० के० दाम चौधरी :

श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या उड़ीसा में विद्युत की कमी के कारण कोरापुट में लुनावडा स्थित महत्वपूर्ण एयरो-इंजन संयंत्र के उत्पादन में कमी होने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) मालूम हुआ है कि उड़ीसा में मचकुंड जलाशय में पानी के स्तर में कमी होने के परिणामस्वरूप उड़ीसा राज्य के कुछ क्षेत्रों में विद्युत शक्ति की कमी पैदा होने की सम्भावना है। अभी तक सूनावेडा में एच ए एल फैक्टरी में विद्युत शक्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं की गई है। लेकिन पानी की सप्लाई 22 लाख गैलन से घटाकर लगभग 15 लाख गैलन कर दी गई जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन में अड़चने पैदा हो गई है। यदि विद्युत शक्ति में भी कमी हो गई तो इस कारखाने के उत्पादन पर गम्भीर प्रभाव पड़ेगा।

(ख) राज्य-सरकार से अनुरोध किया गया कि पानी की सप्लाई में सुधार किया जाय और एयरो इंजन फैक्टरी में विद्युत-शक्ति की कमी नहीं की जानी चाहिए जिससे इस महत्वपूर्ण रक्षा उद्योग में लगातार उत्पादन का सुनिश्चय किया जा सके।

श्री बी० के० दास चौधरी : मंत्री महोदय के इस उत्तर को ध्यान में रखते हुये कि यदि विद्युत शक्ति में कमी की गई तो उत्पादन में कमी आ जाने की संभावना है और राज्य-सरकार से स्थिति को सुधारने के लिए पहले ही अनुरोध किया जा चुका है, मैं यह जानना चाहता हूं कि मामले की वस्तुस्थिति क्या है; इस कारखाने, प्रश्न में पूछे गये एयरो-इंजन संयंत्र, का कुल उत्पादन कितना है; उत्पादन के सम्बन्ध में वर्त्तमान अड़चन क्या है; मंत्री महोदय ने बताया है कि उत्पादन में अड़चन पैदा हो गई है; तो उत्पादन में वर्त्तमान अड़चन क्या है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मुझे खेद है कि मैं मिग लड़ाकू विमान के लिए बनाये जाने वाले इंजनों की संख्या नहीं बता सकता। जहां तक उत्पादन की अड़चन के सम्बन्ध में प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है कोई गम्भीर अड़चन नहीं है। पानी की कमी से स्टीम सम्बन्धी तथा संयंत्र के कार्य करने के लिए पानी का उपलब्ध होना जैसी कठिनाइयां सामने आई हैं। परन्तु इस कारण उत्पादन में कमी न आने देने के लिए हमने सफल प्रयत्न किये हैं। इससे अन्य कठिनाइयां भी पैदा होती हैं जिन्हें हमने सरल बना लिया है। हमने इस मामले पर उड़िसा सरकार के साथ चर्चा की है जिससे कठिनाइयों को दूर किया जा सके।

श्री बी० के० दास चौधरी : मैं स्पष्ट रूप में यह जानना चाहता हूं कि उत्पादन सम्बन्धी अड़चने क्या है। जो भी है, क्या उड़ीसा सरकार तथा उड़िसा राज्य बिजली बोर्ड ने इस कारखाने विशेष को यह आश्वासन दिया है कि भविष्य में एयरो-इंजनों के उत्पादन के लिए विद्युत शक्ति में कमी नहीं की जायेगी।

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमने विद्युत शक्ति में कमी करने के मामले पर उड़ीसा सरकार तथा उड़िसा राज्य बिजली बोर्ड के साथ बात-चीत की है। यद्यपि हमें कोई आश्वासन नहीं मिला

है परन्तु हमें विश्वास है कि इस कारखाने के महत्व को ध्यान में रखते हुये विद्युत शक्ति में कोई कमी नहीं आने दी जायेगी।

श्री जगन्नाथ राव : मंत्री महोदय ने बताया है कि पानी की सप्लाई को तेज करने के लिये उड़िसा सरकार से कहा गया है। मुझे आश्चर्य है कि राज्य सरकार यह कार्य किस प्रकार कर सकती है। वर्षा ऋतु में ही जलाशयों में पानी एकत्र हो सकता है उड़ीसा सरकार केवल इतना कर सकती है कि वे आन्ध्र प्रदेश सरकार को विद्युत शक्ति की 50 प्रतिशत सप्लाई करें। यदि दूसरे राज्यों को विद्युत सप्लाई बन्द कर देना मान भी लिया जाय तो इस महत्वपूर्ण कारखाने का कार्य चल सकता है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननी सदस्य ने यह निर्देश किया है कि आन्ध्र-प्रदेश सरकार हमारे अनुरोध को किस प्रकार पूरी कर सकती है। माननीय सदस्य ने बताया है कि यदि वे इतनी विद्युत उत्पन्न न करें और इसे पानी की सप्लाई के लिए नहीं दें तो पानी की सप्लाई की स्थिति को ठीक किया जा सकता है। यह उड़ीसा सरकार को देखना है कि वे क्या करना चाहते हैं। हमने उनसे कहा कि पानी की सप्लाई में उन्होंने जो कमी की है उसे पूरा करने की आवश्यकता है। हम सही प्रयत्न कर रहे हैं।

चार्टर्ड एकाउंटेंटों द्वारा नए भर्ती किए जाने वाले लोगों को पारिश्रमिक देना

*504. **श्री के० रामकृष्ण रेड्डी :** क्या कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश चार्टर्ड एकाउंटेंट युवा स्नातकों को 3-4 वर्ष की अवधि के लिए अपने यहां आर्टिकल क्लर्क के तौर पर बिना कोई पारिश्रमिक दिए रखते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया जैसे अन्य देशों में भी ऐसा ही होता है; और

(ग) इन आर्टिकल क्लर्कों को कुछ-न-कुछ न्यूनतम पारिश्रमिक देना सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) शास-प्राप्त लेखाकार अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत बनाये गये विनियम, जिनसे यह मामले शासित होते हैं, शास-प्राप्त लेखाकारों को, उनके प्रशिक्षणार्थी आर्टीकल क्लर्कों को कोई पारिश्रमिक देने के लिए बंधन नहीं लगाते। यह अवबुद्ध है, कि कुछ शास प्राप्त लेखाकार ऐच्छिक रूप से अवश्य कुछ देते होंगे।

(ख) संभवत: उपलब्ध सूचना के अनुसार, ब्रिटेन एवं आस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी, आर्टीकल क्लर्कों को शिष्यवृत्ति देने के लिए कोई अनिवार्यता के तत्व नहीं है।

(ग) सरकार के पास वर्त्तमान में आर्टीकल क्लर्कों को कोई न्यूनतम शिष्यवृत्ति देने को, अनिवार्य सुनिश्चित करते के लिए, कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि इस दृष्टिकोण की अपेक्षा की जायेगी।

श्री के० रामकृष्ण रेड्डी : क्या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों तथा अन्य कर्मचारियों को

कुछ-न-कुछ न्यूनतम पारिश्रमिक दिया जाता है। यदि हां, तो इन स्नातकों को किसी प्रकार का भी पारिश्रमिक क्यों नहीं दिया जाता है यद्यपि उपरोक्त कर्मचारियों की अपेक्षा ये अधिक ही परिश्रम करते हैं ? क्या चार्टर्ड एकाउंटेंटों को प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष आदि के लिए 100 रुपये से 150 रुपये के बीच पारिश्रमिक देने के लिए कोई आदेश देना संभव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह कार्य रूप देने के लिए एक सुझाव है।

श्री रघुनाथ रेड्डी : कार्य रूप देने के लिए यह महत्वपूर्ण सुझाव है। वर्त्तमान नियमों के अनुसार चार्टर्ड एकाउंटेंट परिषद ही निर्देश जारी करती है। जैसा कि मैंने बताया है मामले पर विचार किया जायेगा।

श्री के० रामकृष्ण रेड्डी : आयों में असमानताओं तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि ये चर्टर्ड एकाउंटेंट अपने कार्य से बहुत अधिक रुपया कमाते हैं क्या आर्टिकल क्लर्कों को कुछ न कुछ पारिश्रमिक दिये जाने के सम्बन्ध में कानून बनाना उचित नहीं होगा ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : सुझाव में औचित्य है जैसा कि मैंने बताया है, मामले पर विचार किया जायेगा।

Shri Dhanshah Pradhan : May I know whether the Gorvernment consider reducing the apprenticeship period of three or four years as it stands today ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : आर्टिकल क्लर्कों को चार वर्ष तक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा और लेखा परीक्षा क्लर्कों को 6 वर्ष तक। यह चार्टर्ड एकाउंटेंटस परिषद द्वारा विनियमित पूर्णरूप से एक आन्तरिक मामला है और सरकार सामान्यतया परिषद द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण अवधि के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी।

उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में तेल-शोधक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव

*507. **श्री बख्शी नायक** :
श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन**मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में एक विशाल तेलशोधक कारखाना लगाने के प्रस्ताव के बारे में पुनर्विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस कारखाने के लिए स्थान का निश्चय करने हेतु एक दूसरी विशेषज्ञ समिति की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इसके निर्देश-पद क्या होंगे और यह समिति कब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री बख्शी नायक : देश में पैट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता की वर्त्तमान स्थिति क्या है और क्या देश इस मामले में आत्म निर्भर हो गया है ? क्या हम पैट्रोलियम उत्पादों का आयात कर रहे हैं और यदि हां, तो आयातित मात्रा कितनी है और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई ।

श्री एच० आर० गोखले : प्रश्न नई शोधनशाला लगाने के बारे में है और अनुपूरक प्रश्न अब तक हुए उत्पादन के बारे में है । इस समय देश में 200 लाख मीटरी टन कच्चे तेल की आवश्यकता है जबकि हमारी वर्त्तमान क्षमता 70 लाख मीटरी टन ही है यद्धपि मैं सही आंकड़े नहीं बता सकता क्योंकि यह प्रश्न मूल्य प्रश्न से सम्बद्ध नहीं है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : The Madhya Pradesh Government has assured that such a refinery will be set up in Gwalior and Muraina and a deputation had called on the Prime Minister in this regard and she also gave an assurance. The predecessor of the hon. Minister had also said that he was about to set up such a refinery. I want to know the progress that has been made in this regard.

श्री एच० आर० गोखले : जहां तक मुझे जानकारी है, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में शोधनशाला खोलने के स्थान के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है कि यह मध्य प्रदेश में खोली जाए अथवा ग्वालियर में क्योंकि विभिन्न राज्य, अपने-अपने यहां शोधनशाला खोलने का अनुरोध कर रहे हैं । विभिन्न स्थान विचाराधीन हैं जिनमें से मध्य प्रदेश का भी एक है ।

Shri Achal Singh : Will the hon. Minister be pleased to state when the refinery that has been recommended by the Commission will be set up at Agra.

श्री एच० आर० गोखले : जैसा कि मैंने अभी बताया है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान आदि विभिन्न राज्यों द्वारा शोधनशाला खोलने की मांग की जा रही है । अन्तिम निर्णय मुख्यत: तकनीकी आर्थिक महत्त्वों के आधार पर किया जाएगा । नई शोधनशाला बनाने के सम्बन्ध में निर्णय लगभग कर लिया गया है और उसकी स्थापना का स्थान विचाराधीन है । उत्तर प्रदेश के आगरा तथा मथुरा क्षेत्र भी विचाराधीन हैं ।

श्री के० एस० चावड़ा : देश में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा उत्पादित 98 लाख टन कच्चे तेल के कुल उत्पादन में से 35 लाख टन कच्चा तेल गुजरात से प्राप्त हुआ । मेहसाना जिले में कई तेल क्षेत्रों का पता लग रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार उत्तरी गुजरात विशेषकर मेहसाना जिले में नए शोधनशाला स्थापित करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इस सुझाव पर विचार कर सकते हैं ।

Delay in Commissioning of ONGC's Project in Agarala

***508. Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to State :

(a) whether the contractor engaged to transport, ten pieces of structures of 3-D Drilling Rigs from Calcatta to Agartala could not complete the job by April-May 1970 and delayed the transportation by about a year resulting in delay in the commissioning of ONGC's Project in Agartala;

(b) if so, the loss suffered by the ONGC due to the delay on the part of the contractor;

(c) whether any penalty has been imposed on the contractor;

(d) how much payment has been made to the contractor so far against the contracted amount of Rs. 1.70 lakhs ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) ठेकेदार अप्रैल-मई 1970 तक वस्तुओं (संरचनाओं) को ले जाने के कार्य को पूरा नहीं कर सका। चार टुकड़ों को ले जाने के लिए एक वर्ष से अधिक समय लगा तथा अन्य 6 टुकड़ों के हस्तान्तरण में लगभग 6 मास लगे। प्रायोजना के चालन में होने वाले विलम्ब के सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा, जो इस मामले की जांच कर रहा है, अभी जांच-पड़ताल की जानी है।

(ख) केन्द्रीय जांए-ब्यूरो द्वारा की जाने वाली जांच के पूर्ण होने के पश्चात् ही, इस ठेके में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को होने वाली हानि का पता लगेगा।

(ग) जी नही। किन्तु मामला विवादाधीन है।

(घ) अन्तिम निर्णय के लम्बित रहने तक 1,23,165 रुपये का भुगतान किया गया है।

Shri Hukam Chand Kachwai : Did the contractor, whom the contract has been given have any previous experience ? Is it not a fact that inspite of the fact that he had no previous experience of this contract was given to him because of the recommendations made by high-ups. I want to know in how many instalments the amount of Rs. 1,23,165 was paid and when was the enquiry started and when is the final report expected ?

श्री एच० आर० गोखले : माननीय सदस्य के प्रश्न संगत हैं इसी कारण यह मामला केन्द्रीय जॉच ब्यूरो को सौंप दिया गया है। इस बात की जाँच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही है कि ठेकेदार का चयन गुण के आधार पर न करके किसी अधिकारी के पशपातपूर्ण रवैये के कारण किया गया था केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा यह जांच की जा रही है और उस अधिकारी के विरुद्ध पक्षपात का मामला भी दर्ज किया गया है। ठेकेदार के काम में विलम्ब करने पर भी उसे 1.74 लाख रुपये अथवा 1.70 लाख रुपये की राशि में से 1,23,165 रुपये का भुगतान इस अधिकारी के आदेशों पर कैसे कर दिया गया। इस बात के बारे में भी केन्द्रीय जांच ब्यूरो जांच कर रहा है।

Shri Hukam Chand Kachwai : It is clear that very big pessonality has recammended for this Contractor. May I know who was this pessonality who influenced the Government and got the contract for the man who did not have any expelirnce. The total cost of work is Rs. 1,70,000 and this contractor has been paid Rs, 1,23,135 although not even the 25 percent of the work has been done. I meant to know whether the loss will be recovered from this contractor.

श्री एच० आर० गोखले : जहां तक मुझे जानकारी है मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के कलकत्ता कार्यालय द्वारा आपत्ति किए जाने के बावजूद भी श्री जे० स्वरूप, जो उस समय परिवहन विभाग के संयुक्त सचित थे, मूल ठेके के

लिए सहमत हो गए थे और अब यह आरोप लगाया गया है कि इसी अधिकारी ने, ठेकेदार द्वारा विलम्ब करने के बावजूद, बिलों की 90 प्रतिशत राशि के भुगतान के आदेश पास किए थे। इस मामले के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो जांच कर रहा है।

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know any acton has been taken against him.

Shri H. R. Gokhle : Unless the report of the C. B. I. comes the question of taking action.....*(interruption)*.

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने जानकारी दे दी है। उन्होंने कह दिया है कि मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधीन है।

Shri Hukam Chand kachwai : The second part of my question has not been answered. The contractor has been paid Rs. 1,23,135 out of the sum of Rs. 1,70,000, Thouth not even 25 percent of the work was done. I meant to know whether the amount which will be spent on the remainder work will recovered from him and whether loss also will be recovered from him.

श्री एच० आर० गोखले : प्रश्न, कार्य के पूरा किए जाने का नहीं है। संभवतः माननीय सदस्य जानते हैं कि ठेका विशेष सामग्री को कलकत्ता से अगरतला सड़क द्वारा लाने के लिए दिया गया था और इस काम के लिए समयावधि निश्चित की गई थी। ठेका निश्चित समय के भीतर पूरा नहीं हो पाया और ठेकेदार इसके लिए दोषी है क्योंकि ठेका अधिकांश वस्तुओं को शीघ्र ही सड़क के माध्यम से लाने के लिए दिया गया था। जबकि वस्तुओं को सड़क के रास्ते से न भेजकर रेल द्वारा भेजा गया। अब यह मामला केवल ठेके की शर्तों तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह मामला जांच का विषय बन गया है कि क्या ऐसा किसी अधिकारी के साथ गठजोड़ के कारण हुआ था। इस समय केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस मामले की जांच कर रहा है।

श्री के० सूर्यनारायण : यह मामला केन्द्रीय जाँच ब्यूरो की जांच हेतु कब सौंपा गया था और क्या उन्हें किसी निश्चित समयावधि के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु कहा गया है।

श्री एच० आर० गोखले : जहां तक तक मुझे जानकारी है जैसे ही सरकार के ध्यान में यह मामला लाया गया केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जांच शुरू कर दी थी। मुझे सही तिथि की जानकारी नहीं थी कि कब श्री स्वरूप के विरूद्ध मुकदमा दायर किया गया। आशा है केन्द्रीय जांच ब्यूरो शीघ्र ही अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगा। ब्यूरो ने हमें सूचित किया है कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

श्री वसंतराव पुरुषोत्तम साठे : केंद्रीय जांच ब्यूरों द्वारा चल रही जांच के दौरान दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री एच० आर० गोखले : यह केवल आरोप है अभी कोई औपचारिक चार्ज शीट तैयार नहीं की गई। केंद्रीय जांच ब्यूरों द्वारा प्रारम्भिक जांच पूरी किये जाने के बाद ही चार्ज शीट तैयार की जाएगी।

श्री वसंतराव पुरुषोत्तम साठे : इस दौरान उस अधिकारी को मुअत्तल क्यों नहीं किया गया है।

आय-कर विभाग के मूल्यांकन सैल को निर्दिष्ट किए गए नये निर्माण सम्बन्धी मामले

*509. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय-कर अधिकारियों को पांच लाख या इससे अधिक लागत के नये निर्माण के सभी मामले मूल्यांकन सैल को निर्दिष्ट करने होते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस सैल को प्रत्येक मास औसतन कितने मामले निर्दिष्ट किये जाते हैं और कितने मामले प्रति मास निपटाये जाते हैं ; और

(ग) प्रथम मार्च, 1972 को इस मूल्यांकन सैल के पास कितने मामले अनिर्णीत पड़े थे ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) अन्य बातों के साथ-साथ, सम्पदा-शुल्क, धन-कर तथा दान-कर के उन सभी मामलों को जिनमें जिम्मेदार व्यक्ति/कर-निर्धारिती ने किसी अचल सम्पत्ति का मूल्य 5 लाख रुपये अथवा उससे ऊपर दर्शाया है, मूल्यांकन कक्ष के पास भेजा जाता है ; आयकर अधिनियम के अन्तर्गत, जहां ऐसा उचित संदेह हो कि कर-निर्धारिती ने अचल सम्पत्ति के मूल्य को 50,000 रुपये अथवा उससे ऊपर तक कम करके दिखाया है, उस मामले को मूल्यांकन कक्ष के पास भेजा जाता है ।

(ख) तथा (ग). मूल्यांकन कक्ष को भेजे गये 5 लाख रुपयों से ऊपर के मामलों के संबंध में आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं है । किन्तु, मूल्यांकन कक्ष को भेजे गये मामलों की कुल संख्या के संदर्भ में स्थिति निम्नानुसार है ।

(i) वर्ष 1971-72 में 29 फरवरी 1972 तक प्रतिमाह मूल्यांकन कक्ष को भेजे गये मामलों की औसत संख्या	137
(ii) वर्ष के 1971-72 में 29 फरवरी 1972 तक प्रति माह निपटाये गये मामलों की औसत संख्या	83
(iii) 7 मार्च, 1972 को मूल्यांकन कक्ष के पास अनिर्णीत पड़े मामलों की कुल संख्या	823

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि करदाता द्वारा बताए गए मल्यों के आधार पर मूल्यांकन सैल द्वारा किए गए अतिरिक्त मूल्यांकन की कुल राशि कितनी है ?

श्री के० आर० गणेश : वर्ष 1969-70 से 1971-72 के दौरान मूल्यांकन सैल द्वारा मूल्यांकित सम्पत्ति का कुल मूल्य लगभग 155 करोड़ रुपए है । मूल्य निर्धारण प्रक्रिया के दौरान सैल ने 68 करोड़ रुपए की अवमूल्यांकन राशि का पता लगाया ।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : मंत्री महोदय के उत्तर से स्पष्ट है कि मूल्यांकन सैल को प्रति माह औसतन 137 मामले भेजे जाते हैं और जिनमें से केवल 83 मामलों का निपटान किया

जाया है पहले ही 800 मामले शेष है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इन मामलों को शीघ्र निपटान हेतु मूल्यांकन सैल के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाएगी दूसरे, मूल्यांकन का पता लगाने के लिए क्या विभाग द्वारा कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाए गए हैं ?

श्री के० आर० गणेश : मूल्यांकन सैल में काम के अत्यधिक भार को देखते हुए 8 नए विभागों को खोलने का निर्णय किया गया है। यह विभाग दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास अहमदाबाद, कानपुर तथा बंगलौर में खोले जायेंगे। जहां तक मार्गदर्शी सिद्धान्तों का सम्बन्ध है पंजीकृत मूल्यांकनों के बारे में कराधान विधेयक में दण्ड नियम दिए गए हैं।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या मूल्यांकन सैल द्वारा सम्पत्तियों के मूल्यों का पता लगाने हेतु विभाग द्वारा कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाए गए हैं।

श्री के० आर० गणेश : जी हां, कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाए गए हैं।

Setting up of an Agricultural Bank in New Delhi

*510. **Dr. Sankata Prasad** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up an Agricultural Bank in New Delhi and if so, when ;

(b) whether assistance is also being sought from foreign countries for the purpose and if so, the names of the countries : and

(c) the amount of assistance sought and the terms and conditions/laid down by the foreign countries in this regard ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठता।

श्री के० लकप्पा : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि भारत सरकार के पास विभिन्न राज्यों के छोटे किसानों और रैयतों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि एक ही एजेन्सी की स्थापना की जाये और एक स्वतन्त्र कृषि बैंक बनाया जाये जो सीमान्त किसानों, समाज के निर्बल वर्ग और छोटे काश्तकारों के लिये सुविधाजनक हो। यदि हां, तो ऐसा स्वतन्त्र बैंक स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; यदि नहीं, तो भारत सरकार ऐसा बक क्यों स्थापित नहीं कर रही है ? क्या सरकार इस सुझाव को ध्यान में रखेगी और छोटे किसानों को सुविधाएं देने के लिये देश में स्वतन्त्र बैंक की स्थापना करेगी।

अध्यक्ष महोदय : यह एक मात्र सुझाव है।

श्री के० आर० गणेश : यह कार्यवाही के लिये सुझाव है।

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही के लिये अच्छा सुझाव है।

औद्योगिक वित्त निगम तथा कृषि वित्त निगम द्वारा गुजरात राज्य की परियोजनाओं के लिये मंजूर किये गये ऋण

*511. **श्री वेकारिया** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक वित्त निगम तथा कृषि वित्त निगम द्वारा गत तीन वर्षों में गुजरात राज्य के लिये कितनी राशि के ऋण के मंजूर किये गये ;

(ख) किन-किन परियोजानाओं के लिये ये ऋण मंजूर किये गये ; और

(ग) क्या ऋणों के लिये गुजरात से प्राप्त कोई नये आवेदन-पत्र इन संस्थाओं में अनिर्णीत पड़े हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) और (ख). पिछले तीन वित्तीय वर्षों में, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने, गुजरात राज्य में स्थिति निम्नलिखित 8 प्रतिष्ठानों को कुल मिलाकर 701.83 लाख रुपये के ऋण (शुद्ध) मंजूर किये हैं :—

(लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	औद्योगिक प्रतिष्ठान का नाम	मंजूर की ऋणों की रकम
1	टाटा केमिकल लि० मीठापुर	50.00
2	सेल्युलोज प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया लि० अहमदाबाद	3.00
3	अमरेली सहकारी कृषि खांड उद्योग लिमिटेड, अमरेली	90.00
4	प्रिसीजन वेयरिंग्स (इ०) लि० मनाजा	5.61
5	गुजरात पालीमाइड्स लि०, उधाना ।	150.00
6	इण्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लि० कलोल और कांडला ।	300.00
7	सरदार बल्लभभाई पटेल खांड उद्योग सहकारी समिति, धोराजी	90.00
8	गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स कम्पनी लि०, वाजीना ।	13.22
		701.83

पिछले तीन वित्तीय वर्षों में, कृषि वित्त निगम ने सिंचाई के कुओं को बिजली देने के लिए गुजरात बिजली बोर्ड को 8 करोड़ रुपये की योजना अनुमोदित की ।

(ग) 31 मार्च 1972, को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के पास, गुजरात राज्य में स्थित 5 प्रतिष्ठानों से प्राप्त 7 आवेदन पत्र विचाराधीन थे जो कुल मिलाकर 820.00 लाख रुपये (700 लाख रुपए तक के ऋणों सहित) की वित्तीय सहायता के लिए थे ।

गुजरात राज्य से प्राप्त कोई प्रस्ताव कृषि वित्त निगम के पास विचाराधीन नहीं है ।

श्री बेकारिया : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों में कितने आवेदन पत्र अस्वीकार किये गये और उनके अस्वीकार किये जाने के मुख्य कारण क्या थे। दूसरे निगम द्वारा स्वीकार किये गये ऋणों में गुजरात का भाग कुल देश की तुलना में कितने प्रतिशत था ?

श्री के० आर० गणेश : पिछले तीन वर्षों में कोई आवेदन पत्र अस्वीकार नहीं किया गया। सात आवेदन पत्र विचारधीन हैं। गुजरात को दिया गया ऋण 7.5 प्रतिशत है।

श्री बेकारिया : मंत्री महोदय ने बताया है कि औद्योगिक वित्त निगम के पास सात आवेदन पत्र बकाया हैं। इन आवेदन पत्रों पर विलम्ब के क्या कारण है और कब तक उनका निर्णय ले लिया जायेगा ?

श्री के० आर० गणेश : इन सभी बातों पर विचार किया जा रहा है।

स्थल सेना में बंगाली रेजिमेंट बनाने का प्रस्ताव

+

*512. **श्री राजदेव सिंह :**

श्री समर गुह :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में बेरोजगारी की विकट समस्या हल करने के एक प्रयास स्वरूप स्थल सेना में एक बंगाली रेजीमेंट बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुकल) : (क) जी हां।

(ख) सरकार जाति के आधार पर किसी नई रेजीमेंट को बनाने के पक्ष में नहीं है।

श्री राजदेव सिंह : क्योंकि उत्तर पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि बंगालियों को किस वर्ग में रखा गया है मैं जानना चाहता हूँ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : उत्तर से यह अभिप्रेत नहीं है कि बंगाली एक वर्ग है। उत्तर उसी ढ़ंग से दिया गया जिस ढ़ंग से प्रश्न पूछा गया था। देश में बंगाली शेष बंगला बोलने वाले एक वर्ग अथवा भाषायी ग्रुप का प्रतिनिधित्व करता है। हमारी नीति स्पष्ट है कि हम देश के नागरिकों के बीच सेना में भर्ती के लिये भाषा, जाति अथवा धर्म के आधार पर भेद भाव नहीं करना चाहते हैं। हम अपने जवानो की स्वास्थ्य और शारीरिक योग्यता ही देखते हैं। केवल यही दृष्टिकोण सामने रहता है। हम आगे रेजीमेंट अथवा यूनिट भाषा, वर्ग अथवा धर्म आदि के आधार पर नहीं बनाना चाहते हैं।

श्री राजदेव सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सेना में, राजपूताना राइफल्स आसाम राइफल्स, जाट रेजिमेंट आदि नहीं हैं।

Shri V. C. Shukla : The house knows that these requirments are continuing since early, But as far as the policy of the Government is concerned no the regiment on the basis, are created. We are changinge the old names as well, but these are to be changed with care. There can be some law if we chang them in haste this our determined policy to improve upon urgently the mistake of old time when we slaves.

श्री समर गुह : मंत्री महोदय ने इसके बारे में विचित्र तर्क दिये हैं। यह सर्व विदित ही है कि अंग्रेजी राज्य के समय कम्पनी राज्य में पूरी भारतीय सेना को बंगाल आर्मी कहा जाता था। यह 1857 में भंग की गई थी। प्रथम महायुद्ध में एक रेजिमेंट बंगाली रेजिमेंट नाम की थी। इसे भी राजनीतिक कारणों से भंग कर दिया गया था। क्षेत्र, जाति और समुदाय के आधार पर बहुत सी रेजिमेंट तथा ब्रिगेड आदि हैं। मैं नहीं समझता कि मंत्री महोदय ने कैसे तर्क दिया कि वह जो कुछ ब्रिटिश राज में था उसे जारी नहीं रखना चाहते। तब आप भारतीय सेना से क्षेत्रीय अथवा प्रदेशिक नामों का उन्मूलन क्यों नहीं कर देते ?

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि बंगाली रेजिमेंट की मांग ऐतिहासिक तथा पिछली सरकारों की परम्पराओं और प्रथाओं के अनुरूप है, और उसके लिए पश्चिम बंगाल में समय समय पर मांग की गई, तथा पश्चिम बंगाल सरकार ने भी ऐसा प्रस्ताव किया है, क्या सरकार उस प्रस्ताव पर पुन: विचार करेगी अथवा भारतीत सेना से सभी क्षेत्रीय तथा प्रादेशिक नामों का उन्मूलन करेगी।

Mr. Speaker : The hon. Member desires that in the first instance a Bengali regiment may be created and then all of these names may be abolisshed.

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैंने माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये सभी तथ्यों का उत्तर दे दिया है। मैं आपकी अनुमति से उन्हें दोहरा देता हूं।

मैंने पहले ही बताया है कि विभिन्न राष्ट्रीयताओं, भाषाओं और क्षेत्रों के नाम वाला रेजिमैंट्स पहले विद्यमान थी। अब हमारी नीति उन्हें समाप्त करने की है, परन्तु उन्हें भंग करके नहीं अपितु उनको ऐसे वर्गों के लिये सीमित न रख कर। यह कार्य विचार पूर्वक करना पड़ेगा। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बंगाली रेजिमेंट के अभाव में किसी भी बंगाली नागरिक को किसी भी सुरक्षा सेना में भर्ती होने से नहीं रोका गया है।

डा० रानेन सेन : उन्हें पृथक रखा गया है।

श्री विद्याशरण शुक्ल : यह बिल्कुल गलत है। यदि कोई सदस्य यह समझता है कि किसी व्यक्ति को यदि वह सेना, वायुसेना अथवा नौसेना में भर्ती के लिये शारीरिक तथा स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं पूरी करता है तो उसे भर्ती से रोका जाता है तो यह गलत है। मैं उन्हें सरकारी तौर पर स्पष्ट आश्वासन दे सकता हूँ कि श्रेष्ठतम सैनिकों के रूप में उनका सेना में महान स्वागत है। यह केवल नाम का प्रश्न है, क्या इस प्रकार के क्षेत्रवाद, धर्म, उपराष्ट्रीयता के नामों को हम जारी रखना चाहते हैं। हमें ऐसी बातों को प्रकट करने वाले नामों को नहीं रखना चाहिये। बंगाल के लोगों का स्वागत है और हम उन्हें देश के अच्छे योद्धा मानते हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : अंग्रेजी राज में हर बंगाली को संदेह की निगाह से देखा जाता

था । किसी बंगाली युवक को सेना में भर्ती नहीं किया जाता था क्योंकि वह सोचते थे कि बंगाली अंग्रेजों के राजभक्त नहीं हैं । आप राष्ट्रीय संघर्ष में भाग लेने के बारे में बंगालियों का इतिहास जानते हैं । पहले ही कई ऐसी रेजिमेंट्स हैं और मैं समझता हूं कि वह तथा उनके उत्तराधिकारी इसे समाप्त नहीं कर पायेंगे । यदि वे बंगाली रेजीमेंट नहीं बनाना चाहते तो क्या वह बंगाल की सुभ ष रेजीमेंट की स्थापना करेंगे ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस सुझाव पर विचार किया जा सकता है ।

Shri Ramchander Vikal : As the hon. Minister has stated that he wants to abolish the regiment formed on race, religion or names of states; this is one of the evils; will he give a definite date by when these will be abolished ? As there is lot of discontentment and discrimination among Jawans because of this, will you give a date in this regard.

Shri Vidya Charan Shukla : We agree with the suggestion of the hon. Member but it is impossible to give any definite time limit ?

Shri Ram Chander Vikal : Why ?

Shri Vidya Charan Shukla : There are so many reasons, so many difficulties. We are making efforts for that. But it is difficult to determine time limit.

श्री एस० एन० मिश्र : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पिछले 25 वर्षों में कितनी क्षेत्रीय रेजीमेंटों के नाम बदले गये ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मेरे पास जानकारी नहीं है ।

Smt. Sahodrabai Rai : May I know from the hon. Minister that the decoits who have surrendered in Chhatterpur, Hirapur, Bhind and Morena in Madhya Pradesh are going to be employed in Army and a separate regiment may be established further ?

Shri Vidya Charan Shukla : We recruit for the army from the territories referred to by the hon. Member. There are recruiting centres where recruitment is made. We recruit those persons from there who are found fit.

Shri Bhagirath Bhanwar : The hon. Minister has replied that no regiment would be constituted on the basis of caste and the existing one would be abolished gradually. May I know whether you still recruit jails for Jats regiment and Sikhs for Sikh regiment ? What would be the basis for their future rccruitment.

Shri Vidya Charan Shukla : Mr. Speaker, Sir We recruit the persons of other castes in the regtment, named by the hon. Member.

श्री मनोरंजन हाजारा : क्या सेना में क्षेत्रीय नामों का उन्मूलन किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैंने पहले ही उत्तर दे दिया है । इस बारे में हम कोई तिथि निर्धारित नहीं कर सकते ।

इण्डियन एयरलाइन्स की परिचालन कुशलता

+

*513 **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्षों से इण्डियन एयरलाइन्स की परिचालन कुशलता घट रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसमें सुधार करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) और (ख). इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में लगातार असन्तोषजनक श्रम स्थिति के कारण कारपोरेशन का कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है। मार्च 1971 की तालाबन्दी के तुरन्त बाद सरकार ने इण्डियन एयरलाइन्स के संगठनात्मक एवं प्रशासनिक ढांचे तथा प्रबन्ध-वर्ग और उसके कर्मचारियों के बीच सम्बन्धों की जांच करने तथा विशेषकर कार्मिक नीतियों और परिपाटियों के बारे में सिफारिशें करने के लिये एक समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष श्री एन० पी० सेन थे जिन्हें कि बाद में कारपोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। समिति की रिपोर्ट प्रबन्धकवर्ग के पास सक्रिय रूप से विचाराधीन है तथा एयरलाइन्स के कार्यचालन में सुधार करने के लिये हर तरह के यत्न किए जा रहे हैं।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सात नये मिले बोइंग विमान तथा सात केरावेल्स को छोड़कर शेष सभी विमान हर उड़ान में घाटा दे रहे हैं और केरावेल्स भी 900 कि०मी० से अधिक की उड़ान में लाभ नहीं कमा रहे है। यदि हां, तो इन उड़ानों को आर्थिक दृष्टि से उपयोगी बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है।

डा० कर्णसिंह : संचालन व्यय प्रत्येक विमान का अलग-अलग होता है। यह सच है कि टर्बो प्रौप्स की अपेक्षा जैट विमान अधिक लाभदायक है क्योंकि टर्बो प्रौप्स पुराने ढंगके विमान हैं अतएव उनका संचालन व्यय बहुत अधिक है। क्योंकि हमारे पास यह विमान हैं हमें उनका उपयोग करना है। हम एकदम उन्हें जैट विमानों में नहीं वदल सकते। उनकी भारवहन स्थिति में सुधार करके संचालन व्यय में सदा सुधार किया जाता है क्योंकि यदि पूरी भार क्षमता मिलने लगे तो संचालन व्यय कम हो जायेगा।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या 31 मार्च, 1970 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में इण्डियन एयरलाइन्स को भारी हानि हुई थीं तथा 31 मार्च 1972 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में इण्डियन एयरलाइन्स को छः करोड़ रुपया की हानि होगी। यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? यदि हां तो क्या ऐसा-पुराने ढंग के विमानों के उपयोग किये जाने के कारण हुआ है। अथवा क्या यह पर्यटक यातायात की धीमी प्रगति के कारण हुआ है ? अथवा क्या औद्योगिक संबन्ध विभाग का एयरलाइन्स के प्रबन्धकों और कर्मचारियों के बीच अच्छे संबन्धों के अभाव के कारण ऐसा हुआ है ?

डा कर्णसिंह : एयरलाइन्स को 1970-71 में हुये 5.20 करोड़ रुपये के घाटे के कई कारण हैं। इनमें बंगला देश की स्थिति भी शामिल है क्योंकि उस समय हमें पाकिस्तान द्वारा अधिकृत क्षेत्र से उड़ना पड़ता था। अब हमें सीधे जाना पड़ता है और काबुल की उड़ानें रद्द करनी पड़ी क्योंकि हमें पाकिस्तान से उड़कर जाना पड़ता था। अपने विमान के अपहरण के पश्चात हम एक करोड़ रुपया अपहरण के बीमे के लिए व्यय कर रहे हैं। मिट्टी के तेल पर नये करों के कारण भी हमें अधिक व्यय करना पड़ता है। कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के वेतन भी बढ़ाये गये हैं। कुछ विमान लाभकर नहीं हैं, जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं ही ठीक कहा है। उनसे हानि ही होती है। हमारे श्रमिक-प्रबन्धक सम्बन्ध उतने मधुर नहीं रहे जितने होने चाहिये। हानि के यही सब कारण हैं।

श्री पी० गंगदेव : आई० ए० श्रमिकों का मामला अपहरण के मामले से भी बुरा है क्योंकि इसका प्रभाव यात्रियों पर ही नहीं, अपितु देश पर पड़ता है। मैं इस सम्बन्ध में जानना चाहता हूँ। इस बात को देखते हुए कि इंडियन एयर लाइन्स के भारी वेतन पाने वाले पायलट सरकार और देश को निष्क्रिय बनाते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि धीमे चलो की नीति तथा हड़ताल के नोटिस के कारण क्या सरकार एयर लाइंस को अनिवार्य सेवा घोषित करेगी तथा उसमें हड़तालें और धीमें चलो नीतियों पर रोक लगायेगी जिससे एयर लाइन्स की संचालन क्षमता बढ़ सके।

डा० कर्णसिह : विवादों के हल के लिये औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत कई समाधान है, हमें आशा है कि वह सभी कार्यवाहियां की जायेंगी। माननीय सदस्य द्वारा कहा गया है कि, हड़ताल का नोटिस अवांछनीय बात है। हमने इस मामले को मुख्य श्रम आयुक्त के पास भेज दिया है। द्विपक्षीय बातचीत चल रही है।

धीमें चलो के बारे में स्थिति 17, 18 और 19 को बड़ी विषम थी। कल पहले की अपेक्षा विमान कम विलम्ब से आये गये और मुझे आशा है कि धीमें चलो की हड़ताल समाप्त हो जायेगी।

जहां तक अनिवार्य सेवा का प्रश्न है, मुझे पता चला है कि अनिवार्य सेवा (बनाये रखना) अधिनियम अब लागू नहीं है परन्तु जो भी विधिक उपाय है सरकार उन पर विचार करेगी। सरकार हड़तालों पर रोक लगाना नहीं चाहेगी और चाहेगी कि विवादों का हल सामान्य प्रजातांत्रिक ढंग से किया जा सके।

श्री ए० पी० शर्मा : माननीय मन्त्री महोदय द्वारा अभी बताये गये विभिन्न कारणों से अदक्षता में वृद्धि होने के कारण हमें पता चलता है कि विभिन्न इंजीनियरिंग अथवा तकनीकी अथवा किन्हीं अन्य कारणों से उड़ानों में विलम्ब के बारे में यात्रियों को हवाई अड्डे पर ही सूचित किया जाता है। यात्रियों को हवाई अड्डे पर अनिश्चित समय के लिये रुकना पड़ जाता है। उड़ान में विलम्ब होने की स्थिति में क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिये यह सम्भव है कि यात्रियों को पहले ही सूचित कर दें कि इन कारणों से उड़ान में विलम्ब होने की सम्भावना है? वास्तव में कभी कभी वे कहते हैं कि अचानक ही तकनीकी गड़बड़ हो गई है। लेकिन अन्यथा विलम्ब होने की स्थिति में क्या इण्डिय एयरलाइन्स को यात्रियों को पहले ही यह बताना सम्भव है ताकि यात्रियों को असुविधा न हो।

डा० कर्णसिह : इस तरह की जानकारी देना सदैव सम्भव नहीं है क्योंकि इसके अनेक कारण हैं। अन्य स्टेशन से आते हुए विमानों में विलम्ब हो मकता है। विमान में इन्जीनियरिंग रुकावट अथवा कतिपय तकनीकी त्रुटि हो सकती है और उनका पता लगाने में कुछ समय लगेगा। अब हमने समीप ही सर्किट टेलीविजन लगा दिये हैं और जब आप हवाई हड्डे पर पहुंच जाते हैं तो आपको सूचित कर दिया जाता है कि यह विमान कब जायेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इन्जीनियरों द्वारा धीरे काम करो के बारे में मैं उनका ध्यान एक विवरण की ओर दिलाता हूं जो इन्जीनियरर्ज एसोसियेशन की ओर से समाचार पत्रों में प्रकाशित

हुआ है कि विवाद के सभी मामलों पर केवल एक को छोड़कर सभी पर सहमति हो गई है और वह मामला वेतनमान में विभिन्नताओं से सम्बद्ध है जिसे वे पंच निर्णय को सौंपने के लिये तैयार है, लेकिन सरकार इससे सहमत नहीं है यदि सरकार मध्यस्थता के बारे में सहमत नहीं हैं तो यह सरकार की अत्यन्त शोचनीय अवस्था को दर्शाता है ।

डा० कर्णसिंह : सरकार के सहमत होने का कोई प्रश्न ही नहीं है और वस्तुत: सरकार उत्सुक है कि यह मामला पंच-निर्णय को सौंपा जाना चाहिये । मामले को स्पष्ट करने के लिए मैं इस अवसर का लाभ उठाना चाहता हूं । मुझे खेद है कि इस प्रकार की भावना प्रकट की जा रही है कि सरकार सदन से कोई जानकारी छुपाने का प्रयास कर रही है । मैंने कभी नहीं किया है और न ही कभी करूंगा । मेरे सहयोगी, पुनर्वास मन्त्री को मजदूर संघ और प्रबन्धकों ने एक पत्र लिखा था । मजदूर संघ और प्रबन्धकों ने उस पत्र में बताया है कि प्राय: सभी मामलों पर समझौते हो गए हैं । लेकिन एक मामला ऐसा है जिस पर अभी समझौता नहीं हो पाया है और हम आशा करते हैं कि अगले कुछ दिनों में इस मामले पर हम समझौता कर सकेंगे । आखिरी मामले का निपटारा होने पर ही अन्तिम समझौते के होने की आशा करेंगे । मेरी इच्छा है कि इस आखिरी मामले पर भी निपटारा हो जाये । ऐसी बात चली थी और मैंने विवरण में बताया है कि मैं और श्रम मन्त्री दोनों ही मामले से अवगत हैं। अत: किसी तरह जानकारी को छिपाने का प्रश्न ही नहीं उठता है । माननीय सदस्य द्वारा उठाये गए आखिरी मामले के बारे में अभी कोई समझौता नहीं हुआ है, लेकिन यदि वे पंच-निर्णय को सौंपने के बारे में किसी समझौते पर पहुँचते हैं, तो हम उसका स्वागत करेंगे । मजदूर संघ द्वारा प्राय: जो विचार-विमर्श होना चाहिये वह एक ऐसा मामला हैं जो मजदूर संघ के क्षेत्र में आता है, वह मामला बाहरी न हो, ऐसे किसी मामले को पंच-निर्णय को सौंपने के बारे में प्रबन्धकों की ओर से अनिच्छा नहीं दिखाई गई है ।

श्री एस० पी० शर्मा : धीरे काम करो के हथकंडों को वह पंच-निर्णय को कैसे सौंप सकते हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : पिछले तीन महीनों के दौरान कितनी उड़ाने समय पर भरी नहीं गई हैं और कितनी उड़ाने रद्द करनी पड़ी थीं ।

डा० कर्णसिंह : यह जानकारी मेरे पास तत्काल ही उपलब्ध नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या आपकी अनुमति से मैं एक निवेदन कर सकता हूं ? यह प्रश्न इंडियन एयरलाइन्स की संचालन दक्षता से सम्बद्ध है । श्रीमान, क्या मैं ठीक हूं ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य हमेशा ही ठीक होते हैं । हम सभी गलत होते हैं परन्तु एक वह ही ठीक होते हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इण्डियन एयर लाइन्स की संचालन दक्षता के संदर्भ में मैंने प्रश्न पूछा था ; माननीय मन्त्री महोदय सदन से किस तरह तथ्यों को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह इसे छिपा नहीं रहे हैं लेकिन उन्होंने नोटिस देने के लिये कहा है और यदि उन्हें नोटिस दिया जाता है तो उन्हें प्रश्न का उत्तर देने में आपत्ति नहीं होगी ।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : उठे...

अध्यक्ष महोदय : उचित यही है कि श्री नरेन्द्र कुमार सांघी इस समय ही अपने प्रश्न को पूछ लें। अन्यथा, वह मामले को बाद में उठायेंगे।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : इस समय मुझे प्रश्न पूछने की अनुमति देने के लिए मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं।

प्रश्न काल के दौरान कल सदन में हुई चर्चा की ओर मैं फिर ध्यान दिलाना चाहता हूँ जब श्री आर० के० खाडिलकर ने स्पष्ट रूप से यह कहा था कि इस मास की 17 तारीख, सोमवार को इंजीनियरों से साथ एक समझौता हो गया था। यह समझौता सभा पटल पर रखा गया था और उन्होंने स्पष्टतया कहा था कि एक समझौता हो गया था। लेकिन पर्यटन और नागर विमानन के माननीय मन्त्री ने अब कहा है कि कोई समझौता नहीं हुआ है। मैं नहीं जानता कि किसका वीटो काम कर रहा है, श्रम मंत्री का वीटो अथवा पर्यटन और नागर विमानन का। लेकिन मैं आपसे यह अवश्य जानना चाहता हूं कि जब ऐसे वक्तव्य दिये जाते हैं तो हम सदस्यों को क्या करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त होने वाला है। क्या वह अपने प्रश्न का उत्तर चाहते हैं अथवा नहीं ?

डा० कर्णसिंह : इस पर किसी वीटो का प्रश्न ही नहीं है। स्थिति क्या है, मैंने वस्तुतः यही कहा है। आपके निदेश के अनुसार, श्री आर० के० खाडिलकर को लिखे गए पत्र को कल सभा-पटल पर रखा गया है। इस पत्र से स्थिति बिलकुल स्पष्ट हो जाती है। यही पत्र था जिसका श्री आर० के० खाडिलकर ने समझौते के रूप में उल्लेख किया था। जब मैंने वक्तव्य दिया था तो मेरे विचार से यह समझौता नहीं था क्योंकि पत्र में लिखा है कि हमें विचार-विमर्श करने के लिये तीन अथवा चार दिन और चाहियें और तब हम समझौते पर पहुंच सकेंगे और, इसलिए, मैं सदन को बता नहीं सका हूं कि मामला निपटा लिया गया था। यह सीधी सी बात है।

अध्यक्ष महोदय : श्री आर० के० खाडिलकर को भी आप कहें कि इस बारे में उन्हें अत्यन्त सतर्क रहना चाहिए।

डा० कर्णसिंह : वस्तुतः, कल मैं स्वयं हैरान हुआ था।

प्रो० मधु दंडवते : इस महीने की 17 तारीख को दस बजे एक समझौता हुआ था; आप इसे आंशिक समझौता अथवा अस्थायी समझौता भी कह सकते हैं। पत्र का प्रारूप आपके पास है और यदि आप इसे पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि स्पष्ट रूप से कई मामलों पर उनके बीच पहले ही समझौता हो गया था और कुछ मामलों पर जहां असहमति है उन्होंने कहा है कि सरकार इस मामले को पंच-निर्णय को सौंप दें। मेरा प्रश्न है कि क्या उस आंशिक समझौते को सदन के सामने रखना माननीय मन्त्री महोदय के लिए संभव होगा ताकि कतिपय सदस्यों के मन

में गलतफहमी न रहे कि ये विमान इंजीनियर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लगे हुए थे ? मुझे यह कहने की अनुमति दी जाये कि इस सदन में कुछ सदस्यों द्वारा कहा गया था कि ये लोग राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में जुटे हुए थे और तत्काल श्री शशि भूषण उठे और उन्होंने कहा था कि 'राष्ट्र विरोधी' शब्द का प्रयोग न करो और तब उस शब्द को वस्तुतः निकाल दिया गया। इसलिये, अनजाने में संसद सदस्यों के मनों में इस तरह का प्रभाव उत्पन्न करने के लिये क्या माननीय मन्त्री महोदय स्वयं उत्तरदायी नहीं हैं।

डा० कर्णसिंह : मजदूर संघ और प्रबन्धकों के बीच विचार-विमर्श कई दिनों से चल रहा था। वे मुझे और मेरे सहयोगी श्रम और पुनर्वास मन्त्री, श्री आर० के० खाडिलकर से भी मिले थे और उसी वार्त्ता के सिलसिले में उन्होंने यह एक और पत्र लिखा था। लेकिन कम से कम मेरे विचार से यह एक समझौता नहीं था। और इसके अतिरिक्त, धीरे काम करो के हथकंडे जारी थे, अतः मैं सदन के समक्ष विजयी के रूप में उपस्थित होने की स्थिति में नहीं था और न ही यह कह सकता था कि समझौता हो गया था अथवा यह मामला सुलझा लिया गया था क्योंकि मैं कोई प्रभाव नहीं डालना चाहता था जो गलत हो। विचार वैभिन्नय हो सकता है। मेरे विचार से यह समझौता अथवा मामले का निपटारा नहीं था। मुझे इतना ही कहना है।

अध्यक्ष महोदय : अब, प्रश्नकाल समाप्त होता है, और माननीय मंत्री महोदय ने स्थिति स्पष्ट कर दी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWER TO QUESTIONS

इण्डियन एयरलाइंस की बोइंग 737 विमान के लिये कोचीन हवाई अड्डे का प्रयोग "लोड पैनल्टी" के साथ करने की हिदायतें

* 501. **श्री एम० एम० जोज़फ** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के परिवहन और बिद्युत मंत्री ने हाल ही में केन्द्र सरकार से अनुरोध किया था कि वस इण्डियन एयरलाइन्स को यह हिदायत दे कि बोइंग 737 विमान के लिये कोचीन हवाई अड्डे का प्रयोग "लोड पेनल्टी" के साथ किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) : जी हां।

(ख) सुझाव पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया है, परन्तु इसे कार्यान्वित करना संभव नहीं हुआ है।

पी० एल०-480 निधि का उपयोग

* 505 **श्री वयालार रवि** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पी० एल०—480 निधि के अन्तर्गत जो राशि अमरीका के पास है उसमें से कितनी राशि 1970-71 और 1971-72 के भारत में खर्च की गयी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश:) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है, जिसमें मांगी गयी सूचना दी गयी है।

विवरण

1970-71 और 1971-72 में संयुक्त राज्य अमरीका की पी० एल० 480 निधियों में से खर्च की गयी रकम

प्रयोजन	खर्च की गयी रकम 1970-71 (12 महीने) (करोड़ रुपये)	अप्रैल से दिसम्बर, (9 महीने) (करोड़ रुक्ये)
1	2	3
(क) संयुक्त राज्य अमेरिका के इस्तेमाल के लिए, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की सूचना सेवा, संयुक्त राज्य अमेरीका के अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण और अन्य अमरीकी अभिकरणों द्वारा इस्तेमाल की गयी राशि शामिल है	33.94	33.69
इन आंकड़ों में निम्नलिखित भी शामिल हैं ।		
(क) भारत को राहत-कार्यों के लिए दी गयी वस्तुओं पर अमेरिका द्वारा अदा किया गया भाड़ा		
(ख) अमेरिका द्वारा स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा आदि क्षेत्रों में अनुसन्धान के लिए दिए गये अनुदानों के संबंध में व्यय		
(ग) संयुक्त राज्य अमेरिका के तकनीकी सहायता कार्यक्रम की रुपया लागत		
1	2	3
(ख) संयुक्त राज्य अमेरीका के पर्यटकों, नागरिकों और प्रतिष्ठानों द्वारा किए जाने वाले व्यय के लिए	1.34	0.85
ग अन्य निकासियां		
1 रुपयों का अन्य मुद्राओं में रूपान्तर	6.84	9.12
2 नेपाल को सहायता	9.50	—
3 भारत-अमेरीकी उद्यमों को कूल सहायता	9.38	12.60
4 भारत सरकार को ऋण	50.00	—
5 भारत सरकार को अनुदान	0.07	1.72
6 शिक्षा और चिकित्सा संस्थाओं को अनुदान	3.77	2.52
7 ग्रामीण विद्युत निगम को अनुदान	14.00	4.67
जोड़ 'ग'	93.56	30.63
कुल जोड़ क+ख+ग	128.34	65.17

1971-72 की अन्तिम तिमाही के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

प्रतिरक्षा कालेज में अमरीकी एजेंटों की मौजूदगी का आरोप

506. **श्री एच० एम० पटेल :** क्या रक्षा मंत्री यह बताये की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 मार्च, 1972 के "ब्लिट्ज" हमारे डिफेंस कालेज में अमरीकी एजेंट' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी, हां ।

(ख) हमारी रक्षा प्रशिक्षण संस्थानों में विदेशी छात्रों को दाखिल करते समय पूरा ध्यान रखा जाता है । दोनों अधिकारियों के सम्बन्ध में तथ्यों की पुनः जांच की गई है । उनके सम्बन्ध में तथ्यों को ठीक नहीं पाया गया है ।

अमरीकी सैनिक ऋण-सुविधाओं के बन्द होने के परिणाम स्वरूप प्रभारित परियोजनाओं का पुनर्विन्यास

*514 **श्री भारत सिंह चौहान :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार द्वारा सैनिक ऋण सुविधाओं के बन्द कर दिये जाने के परिणाम स्वरूप किसी रक्षा परियोजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो पूर्ण देशीकरण की दिशा में परियोजना का पुनर्विन्यास करने के लिये क्या प्रयत्न किए गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । इसे निष्प्रभावी करने के लिए कदम उठाए गए हैं । स्वदेशी विकास में तीव्रता लाई जा रही है ।

उद्योगों के विभिन्न क्षेत्रों द्वारा प्रयुक्त आवश्यक प्लास्टिक के कच्चे माल की कमी

*615. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रो-रसायन परियोजना को स्वीकृति देने में विलम्ब के परिणामस्वरूप लघु, मध्यम और संगठित क्षेत्रों के उद्योगों द्वारा प्रयुक्त आवश्यक प्लास्टिक के कच्चे माल की अत्यधिक कमी हो गई है ;

(ख) क्या कच्चे माल की कमी का परिणाम यह होगा कि उपभोगता उद्योगों में उत्पादन कम हो जाएगा, कुछ कारखाने बन्द हो जायेंगे और बेकारी तथा मूल्यों में वृद्धि हो जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) : जी नहीं । पेट्रो-रसायन परियोजनाएं जिसे अधिक पूंजी निवेश तथा अधिक समय की आवश्यकता हैं, को

5-6 वर्षों से अधिक की अवधि के अनुमानित मांग के आधार पर सामान्यतता आयोजित किया जाता है। 1968-69 से पूर्व आयोजित किए गए वर्तमान कारखानों से उपलब्ध उत्पादन, प्लास्टिक के कच्चे माल की मांग से थोड़ा सा कम हुआ है। जिस समय वर्तमान कारखानों का आयोजन किया गया था उस समय से प्लास्टिक के कच्चे माल की मांग परिकल्पित गति की तुलना में तीव्रता से बढ़ी है।

(ख) और (ग). कच्चे माल की उपलब्धता की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। कच्चे माल की उपलब्धता को अधिकतम करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं ताकि बाधाएं उपस्थित न हो सकें।

बोकारो इस्पात संयंत्र परियोजना के विस्तार में गार्डन रीच वर्कशाप्स लिमिटेड का योगदान

*516. **श्री वी० मायावन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र परियोजना के विस्तार के दूसरे और तीसरे चरणों में और अधिक सहयोग देने के लिये, गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड ने कोई योजनायें तैयार की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तैयार की गई योजनाओं की रूपरेखा क्या है और उनकी क्रियान्विति का कार्यक्रम क्या है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

बोकारी स्टील प्लांट परियोजना के विस्तार में गार्डन रीच वर्कशाप का बोकारो स्टील प्लांट के लिए शिल्प वैज्ञानिक उपस्कारों की सप्लाई के मामले में गार्डन रीच वर्कशाप केवल हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को छोड़ कर दूसरा बड़ा निर्माता है। बोकारी स्टील प्लांट के प्रथम चरण के लिए कम्पनी को 84 क्रेनों तथा कुल लगभग 8,200 टन विभिन्न शिल्प वैज्ञानिक उपस्करों के आर्डर प्राप्त हुए, इसके अतिरिक्त पाइप-लाइनें, फ्लेंज तथा पाइप फिटिंग, सिन्टरिंग प्लांट के रोटरी ड्रम कूलर, यांत्रिक क्रिस्टलाइज़र, छः सोकिंग गड्डों में गढ़ाई तथा उपस्करों का संस्थापन तथा कुछ गैर-मानक उपस्कर हैं।

2. विस्तार के प्रथम चरण के लिए उपस्करों की गढ़ाई के सम्बन्ध में गार्डन रीच वर्कशाप की प्रतिक्रिया से उत्साहित होकर बोकारो परियोजना के प्रबन्ध-वर्ग ने गार्डन रीच वर्कशाप लि० को सलाह दी है कि बोकारो इस्पात परियोजना के दूसरे तथा तीसरे चरणों के निर्माण में अधिक भाग लेने के लिए योजना बनाए।

3. बोकरो स्टील प्लांट के विस्तार के द्वितीय चरण के लिए अर्थात इस कारखाने की क्षमता को 17 लाख टन से बढ़ा कर 40 लाख टन करने के लिए गार्डन रीच वर्कशाप को अब

तक कुल लगभग 6403 टन के शिल्प वैज्ञानिक उपस्करों के आर्डर प्राप्त हुए हैं इसके अतिरिक्त कुल लगभग 479 टन ई ओ टी क्रेनों के आर्डर भी मिले हैं। यह आर्डर इस प्रकार पूरे किये जाने हैं :—

दिसम्बर 1972 तक	2274 टन
दिसम्बर 1973 तक	1900 टन
दिसम्बर 1974 तक	2056 टन
दिसम्बर 1975 तक	642 टन
कुल	6882 टन

उपर्युक्त वितरण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गार्डन रीच वर्कशाप ने अपना उत्पादन कार्यक्रम बना लिया है।

कम्पनी विस्तार के द्वितीय चरण के लिए अपेक्षित अन्य उपस्करों के लिए भी गार्डन रीच वर्कशाप कोटेशन भेज रहा है और उन्हें काफी अधिक आर्डर प्राप्त होने की आशा है।

4. इस विस्तार के ब्यौरों का अन्तिम रूप से निर्णय हो जाने के पश्चात् गार्डन रीच वर्कशाप लि०, बोकारो स्टील प्लांट के विस्तार के तृतीय चरण में भाग लेने के लिए योजना बनाएगा।

विजयन्त टैंक की कार्य-कुशलता

*517. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत युद्ध में पाकिस्तान द्वारा प्रयोग में लाये गये टैंकों की अपेक्षा अवाडी में निर्मित विजयंत टैंक अधिक अच्छे सिद्ध हुए हैं ; और

(ल) क्या आवाडी कारखाने की क्षमता को बढाने के लिए कोई कद उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) इस समय प्रयोग किये जाने वाले टैंकों में से विजयन्त को एक उत्तम टैंक के रूप में जाना जाता है। हाल के संघर्ष में पाकिस्तान ने चूंकि विभिन्न प्रकार के टैंकों का प्रयोग किया था : अतः वास्तविक तुलना करना सम्भव नहीं है।

(ख) अवाडी कारखाने की क्षमता को बढ़ाने के उपायों को क्रियान्वित किया जा रहा है।

SCHEME TO ATTRACT TOURISTS DURING FIFTH FIVE YEAR PLAN

***518. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :**

(a) whether at the inaugural ceremony of the First Youth Hostel at Jaipur during the last week of March, 1972, he stated that a scheme was being formulated to attract ten lakh foreigh tourists during the Fifth Plan; and

(b) if so, outlines of the scheme ?

The Minister of Tourism And Civil Aviation : (Dr. Karan Singh) (a) & (b). While no firm target was given, the hope was expressed that the figure of tourist arrivals could be in the neighbourhood of one million. The Department of Tourism is preparing the tourism infra-structure on the basis that tourist arrivals during the Fifth Plan period should be doubled from an estimated 400,000 in 1973 to 800,000 in 1978. A million tourists should be achieved by the end of the decade, *i. e.* 1980.

बड़ौदा के निकट नैफ्था क्रैकर कारखाने

*519. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ौदा के निकट पेट्रो-रसायन उद्योग समूह में 30 करोड़ की लागत वाले क्रैकर कारखानों ने इस बीच काम करना शुरू कर दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) ये कारखाने कब तक काम करना शुरू कर देंगे ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ग). गुजरात पेट्रो-रसायन उद्योग समूह में नैफ्था क्रैकर तथा डाऊन स्ट्रीम प्रयोजनाओं के 1974 में चालू किये जाने का कार्यक्रम है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Scheme to set up Factories for Manufacturing Synhetic Rubber

*520. Shri R. V. Bade : Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state :

(a) whether Government have any scheme to set up factories for manufacturing synthetic rubber ;

(b) if so, the names of the places where these factories are proposed to be set up ; and

(c) the expenditure likely to be incurred thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh) :

(a) to (c). A unit to manufacture of 20,000 tonnes of Stereo Specific Polybutadiene Rubber is proposed to be set up in the public sector as down-stream unit of the Gujarat Olefines Project at Baroda. The estimated capital outlay for this project is 13.50 crores including a foreign exchange component of Rs. 3.43 crores.

दिल्ली में कैमिस्टों द्वारा ऑक्सीजन गैस की सप्लाई न किया जाना

3442. श्री देवेन्द्र सिंह गरचा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली के कैमिस्ट विभिन्न कारणों से ऑक्सीजन गैस को अपनी बिक्री सूची से निकाल रहे हैं ; और राजधानी

में ऑक्सीजन निर्माताओं ने दुकानों को ऑक्सीजन गैस के सिलेन्डर न सप्लाई करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऑक्सीजन की सामान्य सप्लाई बनाये रखने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख). जी हां, सरकार ने इस सम्बन्ध में रिपोर्ट देखी है। किन्तु दिल्ली में आक्सीजन गैस सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है तथा सुपर बाजार एवं अधिकांश कैमिस्टों के पास सिलेंडरों का पर्याप्त स्टाक है। निकट भविष्य में भी दिल्ली में इन सिलेंडरों की कोई कमी होने का पूर्वानुमान नहीं है।

पालामाऊ, बिहार में स्टेट बैंक आफ इंडिया की गड़वा शाखा द्वारा दिये गये ऋण

3443. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालामाऊ, बिहार में स्टेट बैंक आफ इंडिया की गड़वा शाखा द्वारा किसानों और निर्धनों को ऋण सुविधा से वंचित रखा जा रहा है ;

(ख) यदि नहीं, तो कितने लोगों को ऋण दिये गये ; और

(ग) बैंक में कुल कितने आवेदन-पत्र ऋणों की मंजूरी के लिये पड़े हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भारत में विदेशी बैंकों का कार्य

3444. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में काम कर रहे विदेशी बैंकों के नाम तथा संख्या क्या है और उन प्रत्येक बैंकों की वर्तमान कार्यरत पूंजी कितनी है ; और

(ख) इन बैंकों में इस समय कितने भारतीय काम कर रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). देश में काम कर रहे 12 विदेशी बैंकों के नाम और 26 नवम्बर, 1971 को उनकी कार्यचालन पूंजी, विवरण में दिखायी गयी है। 30 अप्रैल, 1970 को अर्थात् उस अन्तिम तिथि को, जब तक के आंकड़े उपलब्ध हैं, भारत में विदेशी बैंक द्वारा 10295 भारतीयों को काम पर रखा हुआ था।

विवरण

(लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	विदेशी बैंकों के नाम	31-12-1971 की कार्यचालन पूंजी
1	नेशनल एण्ड ग्रिण्डलेज बैंक लि०	327,81
2	फर्स्ट नेशनल सिटी बैंक	100,74
3	चार्टर्ड बैंक	9103
4	मर्केन्टाइल बैंक	4940
5	अमेरिकन एक्सप्रेस आई० वी० सी०	4785
6	बैंक आफ अमेरिका एन० टी० एण्ड एस० ए०	4753
7	हांककांग-शंधाई बैंकिंग कारपोरेशन	1668
8	बैंक आफ टोकियो लि०	1224
9	अल्गेमिने बैंक आफ नीदरलैण्ड एन० बी०	743
10	बैंक नेशनल डी० पेरिस	1106
11	ब्रिटिश बैंक आफ दी मिडिल ईस्ट	873
12	मितसुई बैंक	339
	जोड़	723,89

विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा पूंजी निवेश

3445. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

31 दिसम्बर, 1971 तक तीन प्रमुख विदेशी तेल कम्पनियों ने अपने कार्यों में जिनमें उनके तेल शोधक कारखाने भी शामिल हैं, कितनी-कितनी पूंजी लगाई हुई है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : तीन प्रमुख विदेशी तेल कम्पनियों की शोधनशालाओं सहित इन कम्पनियों द्वारा निवेशित पूंजी 31 दिसम्बर 1970 को निम्न प्रकार थी :—

(लाख रुपयों में)

	धनराशि
1. बर्मा शैल	6066.00
2. कालटैक्स	1633.48
3. एस्सो	2901.70

31 दिसम्बर 1971 से सम्बन्धित सूचना अभी उपलब्ध नहीं है ।

विदेशी कम्पनियों द्वारा निवेश

3446. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969 से 1971 के दौरान विदेशी कम्पनियों ने किन-किन उद्योगों और कारखानों में पूंजी लगाई और प्रत्येक उद्योग और कारखाने में वास्तव में अलग-अलग कितनी पूंजी लगाई गई ; और

(ख) प्रत्येक कम्पनी ने अलग-अलग कितनी पूंजी लगाई और प्रत्येक कम्पनी ने विदेशी मुद्रा के रूप में प्रतिवर्ष कितनी धनराशि अपने देशों में भेजी और बाकी राशि को भारत में खर्च करने की शर्तें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें 1969 और 1970 के वर्षों के दौरान भारतीय औद्योगिक कम्पनियों के शेयरों के अनिवासियों को किये गए निर्गम के बारे में बताया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 1815/72]। 1971 के वर्ष के सम्बन्ध में इस प्रकार की सूचना अभी उपलब्ध नहीं है। विवरण में कुछ ऐसे मामले शामिल नहीं हैं जिनके बारे में पूरी सूचना उपलब्ध नहीं है ; यह सूचना इकट्ठी की जा रही है और लोक सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) इसी अवधि के दौरान कम्पनियों द्वारा विदेशी निवेशकों को भेजे गये लाभांशों के सम्बन्ध में सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है।

स्टेट बैंक आफ इंडिया नई दिल्ली में नये पद का सृजन

3447. **श्री राजराज सिंह देव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 मार्च, 1972 के "मदरलैंड" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है कि श्री बी० पी० मल्होत्रा, जो कि स्टेट बैंक आफ इण्डिया के 60 लाख रुपये के घोखाधड़ी के मामले में अन्तर्ग्रस्त था, के लिए एक विशेष पद का सृजन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). स्टेट बैंक आफ इंडिया ने अपने भूतपूर्व मुख्य कैशियर श्री वी० पी मल्होत्रा के लिये, जो विभागीय कार्रवाई पूरी होने तक निलम्बित है, कोई विशेष पद नहीं बनाया गया है।

तस्करी के मामले

3448. **श्री वयालार रवि** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 में सीमाशुल्क विभाग के अधिकारियों ने तस्करी के कितने मामले पकड़े और कुल कितनी कीमत का तस्करी का माल बरामद किया ; और

(ख) तस्करी के बढ़ते हुए व्यापार का हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) वर्ष 1971-72 में (फरवरी 1972 तक) सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा पता लगाये गये तस्करी के मामलों की संख्या 38,679 थी तथा इस अवधि में पकड़े गये माल का मूल्य निम्नानुसार था :—

सोना	1.34 करोड़ रु० (अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा दर पर)
अन्य वस्तुएं	17.31 करोड़ रु० (भारतीय बाजार दर पर)

(ख) तस्कर-व्यापार की वित्त व्यवस्था के लिये, विदेशी मुद्रा विनिमय नियंत्रण व्यवस्था से होने वाली विदेशी मुद्रा की हानि, दुर्लभ विदेशी मुद्रा को उत्पादनकारी प्रयोजनों से अपवर्तित करके, हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है ।

Accommodation for Income-Tax Offices in Madhya Pradesh

3449. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether there are no buildings for housing Income-Tax offices and for providing accommodation to officials working therein in several Districts of Madhya Pradesh ; and

(b) if so, whether Government propose to make arrangements for office buildings a nd residential accommodation for the Income-Tax officials in Madhya Pradesh ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) Out of 26 stations where Income-tax offices function in Madhya Pradesh, Government office buildings exist only at five places. No departmental residential accommodation exists at any station in Madhya Pradesh.

(b) Instructions have been issued to the Commissioner of Income-tax to submit specific proposals for acquiring land for the purpose and also to submit proposals for construction where land is already available with the Department so that a beginning may be made to put up some residential accommodation subject to availability of funds.

Allocation of funds for projects in Madhya Pradesh Undertaken During Famine year 1967-68

3450. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether Government propose to allocate funds for completion of work on roads, minor irrigation and soil conservation projects which were started in Madhya Pradesh during the famine of 1967-68 ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) and (b). The State Governments are primarily responsible for taking up relief measures in the wake of a natural calamity. As per the presecribed procedure, the Government of India provides financial assistance to meet the immediate requirements. The funds necessary in subsequent years for maintenance or completion, if any, or works taken up in such relief programmes have to be provided by the State Governments from their own resources.

Steps to develop Onkareshwar (Madhya Pradesh) As a Tourist Centre

3451. Shri G. C. Dixit : Will the Minister Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Onkareshwar is a place of great scenic beauty in Madhya Pradesh and can prove to be a centre of attraction for tourists ; and

(b) if so, the steps being taken to develop it as a tourist centre ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b). The Government are aware of the Scenic beauty of Onkareshwar and of its importance as place of pilgrimage. However, due to Plan priorities there is no proposal at present to develop this place in the Central sector.

Scheduled Castes and Scheduled Tribes Employees in Nationalised Banks of Madhya Pradesh

3453. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the percentage of Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates selected for Class III and Class IV posts in the nationalised banks in Madhya Pradesh during the last six months ;

(b) the number of applications received for the said posts and the percentage of applicants selected ; and

(c) the number of posts filled up by appointment of condidates belonging to other communities due to non-availability of suitable candidates belonging to Scheduled Castes and Schedulee Tribes ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the table of the House.

Arrest of Smugglers in Madhya Pradesh

3453. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the number of smugglers arrested or detained in Madhya Pradesh from 1st July, 1971, to 31st December, 1971 ; and

(b) the value of the smuggled goods seized during the said period ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) Seven persons were arrested in Madhya Pradesh from 1st July, 1971 to 31st December, 1971.

(b) The value of the Smuggled goods seized during the said period is Rs. 4.42 lakhs approximately.

शिमला में हवाई अड्डा

3454. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शिमले में एक हवाई अड्डा बनाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो वह उपयोग के लिये कब तक तैयार हो जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता।

जीवन बीमा निगम की मकान ऋण योजनाएं

3455. **श्री अम्बेश** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के उन नगरों

के नाम क्या हैं जो भारतीय जीवन बीमा निगम की 'मकान ऋण योजना' के अन्तर्गत आते हैं ?

वित्त मंत्रालयमें राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : जीवन बीमा निगम 'सम्पत्ति बन्धक' योजना और 'अपनी मालिकी का घर बनाओ' योजना के अन्तर्गत आवास के लिए ऋण सहायता उपलब्ध करता है। ये योजनाएं अब निम्नलिखित केन्द्रों में चल रही है [इसका विवरण ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1816/72]

सशस्त्र सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नति के संबंध में नीति

3456. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेना के तीनों अंगों में वरिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नत करने के बारे में एक स्पष्ट नीति तैयार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं। सरकार ने इस विषय में पहले ही एक स्पष्ट नीति बना रखी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हाथ से बने धातु के धागों का पकड़ा जाना

3457. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में (वर्षवार) कितनी मात्रा में तथा कितनी कीमत का हाथ से बना धातु का धागा (रेडियट यार्न) तस्करी विरोधी अभियान के दौरान पकड़ा गया;

(ख) पकड़ा गया माल किन-किन देशों से तथा किन-किन देशों के रास्ते (अथवा मार्गों से) भारत में लाया गया;

(ग) देश में चल रही धागे की भारी तस्करी के परिणामस्वरूप देश को कितनी विदेशी मुद्रा की हानि होने की आशंका है ; और

(घ) भारत में इसकी तस्करी के क्या कारण है और इस तस्करी का और इसमें परिणामस्वरूप होने वाली विदेशी मुद्रा की हानि को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा वर्ष 1969, 1970 तथा 1971 में पकड़े गये धातु के धागे (रेडिएंट यार्न) का भारतीय बाजार दर मूल्य क्रमश: 248 लाख रुपया, 292 लाख रुपया और 188 लाख रुपया था।

(ख) पकड़ा गया धागा जापान में बना हुआ है और उसका तस्कर-आयात मुख्यतया डुबई से होकर और कुछ सीमा तक नेपाल से होकर किया गया था।

(ग) इस तस्कर-व्यापार के कारण विदेशी मुद्रा की हानि का अनुमान लगाना कठिन है।

(घ) भारत से बाहर धातु के धागे 10,000 मीटर की प्रति रील का मूल्य लगभग 4.50 रु० है। भारत में प्रति रील का मूल्य 1969 तथा 1970 में काफी ऊंचा अर्थात् 22/-रु० से 24/-रु० तक था जो धीरे-धीरे कम हो गया है और लगभग 14/-रु० से 15/-रु० प्रति रील तक है।

तस्कर-व्यापार को रोकने के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे उपाय निम्नानुसार हैं : व्यवस्थित ढंग से सूचना एकत्र करना और उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करना, जिन व्यक्तियों पर तस्कर व्यापार करने का संदेह है उन पर निगरानी रखना, जिन जलयानों अथवा वायुयानों पर संदेह हो उनकी तलाशी लेना तथा समुद्रतट और स्थल सीमाओं को सुगमता से पार कर सकने योग्य क्षेत्रों की जांच करना। प्रभावी अवरोधन, निवारक आदि कार्यों के लिए समय-समय पर अतिरिक्त नौकाओं तथा गाड़ियों की व्यवस्था की जाती है। सुगमता से पार कर सकने योग्य क्षेत्रों में अनन्य रूप से तस्कर विरोधी कार्य की देख भाल करने के लिए सीमाशुल्क के समाहर्ता, समाहर्ता तथा सहायक समाहर्ता जैसे वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात किया गया है। कुछ वस्तुओं के अवैध आयात-निर्यात को रोकने तथा उनका पता लगाने के कार्यों को सुविधाजनक बनाने के निमित्त विशेष उपाय करने के लिए सीमाशुल्क अधिनियम को संशोधित करके अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई हैं। स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जाती है।

भारत और पाकिस्तान के बीच वायु युद्ध

3458. **श्री वरके जार्ज** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार ने दिनांक 20 फरवरी, 1972 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचार को देखा है जिसमें 'दि टाइम्स' लंदन के माध्यम से पाकिस्तान ने दावा किया है कि भारत के विरूद्ध हुए दिसम्बर के युद्ध में उसने वायु युद्ध को जीता था; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) लन्दन के 'दि टाइम्स' में प्रकाशित लेख ने गलत और इकतरफा स्थिति प्रकट की है जो परिचित और स्वीकृत तथ्यों पर आधारित नहीं है।

त्रिवेन्द्रम शहर का दर्जा बढ़ाना

3459. **श्री ए० के० गोपालन**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल की राजधानी, त्रिवेन्द्रम शहर का दर्जा बढ़ा कर 'बी' श्रेणी करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) मकान किराया भत्ते की और प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ते की मंजूरी के प्रयोजनों के लिये शहरों/नगरों के, जिनमें त्रिवेन्द्रम भी शामिल है, वर्गीकरण/पुनर्वर्गीकरण के प्रश्न पर विचार, 1971 की जन-गणना के अंतिम आंकड़े उपलब्ध होने के बाद ही किया जा सकेगा।

कोचीन नगर का दर्जा बढ़ाना

3460. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोचीन नगर को, इसकी बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए, 'बी' श्रेणी का दर्जा देने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) मकान किराया भत्ते और प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ते की मंजूरी के प्रयोजनों के लिये शहरों/नगरों के, जिनमें कोचीन भी शामिल है, वर्गीकरण/पुनर्वर्गीकरण के प्रश्न पर विचार, 1971 की जनगणना के अन्तिम आंकड़े उपलब्ध होने के बाद ही किया जा सकेगा।

पौलिथीन के निर्माण हेतु लाइसेंसों का जारी करना

3461. **श्री डी० पी० जडेजा :**

श्री वेकारिया :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पौलिथीन का निर्माण करने वाले उन कारखानों के नाम, राज्य-वार क्या हैं जिन्हें लाइसेंस जारी किए गए हैं; और

(ख) इन कारखानों की उत्पादन क्षमता क्या है और इन कारखानों का वास्तविक उत्पादन कितना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख)

क्रम संख्या	एकक का नाम	लाइसेंस की गई क्षमता (मीटरी टनों में)	1971 में वास्तविक उत्पादन (मीटरी टनों में)	राज्य जिसमें यह स्थिति है
1.	एलकली एण्ड कैमिकल कारपोरेशन आफ इंडिया लि०	10,000	12,391	पश्चिमी बंगाल
2.	यूनियन कारबाइड इंडिया लि०	10,000	15,106	महाराष्ट्र
3.	पोलियोलिफिन्स इंडस्ट्रीज लि०	*20,000	24,059	महाराष्ट्र

*हाई डैन्सिटी पौलिथिलीन के लिये।

सरकारी उद्यम ब्यूरो द्वारा लघु सहायक उद्योगों को प्रोत्साहन देने के मार्गदर्शन किया जाना

3462. **श्री राजदेव सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उद्यम ब्यूरो ने लघु सहायक उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए सभी सरकारी उपक्रमों को कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त भेजे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) : जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार के 44 औद्योगिक और निर्माणकारी उद्यम ऐसे हैं जिनका सम्बन्ध मार्गदर्शी सिद्धान्तों के क्रियान्वयन से है। इनमें से 38 उद्यमों में एक-एक वरिष्ठ अधिकारी को विशिष्ठ रूप से सहायक उद्योगों के विकास की देखरेख के लिए नियुक्त कर लिया है। सहायक एककों की स्थापना करने में, होनहार पार्टियों के लिए उपयुक्त तकनीकी एवं अन्य सहायता की व्यवस्था करने के अलावा, काफी अधिक अनुसंधानात्मक और प्रचारात्मक कार्य करना पड़ता है। यह अवश्य ही एक धीमी प्रक्रिया है। अब तक 11 उद्यमों ने सहायक विकास के लिए उत्पादन की मदों को चुन लिया है और उन्हें निर्धारित कर लिया है और 5 उद्यमों ने भी ऐसे सहायक एककों को चुन लिया है जिन्हें तकनीकी और अन्य सहायता देनी है। तीन उद्यमों ने इस प्रकार के एककों के साथ खरीद करार भी कर लिये हैं।

समाचारपत्रों से हुए लाभों को उद्योग धन्धों में लगाने का आरोप

3463. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :
श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

क्या कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के प्रमुख समाचार पत्र अपने लाभ का काफी भाग अन्य उद्योग धन्धों में लगा रहे हैं और यदि हां, तो कितना; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में उच्चस्तरीय जांच कराने का है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) 1969-70 के अन्त तक, औद्योगिक गुहों से सम्बद्ध नौ समाचार-पत्र कम्पनियों के औद्योगिक उपक्रम में लगभग 448 लाख रुपयों के नियोजन थे। इसमें उनके लाभ से कितना अंश दिया गया था, की सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव, वर्तमान में सरकार के विचाराधीन नहीं है।

Loans Advanced to Farmers of Gaya, Bihar by Nationalised Banks

3464. **Shri Iswar Chaudhry** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the amount of loans advanced by the State Bank of other nationalised bank to farmers of Gaya District in Bihas for agricultural purposes;

(b) whether farmers have been facing great difficulties in getting loans from the banks: and

(c) whether Government propose to take any steps to ensure that farmers do not face any difficulty in getting loans from banks ?

The Minister of state in the Ministry of Finance(Shri K. R. Ganesh) : (a) to (c). The information, to the extent possible, is being collected and will be laid on the Table of the House.

7. 8 मार्च 1972 को सरकारी दौरे पर कलकत्ता गये भारतीय उर्वरक निगम के अधिकारी/कर्मचारी

3465. **श्री जगदीश नारायण मंडल :**
श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उर्वरक निगम के उन अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या, नाम और पदनाम क्या हैं जो 7-8 मार्च, 1972 को सरकारी दौरे पर कलकत्ता में थे;

(ख) उनके कलकत्ता जाने पर कुल कितना खर्च हुआ;

(ग) क्या इन तिथियों में वे कलकत्ता किसी विशेष निजी समारोह में सम्मिलित होने के लिए दौरे पर गये थे और क्या वहां वे ऐसे किसी समारोह में सम्मिलित हुए थे; और

(घ) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भारतीय उर्वरक निगम की बिगड़ती हुई स्थिति के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच

3466. **श्री जगदीश नारायण मंडल :**
श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ संसद सदस्यों ने, भारतीय उर्वरक निगम की बिगड़ती हुई स्थिति के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराये जाने की अविलम्ब आवश्यकता पर सरकार का ध्यान दिलाया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) के कुछ सदस्यों द्वारा भारतीय उर्वरक निगम के प्रबन्धकों के विरूद्ध लगाए संसद गये आरोपों के एक ज्ञापन की प्रतियां प्राप्त हुई हैं । इसके पश्चात् इन आरोपों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराने के लिए प्रार्थना-पत्र भी प्राप्त हुआ है ।

(ख) सरकार इस समय इन आरोपों की जांच कर रही है ।

भारतीय उर्वरक निगम के कार्यकरण की जांच के लिए उच्च शक्ति प्राप्त आयोग

3467. **स्वामी ब्रह्मानन्द जी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1971 में अनेक संसद सदस्य द्वारा दिए गए ज्ञापन में भारतीय

उर्वरक निगम में हो रहे भ्रष्टाचार, हानि, भाई भतीजावाद, वर्गवाद, और नैतिक पतन के विशिष्ट संदर्भ में, भारतीय उर्वरक निगम के कार्य करण की जांच करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग को नियुक्त करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है; और

(ग) आयोग को कब तक नियुक्त किया जाने की संभावना है और इसके निदेश पद क्या होंगे ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) भारतीय उर्वरक निगम के कार्यकरण की जांच करने के लिये उच्च शक्ति प्राप्त आयोग को नियुक्त करने के बारे में इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। संसद सदस्यों से प्राप्त ज्ञापन, जिसमें भारतीय उर्वरक निगम के प्रबन्धों के विरूद्ध शिकायतें की गई हैं, की जांच-पड़ताल की जा रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

No Levy of 'Refugee Relief' Tax in Jammu and Kashmir

3468. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether Jammu and Kashmir State has been exempted from the taxes evied as "Refugee Relief"; and

(b) if so, the reasons therefore ?

The Minister of State the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) (a) & (b) . The duties/tax imposed under the Stamp and Excise Duties (Amendment) Act, 1971 and the Railways Passengers Fares Act, 1971, apply to the whole of India including the State of Jammu & Kashmir. The Tax on Postal Articles Act, 1971 and the Inland Air Travel Tax Act, 1971 do not, however, extend to the State of Jammu & Kashmir as the relatable provisions of the Constitution do not apply to that State at present. The relevant provisions are being applied to the State of Jammu & Kashmir by a President's Order under Article 370 of the Constitution. Necessary legislation to extend the taxes under these Acts will be undertaken after the Order has issued.

सरकारी उपक्रमों में तकनीकी कर्मचारियों का सेवा छोड़ कर चले जाना

3469. **श्री नवल किशोर शर्मा :**

श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों में काम कर रहे तकनीकी कर्मचारी अपने पदों को शीघ्रता से छोड़ते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) क्या उन तकनीकी कर्मचारियों को भविष्य में उन्नति के अवसर प्रदान करने, उनकी उपलब्धियों तथा अन्य सुविधाओं में सुधार लाने के लिये कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) कुछ बड़े सरकारी उद्यमों के सम्बन्ध में इस विषय पर जो अध्ययन किया गया था, उससे पता चला है कि तकनीकी कार्मिकों द्वारा पद-त्याग असाधारण स्तर पर नहीं हुआ है और पद छोड़कर जाने वाले तकनीकी कार्मिकों की संख्या अलग-अलग प्रतिष्ठानों में अलग-अलग है।

(ख) और (ग) . अध्ययन के अनुसार, तकनीकी कार्मिकों के पद छोड़कर चले जाने का एक महत्त्वपूर्ण कारण यह रहा है कि कुछ एक उद्यमों में विकास की सम्भावनाएं कम होने के कारण इन कार्मिकों का मनोबल कम हो गया था। अन्य सहायक कारण थे—वातावरण सम्बन्धी पहलू जैसे वैज्ञानिक जनशक्ति सम्बन्धी आयोजन का अभाव, प्रबन्धक विकास योजनाओं की अपर्याप्तता, पदोन्नति सम्बन्धी नीतियों का असम्यक निर्धारण, गलत स्थापन, कार्य सम्बन्धी संतोष की अपर्याप्तता आदि। इन समस्याओं को हल करने की प्रमुख जिम्मेदारी उन सम्बद्ध कम्पनियों के प्रबन्धकों पर ही होगी, जिनको अध्ययन के परिणामों की सूचना दी गयी है। सरकार ने भी समय-समय पर इन उपक्रमों को, इनकी अर्थ-क्षमता को बढ़ाने की दृष्टि से और ज्यादा कार्यकुशलता प्राप्त करने के लिए की जाने वाली कार्रवाईयों के अलावा इस प्रकार के मामलों पर, जैसे उचित प्रबन्ध प्रशिक्षण और विकास योजनाओं को अपनाना, वैज्ञानिक प्रबन्धकीय मूल्यांकन करना, वेतन तथा ग्रेडों के ढांचे को शक्तियों का प्रत्यायोजन करना तथा भरती की उचित नीतियां युक्तिसंगत बनाना, का निर्धारण करना आदि के सम्बन्ध में विस्तृत हिदायतें जारी की हैं।

इंडियन ड्रिग्ज एण्ड फार्मास्यूटिकल्ज लिमिटेड में उत्पादन

3470. **डा० रामेन सेन** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी सहायता प्राप्त इंडियन ड्रिग्ज एंड फार्मास्युटिकल्ज लिमिटेड से शल्य चिकित्सा उपकरणों का उत्पादन लक्ष्य के अनुसार हो रहा है और क्या इसके उत्पादों के लिए विदेशों से प्राप्त आर्डर पड़े हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान उत्पादन क्षमता क्या है और निर्धारित लक्ष्य के अनुसार उत्पादन करने तथा इसके द्वारा निर्मित शल्य चिकित्सा उपकरणों के निर्यात का संवर्धन करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) . सर्जिकल इन्स्ट्रूमेंट प्लांट को प्रतिवर्ष 2.5 मिलियन संख्याओं के विशिष्ट उत्पाद-मिश्र के 166 किस्मों के औजारों को तैयार करने के लिए रूपांकित किया गया था। मांग की कमी के कारण औजारों को कुछ किस्मों का उत्पादन नहीं किया जा रहा है किन्तु इस कारखाने के वार्षिक उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है अर्थात 1969-70 में औजारों की संख्या 1.7 लाख; 1970-71 में 4.23 लाख तथा 1971-72 में 5.64 लाख तक वृद्धि हुई। कारखाने ने, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा अपेक्षित आधारित शल्य चिकित्सा के लिए औजारों

तथा परिवार नियोजन हेतु अपेक्षित औजारों के उत्पादन में भी वृद्धि के लिए उपाय अपनाये हैं। वर्ष 1972 में कार्यान्वियन के लिए, कम्पनी के पास 37.38 लाख रुपये मूल्य के 4.61 लाख के निर्यात के आर्डर प्राप्त हैं : निर्यात में वृद्धि करने के लिए यथासंभव, और उपाय अपनाये जा रहे हैं।

New kind of Fibre Discovered by the Chemicais and Fibres of India Ltd.

Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of Petroleum and Chemicals be plesed to state :

(a) whether the Chemicals and Fibres of india Ltd. has discovered a new kind of fibre; and

(b) if so, the broad outlines of the discovery ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh) : (a) & (b). The Government has no information.

सरकारी क्षेत्र के निगमों के वर्तमान प्रबन्धक ढांचे का पुनर्गठन

3472. **श्री बा० के० दास चौधरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के वर्तमान प्रबन्धक ढांचे का पूरी तरह से पुनर्गठन करने के प्रश्न पर सरकार ने विचार किया हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के प्रबन्ध सम्बन्धी वर्तमान ढांचे के पूर्णतः पुनर्गठन के सम्बन्ध में इस समय विचार करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता क्योंकि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को दृष्टिगत रखते हुए इस सम्बन्ध में व्यापक समीक्षा की गई थी। जिसे अधिक समय नहीं हुआ है। फिर भी सरकारी उद्यमों की संगठन सम्बन्धी और प्रबन्ध सम्बन्धी प्रभावकारिता में सुधार करने के विचार से सरकार कतिपय प्रस्तावों पर विचार कर रही है उदाहरणार्थ निदेशक मण्डल की रचना को युक्ति संगत बनाना, प्रबन्धक वर्गीय कार्मिकों की भर्ती और विकास के सम्बन्ध में अधिक प्रगतिशील नीतियों को अपनाने के उपाय करना आदि।

नाइलोन टैक्सटाइल फिलामेंट यार्न एककों का उत्पादन बढ़ाने के लिए जारी किए गए आशय पत्र

3473. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नाइलोन टैक्सटाइल फिलामेंट यार्न एककों का उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्यों में आवेदकों को आशय पत्र जारी किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) नये यूनिटों, जिनमें से प्रत्येक की प्रतिवर्ष 2100 मीटरी टन नायलोन फिलोमेंट यार्न के निर्माण की क्षमता होगी, की स्थापना के लिए असम, मैसूर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश, गुजरात और केरल (राज्य) के राज्य औद्योगिक विकास निगमों को आशय पत्र जारी किये गये हैं। हाल ही में गैर सरकारी क्षेत्र के तीन यूनिटों को अपने उत्पादन के वर्तमान स्तर को प्रतिदिन 12 मीटरी टन की क्षमता तक विस्तार करने की भी अनुमति दी गई है।

(ख) राज्य औद्योगिक विकास निगमों को जारी किये गये आशय पत्रों में निम्नलिखित शर्तें निहित है :

(1) प्लांट एवं मशीनरी के आयात की व्यवस्था तथा विदेशी सहयोग की शर्तें सरकार को संतुष्टि के अनुसार तय की जायेंगी।

(2) यदि प्रयोजना की वित्त-व्यवस्था के लिए बाहरी-पार्टियों को साम्य शेयरों की पेशकश करनी पड़ती है, तो नायलोन यार्न के प्रयोगकर्त्ताओं की सहकारिताओं को ऐसे साम्य शेयरों को प्रदान करने में वरीयता देनी चाहिए।

(3) निगम का 26% को एक न्यूनतम साम्य शेयर होना चाहिए तथा वह अकेला ही सबसे बड़ा अंशधारी होना चाहिए; जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय एवं प्रबन्धकीय नियंत्रण बनाये रखना सुनिश्चित हो। प्रायोजना में प्राईवेट पार्टियों को सम्मिलित करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में निगम को केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ेगी ;

(4) कोई एकाकी विक्रय एजेंट नियुक्त नहीं किया जायेगा तथा उपभोक्ताओं को सज्जित उत्पादों का सीधे तौर पर वितरण किया जायेगा।

(5) अन्तिम उत्पाद के लिये उपक्रम द्वारा किये जाने वाला मूल्य, पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के परामर्श से औद्योगिक विकास मंत्रालय की संतुष्टि के अनुरूप तय किया जाना चाहिये।

गैर-सरकारी क्षेत्र के तीन यूनिटों को जारी किये गये आशय पत्रों में उनकी वर्तमान क्षमताओं के विस्तार के लिए निम्नलिखित शर्तें निहित हैं :

(अ) प्रमुख सामग्री के आयात के प्रबन्ध तथा विदेशी सहयोग की शर्तें, यदि कोई हुई, सरकार की संतुष्टि के अनुसार तय की जायेगी।

(ब) आशय-पत्र की 6 मासों के वैधता की अवधि में कोई वृद्धि नहीं की जायेगी तथा औद्योगिक लाइसैन्स के जारी होने की तिथि से 18 महीनों की अवधि के अन्तर्गत विस्तार-कार्य, पूरा किया जायेगा।

(स) अन्तिम उत्पाद के लिए उपक्रम द्वारा लिये जाने वाला मूल्य, पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के परामर्श से औद्योगिक विकास मंत्रालय की संतुष्टि के अनुरूप तय किया जाना चाहिये।

सरकारी तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा गुजरात में परियोजनाओं को दिए गए ऋण

3474. **श्री वेकारिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार अथवा सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा गुजरात में उद्यमकर्त्ताओं को मध्यम तथा बड़े क्षेत्रों में किन-किन परियोजनाओं के लिये ऋण दिये गये हैं;

(ख) क्या दिए गए ऋण कई मामलों में समुचित रूप से उपयोग नहीं किए गए और कोई नए एकक नहीं खोले गये; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

जयपुर नगर का पुनर्वर्गीकरण

3475. **श्रीमती भार्गवी तनकम्पन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर को 'बी' श्रेणी के नगर का दर्जा देने का एक प्रस्ताव सरकार के पास काफी समय से विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कब तक निर्णय लिये जाने की आशा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) : दिसम्बर 1963 में सरकार ने जयपुर के पुनर्वर्गीकरण के प्रश्न पर विचार किया था और तब उस शहर को 1 जनवरी 1964 से 'बी-2' वर्ग में रखा था । शहरों/नगरों के, जिनमें जयपुर भी शामिल है, वर्गीकरण/पुनर्वर्गीकरण के प्रश्न पर अब विचार, 1971 की जनगणना के अन्तिम आंकड़े उपलब्ध होने के बाद ही किया जा सकेगा ।

Study team on Centre-state Finances

3476. **Shri Jagannathrao Joshi :**

Shri Ramsahai Pandey :

Will the Minister of Finance pleased to state :

(a) whether the Study Committee on Central and State Finances has submitted its Report to Government;

(b) if so, the main recommendations made therein; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) to (c) : Presumably the hon. Member is referring to the Study Group of the Planning on Centre State Fiscal Relations. The Study Group has submitted only a part of the Study Group are at present under consideration.

भारतीय उर्वरक निगम के जोधपुर एकक को हुई हानि

3477. **श्रीमती सावित्री श्याम :**

श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उर्वरक निगम द्वारा पट्टे पर ली गई जिप्सम खानों से निकाले गये घटिया किस्म के जिप्सम के न बिकने के कारण इस निगम के जोधपुर एकक को प्रतिवर्ष कितनी हानि हुई;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान सरकार से भारतीय उर्वरक निगम को जिप्सम बेचने की अनुमति देने को कहा है और यदि हां, तो इसके प्रति राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या घटिया किस्म के जिप्सम के बेचने के लिए भारतीय उर्वरक निगम पर ही प्रतिबन्ध लगाया गया है जबकि अन्य फर्मों पर यह प्रतिबन्ध नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है सभा पटल पर रखकर दी जायेगी ।

(ख) जी हां । राजस्थान सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

भारत-पाकिस्तान संयुक्त सीमा पड़ताल चौकी का स्थान बदलना

3478. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्त्तमान भारत पाकिस्तान संयुक्त सीमा पड़ताल चौकी को हुसैनीवाला से पंजाब में बागाह में ले जाने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस पड़ताल चौकी को इसके वर्त्तमान स्थान से बदलने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री **जगजीवन राम**) : (क) और (ख) भारत पाकिस्तान संयुक्त सीमा चौकी हुसैनीवाला अब कार्य नहीं कर सकती क्योंकि हाल की संक्रियाओं में सतलुज नदी के ऊपर पुल को क्षति पहुंचती थी । फलस्वरूप संयुक्त सीमा पड़ताल चौकी को बागाह स्थानान्तरित किया गया है ।

गुजरात पेट्रो-रसायन उद्योग समूह की एरोमेटिक्स परियोजना द्वारा कार्य आरम्भ करने में विलम्ब

3479. **श्री एम० एम० जोसफ :**

श्री राजदेव सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात पेट्रो रसायन उद्योग समूह की ऐरोमेटिक्स परियोजना के चालू होने में विलम्ब हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (दलबीर सिंह) : (क) और (ख) गुजरात एरोमैटिक्स प्रयोजना की आवश्यकताओं को पूरा करने में भारतीय निर्माताओं की असमर्थता के कारण इसके कार्य आरम्भ करने के निश्चित कार्यक्रम में थोड़ा सा विलम्ब हुआ है।

यह पहला अवसर है कि पैट्रो-रसायन प्रायोजनाओं के लिए जटिल मदों के देश में बनाये जाने का प्रयत्न किया गया है तथा अनुभव न होने के कारण निर्माता उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाये हैं। निर्माताओं द्वारा खोये हुये समय को पूरा करने के यथासंभव प्रयत्न किये जा रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश में पर्यटक केंद्रों का विकास

3480. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में पर्यटन केन्द्रों के रूप में किन-किन स्थानों का विकास करने का विचार है; और

(ख) वर्ष 1972-73 के दौरान राज्य में किन-किन योजनाओं को क्रियान्वित किया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ग), चौथी योजना के दौरान मनाली-कुल्लू क्षेत्र को विकसित करने का प्रस्ताव है। स्कीमों में मनाली में एक क्लब घर तथा मिनि गोल्फ मैदान और कटरैन में एक क्लब हाल तथा गोल्फ मैदान का निर्माण करना भी है।

रूस से मिट्टी के तेल का आयात

3481. **श्री मुहम्मद शरीफ :**
श्री बी० के० दास चौधरी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रूस से मिट्टी का तेल आयात करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या इस संबंध में दोनों देशों के बीच कोई करार हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का तेल आयात किया जायेगा और इस मद पर कितना रुपया खर्च किये जाने की संभावना है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) 1972 के दौरान रूस से 450,000 मीटरी टन मिट्टी का तेल आयात करने के लिए भारतीय तेल निगम ने मास्को के मैसर्स सोजूजनफ्टएक्सपोर्ट के साथ हाल ही में एक समझौता किया है। इस मामले के ब्यौरे बनाया भारतीय तेल निगम के वाणिज्यिक हित में नहीं होगा।

संसद सदस्यों को देश के भीतर हवाई यात्रा करके भुगतान से छूट देना

3482. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संसद सदस्यों को देश के भीतर हवाई यात्रा कर की छूट देने के बारे में हाल ही में कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी हां।

(ख) किसी भी संसद सदस्य द्वारा देश के भीतर की जाने वाली प्रत्येक हवाई-यात्रा पर, संसद-सदस्यों को वेतन तथा भत्ता अधिनियम, 1954 (1954 का 30) की धारा 4 अथवा धारा 5 के उपबंधों के अधीन अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर अधिनियम के अन्तर्गत उद्ग्रहणीय शुल्क की अदायगी से छूट दी जाती है, परन्तु इसमें शर्त यह है कि ऐसी यात्रा के भाड़े की रकम के लिए जमा-पत्र, नकद अथवा चेक प्रस्तुत करते समय ऐसे सदस्य को अपने द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का एक प्रमाणपत्र (जिसमें उनके प्रमाण की संख्या भी दी गयी हो) प्रस्तुत करना होगा कि उसके द्वारा की जाने वाली हवाई-यात्रा उक्त धारा 4 अथवा धारा 5 के अन्तर्गत आती है। संगत अधिसूचना सा० का० नि० 196 (इ), दिनांक 18-3-72 की एक प्रतिलिपि 30-3-72 को लोक सभा की मेज पर रख दी गई थी। (देखिए : उनकी बुलेटिन सं० 116/भाग 1, मद 4 (2)।

देश में औषधियों के उत्पादन में वृद्धि के लिए कार्यवाही

3483. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में औषधियों का उत्पादन दुगुना करने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) देश में (औषधियों की) बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए, औषधियों एवं भेषजों के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि की जा रही है तथा उनमें विविधता भी लाई जा रही है। आयात लाइसेन्स के उद्देश्य से यह उद्योग, प्रवरता उद्योग के रूप में सूची में रखा गया है। कई शर्तों के अन्तर्गत औषधि-विनिर्माण करने वाले यूनिट पहले से ही लाइसेन्सकृत क्षमताओं के अतिरिक्त अपने उत्पादन की शत प्रतिशत तक बढ़ा सकते हैं ताकि वे अपने प्लांट एवं मशीनरी का अधिकतम प्रयोग कर सकें।

पर्यटन उद्योग के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार देने का निर्णय

3484. **श्री मुहम्मद शरीफ :**
श्री एम० एस० शिवस्वामी :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ अन्य निर्यात-प्रधान उद्योगों में निर्यात सम्वर्धन के लिये दिये जा रहे पुरस्कारों की भांति पर्यटन उद्योग के विभिन्न अंगों को राष्ट्रीय पुरस्कार देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) ऐसा करने से देश में पर्यटन को कहां तक प्रोत्साहन मिलेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ख) जी, हां। पर्यटन उद्योग के विभिन्न खण्डों, अर्थात् होटलों, रेस्टोरेन्टों, यात्रा-अभिकर्ताओं, वन्य जीव परिचालकों और पर्यटक कार परिचालकों, को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्यों से इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय किया गया है। मोटे तौर पर ये पुरस्कार पर्यटन के विशिष्ट क्षेत्रों में सर्वोत्कृष्ट कार्यों के लिये तथा भारत में पर्यटन के विकास के लिये किये गये योगदान के महत्व को दृष्टि में रखते हुए प्रदान किये जायेंगे। तत्सम्बन्धी ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

मैसूर को विशेष अनुदान

3485. **श्रीमती सावित्री श्याम :**
श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसूर राज्य को कोई विशेष अनुदान दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कितना ; और

(ग) विशेष अनुदान देने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) ; जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उपस्थित ही नहीं होते।

देश में नये पर्यटक केन्द्रों की स्थापना

3486. **श्रीमती सावित्री श्याम :**
श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में नये पर्यटक केन्द्र स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर ;

(ग) वर्ष 1972-73 और 1973-74 के दौरान देश में कितनी संख्या में विदेशी पर्यटकों के आने का अनुमान है ; और

(घ) बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये क्या सुविधायें देने का विचार है और उपरोक्त अवधि के दौरान कितनी विदेशी राशि अर्जित किये जाने का अनुमान है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ) गुलमर्ग में एक शिशिर-व-ग्रीष्म क्रीड़ा बिहार तथा कोवालय में एक समुद्र-तटीय विहार के अतिरिक्त, अनेक स्थानों पर पर्यटन के मूलभूत उपादानों को, जिनमें आवास तथा परिवहन सुविधाएं भी सम्मिलित हैं, सशक्त किया जा रहा है। ऐसा अनुमान है कि 1973 में भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या लगभग 4 लाख होगी और पर्यटन से लगभग 55 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की कमाई होगी।

राज्यों द्वारा जमाराशि से अधिक राशि निकालना

348 **श्रीमती सावित्री श्याम :**
श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के रिजर्व बैंक को यह निदेश जारी किये हैं कि राज्य सरकारों को उनकी जमाराशि से अधिक राशि का भुगतान करना बन्द कर दिया जाय ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) क्या वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिये राज्यों की सहायता करने हेतु कोई वैकल्पिक योजना बनाई गयी है ; और यदि हाँ तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ख) भारत सरकार राज्यों पर इस बात के लिये जोर देती रही है कि वे अपनी वित्तीय स्थिति की लगातार समीक्षा करते रहें, अपने आयोजनागत और आयोजना-भिन्न व्यय को उपलब्ध साधनों के अन्दर रखें एवं ओवरड्राफ्ट लेने से बचते रहें। उन राज्यों से पहले ही बातचीत कर ली गयी है, जिन्होंने रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट लिये हैं। इस बातचीत के दौरान सम्बद्ध राज्यों की सरकारों ने ओवरड्राफ्टों में कमी करने के लिये आयोजना-भिन्न व्यय में किफायत करने और अतिरिक्त साधन जुटाने के सहित अतिरिक्त उपर्युक्त उपाय करना स्वीकार कर लिया था। राज्यों ने इस समय जो ओवरड्राफ्ट लिये है उसका कारण पूर्णत: यही है कि उन्होंने आयोजनागत और आयोजना-भिन्न दोनों प्रकार के व्यय से संबंधित बचन बद्धताओं को अपने उपलब्ध साधनों से काफी अधिक मात्रा में स्वीकार कर लिया है।

यह फैसला किया गया है कि राज्यों को, भारतीय रिजर्व बैंक से लिये गये ओवरड्राफ्टों को बजट का एक साधन मानने की अनुमति नहीं दी जायगी। चालू वर्ष के लिये राज्यीय आयोजना-गत परिव्यय इस आधार पर नियत किया गया है कि उनका पूर्णत: वित्तपोषण किया

जाएगा। इसलिये सभी भावी क्रियाकलाप स्ववित्त पोषण के आधार पर चलाने होंगे और साधनों तथा व्यय के प्रवाह के बीच संतुलन बनाये रखना होगा। योजना आयोग और रिजर्व बैंक के परामर्श से जो प्रक्रिया अब तैयार की गयी है उसके अन्तर्गत यदि किसी राज्य द्वारा लगातार सात दिनों के लिये ओवरड्राफ्ट लिया गया है तो रिजर्व बैंक स्वतः अदायगी बन्द कर देगा और उसे केवल ओवरड्राफ्ट की समाप्ति पर ही चालू किया जाएगा।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की शेयरधारी कम्पनियां

3488. **कुमारी कमला कुमारी :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके इस समय राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास शेयर हैं तथा उन शेयरों की राशि क्या है; और

(ख) राष्ट्रीयकरण के पश्चात् इन बैंकों द्वारा उक्त कम्पनियों को कितना ऋण दिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) बैंकरों में प्रचलित प्रथाओं और रिवाजों के अनुसार और बैंकिंग कम्पनीज़ (प्रतिष्ठानों का अभिग्रहण और हस्तान्तरण) अधिनियम, 1970 के उपबन्धों के अनुसार भी, उसके संघटकों से सम्बन्धित सूचना प्रकट नहीं की जाती। 31 मार्च, 1971 को कम्पनियों के शेयरों में राष्ट्रीयकृत बैंकों का निवेश(मूलतः) कुल मिलाकर 1805 लाख रुपया था।

राष्ट्रीयकरण के बाद से, राष्ट्रीयकृत बैंक, सिवाय उन निकायों के, जिनका विकास सरकारी क्षेत्र के संगठन करते हैं, आमतौर पर कम्पनियों के शेयरों में निवेश नहीं करते। राष्ट्रीयकरण के पहले शेयरों में किये गये निवेश के अलावा, राष्ट्रीयकृत बैंक कम्पनियों की नकद ऋण सीमा के आधार पर अथवा शेयरों के बन्धक के आधार पर दिये जाने वाले अग्रिमों के लिए आमतौर पर समर्थक प्रतिभूति (कोलेटेरल सिक्योरिटी) के तौर पर शेयर अपने पास रख लेते हैं।

(ख) चूंकि बैंकों द्वारा अपने पास रखे गये शेयरों में दिन प्रतिदिन परिवर्तन होता रहता है, इसलिए बैंकों द्वारा किसी विशेष तारीख को ऐसी कम्पनियों को दिये गये ऋणों की रकम की सूचना जिनके शेयर बैंकों ने अपने पास रखे है, अभी उपलब्ध नहीं है। यह सूचना, जहां तक सम्भव होगा, इकट्ठी की जायगी और सभा पटल पर रख दी जायगी। तथापि कम्पनियों के नाम उपर्युक्त (क) में उल्लिखित कारणों से प्रकट नहीं किये जा सकते।

Arrears of Income tax in Madhya Pradesh

3489. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) The arrears of Income-tax in Madhya Pradesh till 31st March, 1970 and the amount of arrears prior to 1965-66 included in the said amount; and

(b) The amount of arrears realised during the current financial year and the action taken to realise the remaining amount ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) (a) The requisite information for the State of Madhya Pradesh is not available as the statistics relating to Income-tax are kept according to the charges of the Commissioners of Income-tax. As on 31-3-1970 there was a combined charge of the Commissioner of Income-tax for Madhya Pradesh, Nagpur and Bhandara. We have information readily available for this charge. A separate charge for Madhya Pradesh with Headquarters at Bhopal was created some time after 31-3-1970.

The gross demand of Income-tax outstanding in the charge of the Commissioner of Income-tax Madhya Pradesh, Nagpur and Bhandara as on 31-3-1970 was Rs. 17,63,72,000. The gross demand relating to the years prior to 1965-66 included in the above amount was Rs. 2,26,82,000.

(b) The information regarding the amount of arrears realised during the financial year 1971-72, in respect of the Commissioner of Income-tax, Madhya Pradesh, Bhopal and the action taken to realise the remaining amount, is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

Arrears of Income-tax Against Tata Group of Industries

3491. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the amount of income-tix assessed by the Central Government in respect of the Tata Group of Industries during the financial years 1970-71 and 1971-72 ; and

(b) The amount of income-tax realised during the said period and the arrears of income-tax outstanding against them at present ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) & (b). The requisite information is not readily available. The same is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

Withdrawal Of Rupees 13 Lakh from State Bank of India, Raipur

3492. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether Government have made an inquiry into the case of withdrawal of more than rupees 13 lakh from the State Bank of India, Raipur, by fraudulent means ; and

(b) if so, the outcome thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) & (b). State Bank of India has reported that the Treasury officer, Raipur reported on 18-3-72 to the Agent, State Bank of India, Raipur that 17 Government bills aggregating to Rs. 13, 15, 109 paid at the Raipur Branch of the State Bank of India on 1-3-72 were forged. It has been further reported that the Treasury officer, Raipur has handed over the matter to the police who are conducting the investigations.

अनुसंधान और विकास सम्बन्धी पंचवर्षीय योजनायें और प्रक्षेपणास्त्र तथा वैमानिकी अनुसन्धान

3493. **श्री सी० चित्ति बाबू** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रक्षेपणास्त्रों तथा वैमानिकी अनुसंधान पर किये गये व्यय को अनुसंधान और विकास सम्बन्धी पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) अनुसंधान और उत्पादन के सम्बन्ध में प्रक्षेपणास्त्र बनाने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला में किस प्रकार का समन्वय है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). प्रक्षेपणास्त्रों तथा वैमानिकी अनुसंधान पर किये गए व्यय को अंशत: अनुसंधान तथा विकास संबंधी पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल किया गया है।

(ग) रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला, तथा प्रक्षेपणास्त्र बनाने वाले सरकारी क्षेत्र के संस्थानों के मध्य में घनिष्ट समन्वय बनाये रखने के सुनिश्चय के लिये रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार भारत डाइनेमिक्स लि० के निदेशक मंडल के चेयरमैन है और हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि० के निदेशक मंडल के एक सदस्य है।

इसके अतिरिक्त मुख्य नियंत्रक, अनुसंधान तथा विकास रक्षा मंत्रालय, भारत डाइनेमिक्स लि० के निदेशक मंडल के एक सदस्य है और रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला के निदेशक को भारत डाइनेमिक्स लि० के बोर्ड की प्राय सभी बैठकों में बुलाया जाता है।

गार्डनरीच वर्कशाप लिमिटेड के विकास की योजना

3494. **श्री सी० चित्ति बाबू** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गार्डनरीच वर्कशाप लिमिटेड का आधुनिकीकरण करने और वर्तमान यार्ड सुविधाओं का विकास करने संबंधी योजना को क्रियान्वित कर दिया गया है ;

(ख) यदि नही, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस समय वर्कशाप द्वारा उन्नत छोटे जहाज बनाने की योजना किस अवस्था पर है ?

रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). गार्डनरीच वर्कशाप की वर्तमान सुविधाओं के आधुनिकीकरण करने और उनके विस्तार के कार्यक्रम पर काम पहले से ही शुरू किया जा चुका है और 1973-74 तक उसके पूरे हो जाने की आशा है।

(ग) उन्नत छोटे जहाज बनाने की योजना अभी विचाराधीन है।

योजना और समन्वय निदेशालय द्वारा आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात संवर्द्धन कार्य

3495. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा सम्बन्धी उपयोग की कतिपय महत्वपूर्ण वस्तुओं, जिनकी सिफारिश योजना और समन्वय निदेशालय ने की थी का आयात प्रतिस्थापन किस प्रकार किया गया है और वह कितने मूल्य के हैं ; और

(ख) योजना और समन्वय निदेशालय द्वारा किए गये निर्यात सम्बर्द्धन कार्यों के परिणाम-स्वरूप रक्षा उत्पादन एककों की निर्यातित वस्तुएं क्या हैं और उनका मूल्य कितना है ।

रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) (i) योजना तथा समन्वय निदेशालय ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसधान तथा विकास संगठन की परिषद ने आर्डनेंस में प्रयोग आने वाले कुछ महत्वपूर्ण तथा अनिवार्य कच्ची सामग्री को स्वदेश में निर्मित करने के प्रयास किए थे । आयात प्रतिस्थापन की लागत उपलब्ध नहीं है ।

(ii) रक्षा मूर्ति विभाग अब तक आयात होने वाले भण्डारों के लिए स्वदेश में ही स्रोत स्थापित कर रहा है । इस विभाग ने फरवरी 1972 तक 12935 मदों के आर्डर दिए हैं जिनका मूल्य 103 करोड़ रुपए हैं । इन मदों में उपस्कर एसेम्बलीज, सब एसेम्लीज, तथा फालतू पुर्जे शामिल हैं ।

(ख) रक्षा उत्पादन यूनिटों की उत्पादन क्षमता को अनिवार्य रूप से बढ़ाया गया है जिससे हमारी सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके । तथापि अपनी मांगों को पूरा करने के उपरान्त कुछ मित्र देशों को सीमित मात्रा में कुछ छोटे सशस्त्रों तथा गोला-बारूद, कुछ प्रकार के उपकरण तथा सामान्य भण्डारों का निर्यात किया जाता है । 1967 के प्रारम्भ से जबसे इसने निर्यात सम्बर्द्धन का कार्य प्रारम्भ किया है । योजना तथा समन्वय निदेशालय ने 314·59 लाथ रुपए के अप्रतिबंधित विदेशी मुद्रा में आदेश प्राप्त/निष्पादित किए हैं । और अधिक ब्यौरे बताता लोकहित में नहीं होगा ।

विभिन्न प्रयोगशालाओं एवं विश्वविद्यालयों को सौंपे गये परियोजना अध्ययनों काकार्यान्वयन

3496. **श्री सी० चित्ति बाबू** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सी० एस० आई० आर०, प्रयोगशालाओं टी० आई० एफ० आर०, पी० आर० एल० और बी० ए० आर० सी० द्वारा पूरी की जा रही परियोजनाओं और विभिन्न विश्वविद्यालयों को सौंपे गये अध्ययनों में से कितनी रक्षापरियोजनाओं और अध्ययनों को कार्यान्वित किया गया है ; और

(ख) 1970-71 से इस के लिए उन्हें कुल कितनी राशि के अनुदान दिए गए ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) सहायता अनुदान योजना के अन्तर्गत 150 परियोजनाओं/अध्ययनों को विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थानों को सौंपा गया है। इनमें से 93 परियोजनाएं/अध्ययन पूर्ण हो चुके हैं। परियोजनाएं/अध्ययन प्रारम्भिक/प्रयोगिक रक्षा उन्मुख अनुसंधान से सम्बन्धित थीं। अध्ययन का उद्देश्य भविष्य की रक्षा आवश्यकताओं के लिए वर्तमान ज्ञान की कमी को पूरा करना है। इन परियोजनाओं/अध्ययनों के फलस्वरूप अनुसंधान तथा विकास कार्यकलापों को अपनी स्थापनाओं में तथा डी० आर० डी० ओ० के० भावी कार्यक्रमों के प्रयासों के लिए सहायता मिलती है। चूंकि इन परियोजनाओं के द्वारा अप्रत्यक्ष उपयोगिता के परिणाम प्राप्त होते हैं, अतः यह प्रकट करना सम्भव नहीं है कि वास्तव में कितनी परियोजनाओं को कार्यान्वित किया गया है।

सी० एस० आई० आर० प्रयोगशालाओं में 45 रक्षा परियोजनाओं पर काम हो रहा है। इन परियोजनाओं में से जिनमें प्रयोगिक रूप से उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया है उनकी संख्या 21 है।

टी० आई० एफ० आर० में एक विकास परियोजना को पूर्ण कर दिया गया है। बी० ए० आर० सी० को जो 3 परियोजनाएं सौंपी गई थी उनमें से एक सफलतापूर्वक पूर्ण हो गई है।

(ख) 1970-71 के दौरान विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों को जो अनुदानों की राशि दी गई है वह 8.93 लाख रुपए हैं। रक्षा परियोजनाओं के लिए 1970-71 के दौरान रक्षा विभाग ने सी० एस० आई० आर० तथा टी० आई० एफ० आर० को कोई अनुदान नहीं दिया गया है।

रक्षा परियोजनाओं के लिये ए० आर० सी० को 1·49 लाख रुपए का अनूदान दिया गया है।

इंस्टीट्यूट आफ डिफेंस मैनेजमेंट द्वारा सैनिकों को प्रशिक्षण

3497. **श्री सी० चित्ति बाबू** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी मुख्य आधुनिक रक्षा परियोजनाओं की संख्या कितनी है जिनमें परियोजना प्रबन्ध धारणा को लागू किया गया है ; और

(ख) इंस्टीट्यूट आफ डिफेंस मैनेजमेंट द्वारा रक्षा प्रबन्ध के विभिन्न क्षेत्रों में किन वर्गों तथा कितने सैनिकों को प्रशिक्षण दिया गया है ?

रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) 17।

(ख) 52 सैनिक अफसर—जिसमें से 28 विग्रेडियर/कर्नल तथा 24 ले० कर्नल/चुने हुए मेजर थे।

आयकर विभाग, दिल्ली के कर्मचारी

3498. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1972 को आयकर विभाग, दिल्ली में अराजपत्रित कर्मचारियों के प्रत्येक वेतनमानों में स्वीकृत और काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या कितनी-कितनी थी ; और

(ख) उस कर्मचारियों की संख्या क्या है जो तीन वर्ष से अधिक से वर्तमान वेतनमान में काम कर रहे हैं किन्तु जिन्हें उस वेतनमान में अभी स्थायी नहीं किया गया है तथा इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) 31 मार्च, 1972 को आयकर विभाग, दिल्ली में अराजपत्रित कर्मचारियों की स्वीकृत और कार्य कर रहे कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है ।

ग्रेड (1)	स्वीकृत कर्मचारी संख्या (2)	कार्य कर रहे कर्मचारियों की संख्या (3)
आय-कर निरीक्षक	179	175
सुपरवाइजर ग्रेड-1	8	8
सुपरवाइजर ग्रेड-2	38	38
हैड क्लर्क	98	93
ओवरसियर (कनिष्ठ इंजीनियर)	6	4
उच्च श्रेणी लिपिक	722	695
आशुलिपिक (वरिष्ठ ग्रेड)	9	8
आशुलिपिक (कनिष्ठ ग्रेड)	263	244
अवर श्रेणी लिपिक	403	393
ड्राइवर	1	1
नोटिस सर्वर	168	153
चपरासी	347	318
दफ्तरी	11	11
चौकीदार	27	25
मेहतर	28	27
जमादार	9	2
फर्राश	2	2
प्रारूपकार	3	—
कनिष्ठ गेस्टेटनर आपरेटर	1	—
योग	2323	2197

(ख) ऐसे कर्मचारियों की कुल संख्या 813 है । ब्यौरा निम्नानुसार है :—

आयकर निरीक्षक	81
सुपरवाइजर ग्रेड-I	—
सुपरवाइजर ग्रेड-II	6

हैड क्लर्क	22
आशुलिपिक (वरिष्ठ ग्रेड)	2
आशुलिपिक (कनिष्ठ ग्रेड)	11
उच्च श्रेणी लिपिक	267
अवर श्रेणी लिपिक	160
नोटिस सर्वर	41
चपरासी	207
मेहतर	12
दफ्तरी	4
योग	813

किसी विशिष्ठ ग्रेड में अस्थायी तोर पर काम कर रहा कर्मचारी स्थायी किया जा सकता है बशर्ते कि—

(i) उसने सेवा की अपेक्षित अवधि पूरी कर ली हो ;

(ii) उस ग्रेड में स्थायी पद उपलब्ध हो ; और

(iii) वह स्थायी किये जाने के लिए योग्य पाया गया हो ।

उपयुक्त अधिकारियो को उपलब्ध स्थायी पदों पर स्थायी बनाये जाने के बारे में स्थिति की विभागाध्यक्ष द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है और यथा सम्भव संख्या में उन्हें स्थायी किया जाता है । उपयुक्त कर्मचारियों को भी उनकी बारी आने पर स्थायी किया जाएगा, बशर्ते कि वे निर्धारित शर्तें पूरी करते हों ।

आयकर विभाग में इंसपेक्टरों की नियुक्ति के लिए परीक्षा

3499. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली के अन्तर्गत काम करने वाले सभी अयुक्तों के क्षेत्रों में मई, 1970 में हुई परीक्षा के आधार पर बनाये गये इन्सपेक्टरों (सीधी भर्ती) के पेनल को दिसम्बर 1972 तक बढ़ा दिया गया है ;

(ख) क्या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 1972 में भर्त्ती के लिए और परीक्षा न लेने का निर्णय लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री ((श्री के० आर गणेश) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग). 1972 में अगली परीक्षा लेने का प्रश्न इस समय विचाराचीन है ।

गुजरात में पर्यटकों को आकर्षित करने वाले स्थान

3500. **श्री वेकारिया :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में पर्यटकों को आकर्षित करने वाले स्थानों के नाम क्या हैं ;

(ख) इन स्थानों में पर्यटकों को क्या-क्या सुविधाएं दी जाती है ; और

(ग) इन स्थानों की ओर और अधिक पर्यटकों, विशेषकर विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

पर्यटन और नगर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत गुजरात में उन स्थानों पर, जो पर्यटकों को पहले ही आकर्षित करते हैं अथवा आकर्षित करने को क्षमता रखते हैं, कार्यान्वित की गई अथवा प्रस्तावित पर्यटन स्कीमों का एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

दूसरी, तीसरी तथा बाद की तीन वार्षिक योजनाओं के दौरान गुजरात राज्य में भाग I और भाग II स्कीमें ।

भाग I

1. लोथल में जल प्रबंध	1,13,959 रुपये
2. गिर वन में विश्राम गृह का सुधार	82,110 रुपये
3. केशोद विमानक्षेत्र गिर वन के बीच परिवहन के लिये कोच	62,031 रुपये
4. साबरमती में पर्यटक बंगला	79,000 रुपये
5. अहमदाबाद में पर्यटक ब्यूरो	5,046 रुपये
	3,43,149 रुपये

भाग II

1. पोरबन्दर में निम्न आयवर्गीय विश्राम गृह	33,188 रुपये
2. चोरवाड़ में अवकाश गृह	50,000 रुपये
3. नलसरोवर पर केफेटीरिया	25,000 रुपये
4. लोथल में कैंटीन-व-रिटायरिंग रूम	1,40,088 रुपये
5. लोथल में कैफेटीरिया तक एप्रोच रोड	30,000 रुपये
	2,78,276 रुपये

चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की गई स्कीमें

1. गिर वन्य जीव शरण-स्थान पर विश्राम गृह	11,00,000 रुपये
2. गिर वन्य जीव शरण-स्थान पर दो मिनी-बसें	68,000 रुपये
3. साबरमती में "ध्वनि एवं प्रकाश" प्रदर्शन	12,00,000 रुपये
4. साबरमती आश्रम में पर्यटक बगला (पिछली योजना की अवशिष्ट स्कीम)	2,05,330 रुपये
	25,73,330 रुपये

28 मार्च, 72 को इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ान सख्या 402 में विलम्ब होना

3501. **श्री अर्जुन सेठी :**

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 28 मार्च, 1972 को कलकत्ता से नई दिल्ली के लिये इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ान संख्या 402 में चार घण्टे का विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : यह उड़ान एक कारवेल विमान द्वारा दिल्ली से सेवा सं० आई० सी० 493 के आ जाने पर की जाती थी किन्तु उक्त उड़ान के लिये अनुसूचित विमान एक पक्षी की टक्कर के परिणामस्वरूप क्षतिग्रस्त हो गया था। अतः विमान उपलब्ध न होने के कारण सेवा सं० 493 को सेवा सं० 264 के साथ मिला दिया गया और विलम्ब से परिचालित किया गया जिसके परिणामस्वरूप कलकत्ता में उड़ान सं० 402 में तीन घण्टे 55 मिनट का विलम्ब हो गया।

राजस्थान को विशेष अनुदान

3503. **श्री नवल किशोर सिंह :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार राजस्थान को विशेष अनुदान देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हाँ, तो कितनी राशि देने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) (क) : जी नहीं

(ख) प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता।

भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड द्वारा क्रालर और पहिये वाले ट्रैक्टरों का निर्माण

3504. **श्री आर० पी० उलगनम्बी :** क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जापान ने मैसर्स कोमाटु और एक युगोस्लयाविया फर्म के सहयोग से कृषि कार्यों के लिए क्रालर ट्रैक्टरों और 130 हार्स शक्ति के पहिये वाले ट्रैक्टरों का निर्माण आरम्भ कर दिया है ;

(ख) अब तक कुल कितने ट्रैक्टरों का निर्माण किया गया ; और

(ग) क्या अब कम्पनी डोजर शोवलों का निर्माण भी कर रही है ?

रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड द्वारा जापान की मैसर्स कोमात्सू मेनूफेक्चुरिंग कम्पनी के तकनीकी सहयोग के अन्तर्गत बनाये जाने वाले क्राइर ट्रैक्टरों के तीन माडलों में से एक माडल अर्थात डी० 50-ए-15 क्रालर ट्रैक्टर का निर्माण कृषि के तीव्र विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी किया जा रहा है। यह एक 90 अश्व शक्ति का क्रालर ट्रैक्टर है जो

विभिन्न उपकरणों की सहायता से भूमि-सुधार, हल चलाने कटाई आदि के लिए उपयुक्त है। युगोस्लाविया की एक फर्म मैसर्स रेडोजे डेकिक के तकनीकी सहयोग के अन्तर्गत भारत अर्थ मूवर्स लि० 130 अश्व शक्ति क्षमता वाले व्हील्ड-ट्रैक्टरों का निर्माण भी कर रहा है। यह वस्तुतः एक भारी अर्थ मूविंग उपस्कर है और इसे कृषि कार्यों के लिए नहीं बनाया गया है।

(ख) भारत अर्थ मूवर्स लि० में तीनों माडलों के क्रालर ट्रैक्टरों और 130 अश्व शक्ति की क्षमता वाले व्हील्ड ट्रैक्टरों का अब तक कुल उत्पादन इस प्रकार है :

	उपस्कर का प्रकार	31-3-1972 तक कुल उत्पादन
(1)	डी-120 क्रालर ट्रैक्टर (235/250 एच पी)	193
(2)	डी-80 क्रालर ट्रैक्टर (165-250 एच पी)	518
(3)	डी-50 क्रालर ट्रैक्टर (90 एच पी)	270
(4)	"टाइगर" व्हील्ड ट्रैक्टर (130 एच पी)	125

(ग) कम्पनी 1.3 क्यूबिक मीटर के क्रालर माउंटेड डोज़र वैचों के 2 माडलों का विकास कर रही है और कम्पनी द्वारा विकसित 2.3 क्यूबिक मीटर के डोल की क्षमता वाले वेलचे का इस समय परीक्षण किया जा रहा है।

भारत डाइनेमिक्स लिमिटेड का उत्पादन तथा उसकी खपत

3505 .**श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत डाइनेमिक्स लिमिटेड द्वारा किस प्रकार का तथा कितने मूल्य का सामान बनाया जाता है ; और

(ख) उत्पादित माल की खपत किस प्रकार होती है ?

रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) भारत डाइनेमिक्स लिमिटेड टैंक भेदी प्रक्षेपणास्त्रों का निर्माण कर रहा है। कारखाने में उत्पादन 1971-72 के दौरान शुरू हो गया है। 1971-72 के दौरान कुल उत्पादन 1.10 करोड़ रुपये का होने का अनुमान है।

(ख) इस सूचना को देना लोकहित में नहीं होगा।

नेवल डिजाइन डाइरेक्टोरेट द्वारा बनाए गए जहाजों के डिजाइन

3506. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेवल डिजाइन डाइरेक्टोरेट ने नौसेना के लिए छोटे जहाजों के कौन से डिजाइन बनाये है ;

(ख) क्या अधिक योग्य कर्मचारी रखने के लिये डाइरेक्टोरेट का विस्तार किया गया है ; और

(ग) वर्ष 1970-71 में कितना विस्तार हुआ ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). इस बिषय पर सूचना देना उचित नहीं होगा।

दिल्ली में व्यक्तियों और फर्मों के नाम आयकर की बकाया राशि

3507. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के उन व्यक्तियों, अविभाजित हिन्दू परिवारों, फर्मों और कम्पनियों के नाम क्या है जिसके नाम 37 मार्च, 1972 को 2 लाख रुपये या इससे अधिक की आय कर की राशि बकाया थी ; और

(ख) आयकर की वकाया राशि वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख). 31-3-1972 की यथास्थिति के अपेक्षित विवरणों को एकत्रित किया जा रहा है और उन्हें यथा संभव शीघ्र सभा पटल कर रख दिया जाएगा।

केन्द्रीय करों की वसूली

3508. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी तथा पश्चिमी जोनों के प्रत्येक राज्य से वर्ष 1969-70 से 1971-72 तक वर्ष वार प्रत्येक श्रेणी के केन्द्रीय कर की कितनी-कितनी वसूली की गई ; और

(ख) इन जोनों के प्रत्येक राज्य को वर्ष 1969-70 से 1971-72 तक वर्षवार प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत कुल संसाधनों में से कितनी-कितनी राशि हस्तांतरित की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) आवश्यक सूचना के निम्नलिखित दो विवरण-पत्र संलग्न हैं : (1) वर्ष 1969-70, 1970-71 तथा 1971-72 में आयकर, सम्पदा शुल्क, धनकर, दानकर और व्ययकर की वसूली के आंकड़ों का, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के राज्य में पड़ने वाले आयकर आयुक्तों के कार्य क्षेत्रवार विवरण-पत्र (अनुबन्ध-I) और (II) पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के राज्यों में वर्ष 1969-70, 1970-71 और 1971-72 में सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की वसूलियों का विवरण-पत्र (अनुबंध-II)। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-1817/72]

(ख) राज्यों के साथ बंटने वाले करों में से, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के प्रत्येक राज्य को उसके प्राप्य अंश के रूप में वर्ष 1969-70, 1970-71 और 1971-72 में दी गई रकम का विवरण-पत्र अनुबन्ध 3 में है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1817/72]

अशोधित पेट्रोलियम तथा उससे तैयार माल में आत्म निर्भरता

3509. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अशोधित तेल के उत्पादन तथा उससे तैयार माल के संबंध में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए गत तीन वर्षों में क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) इस विषय में की गई कार्यवाही के अब तक क्या परिणाम निकले; और

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग). पैट्रोलियम उत्पादों के सम्बन्ध में वर्ष 1969, 1970 तथा 1971 में देश की कुल आवश्यकताओं की तुलना में देशीय उपलब्धि की प्रतिशतता क्रमश: 99.4, 97·7 तथा 94·3 थी और कच्चे तेल की क्रमश: 38·3,36·8 तथा 36·7 (प्रतिशतता) थी।

पैट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए, परिष्करणशाला-क्षमता को उत्तरोत्तर बढ़ाया गया है तथा बढ़ाया जा रहा है। उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में प्रस्तावित परिष्करणशाला के लगभग 1976 तक चालू होने तक, इन उत्पादों में आत्म-निर्भरता की मात्रा के सामान्यत: 80% से 90% के बीच होने की आशा है।

जहां तक कच्चे तेल का सम्बन्ध है, अन्वेषण कार्य के विस्तार, कच्चे तेल के नये स्त्रोतों को मालूम करने की दृष्टि से अन्य गतिविधियों तथा पहले से ही मालूम तेल-क्षेत्रों से देशीय उत्पादन में वृद्धि को अधिक महत्व दिया जा रहा है। बम्बे हाई एवं त्रिपुरा जैसी अधिक आशावादी संरचनाओं में, यद्यपि वे कठिन अथवा दुर्गम संरचानऐं है, अन्वेषण-कार्य का विस्तार किया जा रहा है। वर्ष 1965 में 3 मिलियन मीटरी टन कच्चे तेल के उत्पादन की तुलना में वर्ष 1972 में यह उत्पादन 7·2 मिलियन मीटरी टन तक बढ़ा है। फिर भी, कच्चे तेल के उत्पादन में आत्म निर्भरता में उपलब्धि के सम्बन्ध में इस अवस्था में वास्तविक अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

पश्चिम बंगाल में जायन्ट स्टाक कम्पनियां

3510 श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70, 1970-71 और 1971-72 के अन्त तक पश्चिम बंगाल में जिलावार कार्य करने वाली जायन्ट स्टाक कम्पनियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उक्त वर्षों के अन्त में इन जायन्ट कम्पनियों की प्रदत्त पूँजी कितनी थी;

(ग) वर्ष 1969-70 से 1971-72 तक पश्चिम बंगाल में जिलावार और वर्षवार नई जायंट कम्पनियों के नाम क्या हैं; और

(घ) इस अवधि में इन कम्पनियों की प्राधिकृत पूँजी कितनी है ?

कम्पनी कार्य संत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) तथा (ख). पश्चिमी बंगाल में वर्ष 1969-70, 1970-71 और 1971-72 (31-12-71 तक) की समाप्ति तक कार्य करने वाली कम्पनियों की संख्या और उनकी प्रदत्त पूँजी निम्न प्रकार थी :

अन्त तक पर	कम्पनियों की संख्या	प्रदत्त पूंजी (करोड़ रुपयों में
1969-70	8913	658
1970-71	9070	666
1971-72 (31-12-71 तक)	9263	667

इन वर्षों में जिलेवार कार्य कर रही कम्पनियों की संख्या संलग्न विवरण I में दी जाती है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०181/8/72]

(ग) तथा (घ) पश्चिमी बंगाल में पंजीकृत कई कम्पनियों के 3 वर्षों, अर्थात 1969-70, 1970-71 और 1971-72 (31-12-71) तक नाम उनकी प्राधिकृत पूंजी सहित, जिलेवार संलग्न विवरण II में दिये जा रहे हैं। [ग्रंथालय में रखा गया देखिए। संख्या एल० टी० 181-8-72]

राज्यों में बैंक ऋण की प्रति व्यक्ति उपलब्धता

3511. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में बैंकों की कुल कितनी शाखाएं हैं और प्रत्येक की जनसंख्या तथा बैंक शाखाओं के बीच क्या अनुपात है;

(ख) विभिन्न राज्यों में बैंक ऋण की प्रति व्यक्ति उपलब्धता क्या है; और

(ग) उत्तरी बिहार के विभिन्न जिलों में कितनी बैंक शाखाएं हैं तथा कितना बैंक ऋण उपलब्ध है तथा वर्तमान जनसंख्या और उनके बीच क्या अनुपात है तथा इस अन्तर को दूर करने के लिए क्या प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री के० आर० गणेश) : (क)से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 181/9/72]

ग्रामीण बैंक सेवा योजना

3512. **श्री भोगेन्द्र झा** :

श्री बी० आर० शुक्ल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या ग्रामीण बैंक सेवा की किसी योजना को अन्तिम रूप दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं"

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अमरीका, ब्रिटेन और 'नेटो ब्लाक' के देशों से शस्त्रास्त्रों की सप्लाई

3513. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका, ब्रिटेन तथा 'नेटो ब्लाक' के अन्य देशों से भारत को रक्षा संबंधी उपकरणों की सप्लाई किस अनुपात में होती है; और

(ख) इन देशों पर अपनी निर्भरता समाप्त करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) पूछी गई सूचना सुलभ उपलब्ध नहीं है। इसके संकलन में किए गए प्रयास हमारी तीव्रता से स्वदेशीकरण की नीति को देखते हुए,

उसके अनुरूप नहीं होंगे। इसके अलावा ऐसे ब्यौरों को प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा। रक्षा उपस्करों की आवश्यकताओं को मुख्यतया स्वदेशी उत्पादनों से पूरा किया जाता है। केवल अनिवार्य मदें जिनका अभी तक स्वदेशीकरण नहीं किया गया है आवश्यक न्यूनतम मात्रा में आयात की जाती हैं। आत्मनिर्भरता की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

विदेशी भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों का अनुमान लगाना

3514. **श्री पी० ए० सामिनाथन :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कार्य के लिए विदेशी भाषायें जानने वाले व्यक्तियों का अनुमान लगाने के लिए सरकार द्वारा इस संबंध में किए गए अध्ययन की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ख) सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) अध्ययन से जो मुख्य बात प्रकट हुई है वह यह है कि विदेशी भाषा प्रशिक्षण की वर्तमान सुविधाएं बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं है और न ही प्रशिक्षण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली तकनीक तथा अन्य साधन ही काफी प्रगतिशील हैं। मुख्य सिफारिश यह थीं कि वर्तमान व्यवस्थाओं को सुधारने तथा सुदृढ़ करने के लिए आधुनिकतम तकनीक प्रयोग करते हुए एक नए संस्थान को स्थापित किया जाय।

तथापि सरकार ने निर्णय किया है कि नए संस्थान को स्थापित करने में होने वाले विलम्ब तथा व्यय से बचने के लिए, जवाहर लाल नेहरू विश्व विद्यालय ने शैक्षिक कार्यक्रमों के अलावा नामोद्दिष्ट सरकारी कर्मचारियों को आधुनिकतम पद्धति से भाषा सीखाने की मांग को पूरा करने तथा सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था कर दी है।

राज्यों द्वारा ऋण का चुकाया जाना

3515. **डा० करणीसिंह :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या है जिन्होंने केन्द्र सरकार से लिए अधिकांश ऋणों का बहुत दिनों से वापस भुगतान नहीं किया है; और

(ख) वर्ष 1970-71 के अन्त तक प्रत्येक राज्य के नाम कितना मूलधन तथा कितना ब्याज बकाया था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) 1970-71 के अन्त की स्थिति के अनुसार जम्मू और कश्मीर तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों ने ऋणों का वापस भुगतान नहीं किया था।

(ख) 1970-71 के अन्त में, उनके द्वारा मूलधन और ब्याज की न चुकाई गई रकमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपयों में)

	मूलधन	ब्याज
जम्मू और कश्मीर	16.19	8.45
पश्चिम बंगाल	2.00	8.52
	18.19	16.97

भारत की बिजली परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से ऋण

3516. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत चार वर्षों में बिजली परियोजनाओं के लिए भारत को विश्व बैंक से ऋण नहीं मिला है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारत को कुल कितना ऋण मिला है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) : सरकार की यह नीति रही है कि बिजली उत्पादन परियोजनाओं को, देश में बने बिजली उत्पादन सम्बन्धी उपकरणों के इस्तेमाल से कार्यान्वित किया जाय । फिर भी, आसान शर्तों पर ऋण देने वाली विश्व बैंक से सम्बद्ध संस्था, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से, बिजली पारेषण परियोजनाओं के लिए 1971 में 56.25 करोड़ रुपये का एक ऋण लिया गया था और बिजली पारेषण परियोजनाओं के लिए एक ऋण के लिये एक और प्रस्ताव संघ के विचाराधीन है ।

(ग) पिछले चार वर्षों के दौरान विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से 747 करोड़ रुपये तक की सहायता के लिये करारों पर हस्ताक्षर किये गये है ।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता

3517. **प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि की सहायता मांगी है; और

(ग) इस राशि का किन क्षेत्रों में उपयोग किये जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) . (क) से (ग) : संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता नहीं दी जाती । इसके अन्तर्गत तकनीकी सहायता दी जाती है । अर्थात, विदेशों में प्रशिक्षण के लिए शिक्षावृत्तियां, विदेशी विशेषज्ञों की सेवाओं और कुछ उपकरण । यह सहायता अनुदान के रूप में होती हैं ।

हमने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को देश का एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया है जिसमें 1972-79 की अवधि के लिये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से 890 लाख डालर के मूल्य की तकनीकी सहायता की परिकल्पना की गई है । यह तकनीकी सहायता मुख्यत: कृषि, वैज्ञानिक अनुसंधान, सिंचाई और बिजली, परिवहन और संचार, उद्योग और खनिज, श्रम कल्याण और शिल्प संगणक आधारित परियोजनाओं, शिक्षा, आवासन और नगर विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में जल पूर्ति, विदेश व्यापार और नई प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में होगी ।

भारतीय पेट्रो रसायन निगम द्वारा बड़ौदा परियोजनाओं का कार्यान्वयन

3518. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री प्रभुदास पटेल :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने भारतीय पेट्रोरसायन निगम लिमिटेड को बड़ौदा में आठ परियोजनाएं कार्यान्वित करने का काम सौंपा है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक पेट्रो-रसायन परियोजना पर कितना खर्च आयेगा; और

(ग) इन परियोजनाओं का कार्य कब आरम्भ होगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) प्रत्येक परियोजना के लिये अनुमोदित पूंजी परिव्यय इस प्रकार है :

	रुपये
एरोमैटिक्स	22.4 करोड़
ओलिफिन्ज	29.80 ,,
एक्रीलोनिट्रोइल	15.85 ,,
सन्थेटिक रबर	13.50 ,,
पोलिबिलीन	17.98 ,,
पोलिप्रोपिलीन	18.87 ,,
डैटरजैंट एल्किलेट	12.92 ,,
एंथिलीन ग्लाइकोल	9.10 ,,
एक्रीलिक फाइबर	23.89 ,,

(ग) एरोमैटिक प्रायोजना का काम मुकम्मल होने ही वाला है। अन्य प्रायोजनाएं कार्यान्वियन की विभिन्न अवस्थाओं में है।

कच्छ में रसायन संयंत्र का बन्द होना

3519. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री प्रभुदास पटेल :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ में प्रथम और एकमात्र रसायन संयंत्र, जो 1962 में चालू किया गया था, बन्द कर दिया गया है और यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ख) क्या कर्मचारियों ने धरना देना आरम्भ कर दिया है और अपने वेतन लेने से इंकार कर दिया है;

(ग) क्या कर्मचारियों ने यह भी मांग की है कि सरकार इस संयंत्र का प्रबन्ध अपने हाथ में ले ले; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (घ) . मामला औद्योगिक विकास मंत्रालय से सम्बन्धित है और उन्होंने सूचित किया है कि गुजरात राज्य के कांडला नामक स्थान पर स्थित मैसर्स अतुल ड्रग हाऊस लि० के फार्मलडीहाइड का निर्माण करने वाले संयंत्र के बन्द हो जाने के बारे में उनके पास कोई सूचना नहीं है और न ही वहां के कर्मचारियों द्वारा आरम्भ किये गये 'धरने' के बारे में उनके पास कोई सूचना है। परन्तु महागुजरात ट्रेड यूनियन कांग्रेस, गांधीधाम (कच्छ) के अध्यक्ष से जनवरी, 1972 में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने प्रबन्धकों द्वारा संयत्र बन्द किये जाने की आशंका व्यक्त की थी और सरकार से इन मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था। इसके पश्चात उस मंत्रालय में इस मामले पर कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

गुजरात सरकार से भी इस आशय की सूचना प्राप्त हुई है कि अतुल ड्रग हाऊस का फार्मलडीहाइड का निर्माण करने वाला संयंत्र बन्द हो गया है, क्योंकि जैसा कि पार्टी ने मौखिक रूप से बताया है कि संयंत्र लाभप्रद नहीं है किन्तु मूल क्षमता के जिला बुलसार के वापा को स्थानांतरित हो जाने से उनके पास किसी लाइसेंस युक्त क्षमता का न होना और लगभग 80% कर्मचारियों का 'धरने' में भाग लेना इसके प्रत्यक्ष कारण हैं। भावनगर के श्रमायुक्त ने हस्ताक्षेप किया और दस दिन हुए जब 'धरना' दिया जाना बन्द कर दिया गया था। ऐसा बताया गया है कि लेबर यूनियन के अध्यक्ष ने श्री ए० के० गोपालन् की मार्फत केन्द्रीय श्रम मन्त्री को संयंत्र का नियंत्रण संभाल लेने के लिए एक ज्ञापन दिया है। संयंत्र उस समय तक फिर से चालू नहीं किया सकता जब तक औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत क्षमता, जिसके लिये आवेदन पत्र दिया गया है, की स्वीकृति नहीं हो जाती।

चित्तूर जिला (आन्ध्र प्रदेश) में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें

3521. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लीड बैंक के सुझाव के अनुसार आन्ध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के सभी स्थानों में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा शाखायें खोल दी गई हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इन शाखाओं को खोलने का काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). इंडियन बैंक ने जो चित्तूर जिले (आंध्र प्रदेश) का लीड बैंक है, जिले के सर्वेक्षण के बाद, बैंक कार्यालयों की स्थापना के उद्देश्य से 24 संवर्धन केन्द्रों (15 बैंक रहित और 9 बैंक युक्त) का निर्धारण किया है। इण्डियन बैंक ने 9 जनवरी, 1971 को चित्तूर में जिला स्तर का जो सम्मेलन बुलाया था, उसमें इन केन्द्रों को 9 वाणिज्यिक बैंकों के नाम नियत कर दिया गया। इनमें से 5 केन्द्रों में कार्यालय खोल दिये गये हैं, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :

बैंक का नाम	केन्द्र का नाम	कार्यालय खोलने की तारीख
बैंक आफ इन्डिया	पुत्तूर	29-9-1971
यूनियन बैंक आफ इंडिया	बैंकटगिरिकोट	21-1-1972
इन्डियन बैंक	मुलक लोचरूवु	27-12-1971
आंध्र बैंक लिमिटेड	श्रीकलाहस्ती	27-12-1971
वैश्य बैंक लिमिटेड	पुंगनूर	1-11-1971

वाणिज्यिक बैंकों को 9 और केन्द्रों में कार्यालय स्थापित करने के लिये भी लाइसेंस दिये गये हैं और आशा है कि इन केन्द्रों में 1972 के अन्त से पहले ही कार्यालय खुल जायेंगे। ब्यौरा इस प्रकार है :

बैंक का नाम	केन्द्र का नाम	बैंक रहित या बैंक युक्त
(1)	(2)	(3)
सेन्ट्रल बैंक आफ इन्डिया	1. पाकाला	बैंक युक्त
	2. कल्लूर	बैंक रहित
	3. कुरावालकोट	बैंक रहित
यूनाइटेड कामर्शियल बैंक	1. अरनगोंडा	बैंक रहित
	2. इराला	बैंक रहित
	3. नागलापुरम	बैंक रहित
इन्डियन बैंक	1. वी० कोचाकोट	बैंक रहित
	2. मदनपल्ली	बैंक युक्त
	3. वोयलपाद	बैंक युक्त

इंडियन बैंक द्वारा चुने गये शेष केन्द्रों में कार्यालयों की स्थापना करने का प्रश्न निर्धारित बैंकों के विचाराधीन है।

तिरुपति (आन्ध्र प्रदेश) में असैनिक हवाई अड्डे के निर्माण कार्य में हुई प्रगति

3522. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश मे तिरुपति स्थान पर असैनिक हवाई अड्डे के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस हवाई अड्डे से होकर जाने वाली इण्डियन एयरलाइंस की प्रस्तावित सेवायें कौन-कौन सी होंगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्णसिह) : (क) तिरुपति में विमान क्षेत्र के निर्माण का कार्य इस वर्ष पूरा हो जाने की आशा है।

(ख) इन्डियन एयरलाइन्स का वर्तमान वर्ष के दौरान तिरुपति को मद्रास, हैदराबाद और बंगलौर से जोड़ने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित सेवायें इस प्रकार हैं :

(i) बंगलौर-तिरुपति-बंगलौर।

(ii) मद्रास-तिरुपति-हैदराबाद और वापिस।

गुजरात में "रहस्यपूर्ण गैस"

3523. **श्री के० कोड्डा रामी रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के रंजीतपुर गांव में भू-सर्वेक्षण विशेषज्ञों ने हाल ही में किसी 'रहस्य पूर्ण गैस' का पता लगाया है; और

(ख) इसके स्वरूप तथा गुण के बारे में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने क्या पता लगाया है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण के अधिकारियों ने रंजीतपुर गांव के निकट गैस उपलब्ध की थी।

(ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की प्रयोगशालाओं में परीक्षण किए गये, इसके नमूनों से पता लगा था कि यह गैस अधिकतर नाइट्रोजन युक्त है और इसमें आक्सीजन तथा कार्बन डाई आक्साइड बहुत कम है। कोई हाइड्रो कार्बन गैस विद्यमान नहीं है। गैस की मात्रा का अनुमान नहीं लगाया गया है।

Scheme to develop Gaya (Bihar) for attracting Tourists

3524. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Gaya (Bihar) is a place of pilgrimage of international repute;

(b) whether lakhs of tourists from within the country and outside visit this place every year;

(c) if so, whether Government have under consideration any scheme to develop it as an ideal spot with a view to attracting more tourists from within and outside the country; and

(d) if so, the main features thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) & (d) Government are aware that a large number of persons visit both Gaya and Bodhgaya.

(c) & (d) : It is proposed to construct a Tourist Service Centre at Bodhgaya and lay a park around the Mahabodhi Temple. The India Tourism Development Corporation also plans to enlarge the Travellers' Lodge.

गृह-निर्माण पर विकास छूट

3525. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समाज के अधिक गरीब वर्गों को गृह-निर्माण पर विकास छूट देने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). जी नहीं। समाज के अधिक गरीब वर्गों को भवन-निर्माण पर विकास-छूट मंजूर करने का ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

1971-72 में भारत आए विदेशी पर्यटक

3526. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :**

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 में भारत में कुल कितने विदेशी पर्यटक आये और यह संख्या पिछले वर्ष की अपेक्षा कम थी या अधिक;

(ख) इस अवधि में इस कारण कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई; और

(ग) किन-किन देशों से अधिकतम पर्यटन भारत आये ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). वर्ष 1970 और 1971 में भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या और विदेशी-मुद्रा की अनुमानित आय इस प्रकार है :—

वर्ष	आने वाले पर्यटकों की संख्या	विदेशी मुद्रा की अनुमानित आय।
		(करोड़ रुपयों में)
1970	280,821	38.03
1971	300,995	40.38

(ग) वर्ष 1970 और 1971 में संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी, मलेशिया, फ्रांस, लंका, जापान और आस्ट्रेलिया से सर्वाधिक संख्या में पर्यटक भारत आये ।

भारतीय पर्यटन विकास निगम का कार्यकरण

3527. **श्री एम० एस० शिवस्वामी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डिया इंटरनेशनल सेन्टर, नई दिल्ली में 28 मार्च, 1972 को हुई परिचर्या में भारतीय पर्यटन विकास निगम के कार्यकरण की आलोचना की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) (क). जी, हां ।

(क) पेनल पर न तो भारत पर्यटन विकास निगम के और न पर्यटन विभाग के ही प्रतिनिधि थे और ज़ाहिर है उसमें भाग लेने वालों को इसके कार्यक्रमों तथा योजनाओं के बारे में कोई पर्याप्त ज्ञान नहीं था । सरकार को पर्यटन के आधारभूत-उपादानों को मज़बूत एवं सम्मुन्नत करने की आवश्यकता की पूर्ण जानकारी है, तथा इस उद्देश्य की पूर्ति को दृष्टि में रखते हुए प्रबल प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

इंगलैण्ड से भारत आने वाले यात्रियों के लिये किराये में वृद्धि

3528. **श्री पी० गंगादेव : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंग्लैण्ड से भारत आने वाले यात्रियों के चार्टर उड़ानों पर पहली अप्रैल, 1972 से 9 पौंड अधिक देने पड़ते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत से इंग्लैण्ड जाने वाले यात्रियों के लिये किराये में वृद्धि नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इंग्लैण्ड से भारत के किराये में वृद्धि किये जाने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) अन्य विमान वाहकों द्वारा प्रस्तुत किराये की दरों तथा यातायात सम्भाव्यताओं को दृष्टि में रखते हुए ब्रिटेन तथा भारत के बीच 'चार्टरों' की दरों में वृद्धि की गई है ।

भारत और बंगला देश के बीच हवाई सेवाए

3529. **श्री बी० के० दास चौधरी : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बंगला देश के बीच हवाई सेवाएं आरम्भ की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मोटी रूप-रेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी, हां । इण्डियन एयरलाइन्स कलकत्ता और ढ़ाका के बीच प्रतिदिन दो सेवाएं परिचालित कर रहे हैं, एक बोइंग 737 से तथा दूसरी फोकर फ्रैंडशिप से । दिल्ली से तथा दिल्ली के लिये सुविधाजनक संयोजक सेवाओं की व्यवस्था है । एयर इण्डिया ने इस वर्ष फरवरी से ढ़ाका के लिये सप्ताह में दो बारे की विमान सेवा परिचालित करनी प्रारम्भ कर दी है ।

बंगला देश विमान के भी शीघ्र ही परिचालन प्रारम्भ कर देने की आशा है ।

Rehabilitation of Farmers rendered Landless due to Acquirement of Land for Cantonment and Airport at Pithoragarh

3530. **Shri Mohan Swarup** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether Government have acquired large tracts of land in rural areas in Pithoragarh for construction of Cantonment and Airport rendering a number of farmers landless;

(b) if so, the action being taken to rehabilitate the affected farmers; and

(c) the area of land acquired by Government ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) to (c). An area of 2969 acres of land is being acquired at Pithoragarh for military purposes. Out an this area, an oxtent of approximately 2369 acres belongs to State Government and its acquisition does not affect any individuals. The remaining area of appoximately 600 acres is private land whose acquisition would involve displacement of about five hundred persons. The individuals whose land is being acquired are paid adequate compensation as deterrmined by the local revenue authorities.

किसानों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से सीधे ऋण देने की योजना

3531. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे किसानों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से सीधे ऋण देने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिये कितना धन रखा गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) राष्ट्रीयकृत बैंक छोटे किसानों समेत उन किसानों को, जिनके प्रस्ताव तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य और आर्थिक दृष्टि से समता होते हैं, कृषि के विकास के लिये सीधे ऋण देते हैं।

(ख) चौथी आयोजना अवधि के अन्त तक सभी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किसानों को सीधे ऋण दिये जाने का लक्ष्य 400 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था। इसके मुकाबले किसानों को दिये गये सीधे वित्त की बकाया राशि सितम्बर 1971 के अन्त में 264.68 करोड़ रुपये थी। राष्ट्रीयकृत बैंकों के सम्बन्ध में, यह बकाया राशि उसी तारीख को 147.52 करोड़ रुपये थी। किन्तु छोटे किसानों को वित्त देने के लिए अलग से कोई ऋण-लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

Increase in Income of General Insurance after Nationalisation

3532. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the percentage by which the income from General Insurance has increased after its nationalisation; and

(b) the basis of the increase ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Smt. Sushila Rohtagi) : (a) and (b). The gross direct premium income in India of insurers carrying on general insurance business was about Rs. 126 crores in 1971 as against Rs. 110 crores in 1970, representing an increase of 14.5%. Separate figures of income for the period 13.5.71 (when the management of the undertakings of the insurers was taken over) to 31.12.1971 are, however, not available.

Polyester produced by the Chemicals and Fibres of India Ltd.

3533. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state :

(a) the tonnage of Polyester production by the Chemicals and Fibres of India Ltd. during the last two years; and

(b) the percentage of produced sold in the country and that exported to foreign countries ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dilbir Singh) :

(a)

1970 (in tonnes)	1971 (in tonnes)
5332	5730

(b) Since Polyester Staple Fibre is exported only in the form of mixed fabrics, the content of this item in total mixed exports has to be ascertained. This is being done.

Opium Growers in Mandsaur and Ratlam Districts of Madhya Pradesh

3534. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether the opium growers of Mandsaur and Ratlam Districts had complained last year of inordinate delay in receiving payments; and

(b) if so, the steps taken by Government to expedite payment to them ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) Apart from a telephonic message received on 7. 4. 71 by the Deputy Narco tics Commissioner, Neemuch (Madhya Pradesh), complaining that some opium growers of Sitamau in district Mandsaur were not paid 90% of the price of the opium on the day of the weighment of opium, no general complaints of inordinate delay in receiving payments were made by opium growers of Mandsaur and Ratlam Districts in 1971.

(b) Orders exists that 90% of the total price payable to cultivators for opium purchased from them, should be paid to them by the Departmental officers at the weighment centres on the same day. For this purpose, the District Opium Officers draw sufficient cash in advance from the concerned Treasuries. The Assistant Narcotics Commissioner, Neemuch, who visited Sitamau and investigated the matter, found that there were some cases of delay in making payments to the opium growers as the amount drawn from the Treasury had fallen short. Arrangements were made to obtain the addittional amount from the Treasury and payments were made to the growers. The delay in making payments to the growers is uncommon and in this particular case was attributable not to any failure of the system or the procedure but to the misjudgment of the District Opium Officer in estimating the cash amount that would be required. This individual lapse was taken care of by reverting the officer concerned to the Central Excise Department.

वित्तीय संस्थाओं द्वारा विकास कार्यों के लिए गुजरात को ऋण देने की स्वीकृति

3535. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक वित्त निगम, कृषि वित्त निगम, औद्योगिक विकास बैंक और जीवन बीमा निगम द्वारा विकास कार्यों के लिए राज्यों को ऋण किस मापदण्ड के आधार पर स्वीकृत किये जाते हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में उक्त संस्थाओं में से प्रत्येक ने गुजरात को कितना-कितना ऋण दिया; और

(ग) किन परियोजनाओं के लिए ऋण दिया गया तथा उसका किस सीमा तक उपयोग हुआ ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग). भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और कृषि वित्त निगम राज्यों को ऋण नहीं दिया करते । प्रथम दो संस्थाए विभिन्न औद्योगिक कम्पनियों को वित्तीय सहायता देती हैं जबकि तीसरी संस्था सदस्य-वाणिज्यिक बैंकों के साथ मिलकर किसानों/अन्य निकायों को कृषि विकास के लिए ऋण सम्बन्धी प्रस्तावों को मंजूर करती है । पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान, कृषि वित्त निगम लिमिटेड ने सिंचाई के कुओं के लिए बिजली उपलब्ध करने के लिए गुजरात बिजली बोर्ड की 8 करोड़ रुपये की एक योजना का अनुमोदन किया । इन ऋणों के इस्तेमाल की देखभाल कृषि वित्त निगम और उन बैंकों के द्वारा की जाती है जो ऋण देते हैं । 30-9-1971 की स्थिति के अनुसार, ऋण के केवल एक भाग अर्थात् 180.31 लाख रुपये का भुगतान किया गया था तथा आगे प्रगति के अनुसार सम्बद्ध बैंक समय-समय पर रकम देते रहेंगे ।

जीवन बीमा निगम प्रत्यक्ष रूप से राज्यों को ऋण दो प्रकार से देता है—(1) राज्य सरकारों के ऋणों में अभिदान और (2) विशिष्ठ आवास आयोजना के लिए राज्य सरकार को ऋण । इसके अतिरिक्त जल पूर्ति, जल-मल निकासी योजना, औद्योगिक बस्तियों, आवास व्यवस्था बिजली उत्पादन और वितरण आदि के लिए अन्य कानूनी निकाओं / कम्पनियों को भी ऋण दिये जाते हैं । जीवन बीमा निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान मंजूर किये गये इन ऋणों की रकम संलग्न विवरण में दी गयी है ।

राज्य सरकारों द्वारा आम तौर से विकास प्रयोजनों के लिए ऋण लिये जाते हैं । अन्य ऋणों के सम्बन्ध में इस्तेमाल की देखभाल उन राज्य सरकारों द्वारा की जाती है जो सामान्यतः उनकी गारंटी देती हैं । जहां आवश्यक हो, जीवन बीमा निगम भी उसके द्वारा दिये गये ऋणों के उचित इस्तेमाल के बारे में, उपयुक्त अनुवर्ती उपायों के द्वारा अपने आप को संतुष्ट करता है ।

विवरण

जीवन बीमा निगम द्वारा गुजरात की राज्य सरकार और गुजरात राज्य में स्थिति अन्य

कानूनी निकायों/प्रतिष्ठानों आदि को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान मंजूर किये गये ऋणों का विवरण

(लाख रुपयों में)

	मंजूर किये गये ऋण की रकम
1. गुजरात राज्य को ऋण	
राज्यीय ऋण	622.20
आवास व्यवस्था के लिए राज्य सरकार को ऋण	200.00
2. विशेष ऋण	
आवास व्यवस्था के लिए बाढ़ सहायता	200.00
जलपूर्ति व्यवस्था की मरम्मत के लिए बाढ़ सहायता	25.00
भूचाल सहायता	100.00
3. अन्य ऋण	
जलपूर्ति और जल निकासी योजनाओं के लिए नगरपालिकाओं को ऋण	160.72
ग्रामीण जलपूर्ति योजनाओं के लिए जिला पंचायतों को ऋण	17.00
औद्योगिक बस्तियों को ऋण	86.62
चीनी सहकारी समितियों को ऋण	90.00
शीर्ष सहकारी आवास वित्त समितियों को ऋण	3000.00
राज्य बिजली बोर्डों को ऋण	1175.00
	5676.54

गार्डन रीच वर्कशाप रांची में समुद्री जहाजों के डीजल इंजनों का निर्माण

3536. **श्री वी० मायावान :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गार्डनरीच वर्कशाप द्वारा रांची में स्थापित किये गये कारखाने में विभिन्न प्रकार के समुद्री जहाजों के डीजल इंजन बनाया जाना आरम्भ हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक किस-किस किस्म के कितने इंजन बनाये गये हैं ?

रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) मैरीन डीजल इंजन परियोजना, रांची में मध्यम शक्ति के मैरीन डीजल इंजनों का उत्पादन शुरू हो गया है ।

(ख) 31 मार्च, 1972 तक मध्यम शक्ति के जी० वी० टाइप के चार इंजनों का उत्पादन किया गया ।

नौसैनिक केन्द्रों में क्वार्टर बनाने की योजनाएं

3537. **श्री वी० मायावान** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1970-71 के सभी नौसैनिक केन्द्रों में विवाहित तथा अविवाहित लोगों के लिये क्वार्टर बनाने हेतु बनाई गयी योजनाओं की रूपरेखा क्या है ;

(ख) योजनाएं किस हद तक क्रियान्वित की जा चुकी हैं ; और

(ग) विशाखापतनम में रिहायशी मकानों को अत्यधिक कमी को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 1970-71 में निम्नलिखित परिवारिक/एकल आवास के लिए व्यवस्था करने के लिए योजना बनाई गई थी :—

(i) पारिवारिक क्वार्टर्स : 835

(ii) एकल क्वार्टर : 1524

(ख) उपर्युक्त में से निम्नलिखित आवास संस्वीकृत हो चुका है या निर्माणाधीन है :—

(i) पारिवारिक क्वार्टर : 134

(ii) एकल क्वार्टर : 1312

(ग) स्थिति को सरल बनाने के लिए निजी आवास को भारी तदाद में किराये पर लिया गया है ।

मद्रास तेल शोधन शाला और ल्यूब इंडिया लिमिटेड, बम्बई से संलग्न पेराफिन मोम संयंत्रों की स्थापना

3538. **श्री वी० मायावन** :

श्री सी० टी० दंडपाणि :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार मद्रास तेल शोधनशाला और ल्यूब इण्डिया लिमिटेड, बम्बई से पेराफिन मोम संयंत्रों की स्थापना करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर अन्तिम निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख). देश में मोम निर्माण करने की सुविधाएं स्थापित करने की तकनीकी आर्थिक संभाव्यता का अध्ययन करने तथा रिपोर्ट तैयार करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त किये गये अध्ययन दल का विचार है कि मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड तथा ल्यूब इण्डिया लिमिटेड के लिए अपनी परिष्टकरणशालाओं में पेराफिन मोम का निर्माण करना संभव हो सकेगा ।

मद्रास रिफाइनरीज लि० ने एक संभाव्य रिपोर्ट तैयार की है और पेराफिन मोम का संयंत्र स्थापित करने का फैसला कर लिया है ।

ल्यूब इण्डिया लि० ने पेराफिन मोम का निर्माण करने में रुचि व्यक्त की है। कम्पनी की इस प्रायोजना के लिए एक संभाव्य रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। संभाव्य रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात् सरकार इस मामले पर और विचार करेगी।

निर्यात और आयात घोटालों का पता लगाने के लिए मद्रास में छापे

3539. **श्री वी० मायावन :**

श्री सी० टी० दण्डपाणि :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास सिटी में प्रथम मार्च, 1972 को प्रवर्तन निदेशालय, केन्द्रीय जांच ब्यूरो और आय-कर गुप्तचर्या विंग ने संयुक्त रूप से दो छापे मारे थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके फलस्वरूप किसी निर्यात और आयात घोटाले का पता चला है ;

(ग) क्या इसमें कुछ विदेशी भी शामिल हैं ; और

(घ) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां। मद्रास में एक संयुक्त छापा 29-2-72 को मारा गया था, 1-3-72 को नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां। इस मामले में एक विदेशी अंतर्ग्रस्त था।

(घ) जब्त किए गए कागजात की आसूचना पक्ष और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बारीकी से जांच की जा रही है।

तमिलनाडु में पर्यटक सम्बर्द्धन योजनाओं की क्रियान्विति के लिये केंद्रीय सहायता

3540. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **पयंटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु सरकार ने राज्य में चौथी योजना के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या योजनाएं तैयार की हैं ;

(ख) इन योजनाओं की क्रियान्विति के लिये केन्द्र ने क्या सहायता दी है ; और

(ग) इन योजनाओं की क्रियान्विति में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ग). राज्य सरकार से सूचना प्राप्त की जा रही है।

(ख) अब राज्यों की अपनी पर्यटन स्कीमों के लिये केन्द्र द्वारा वित्तीय सहायता नहीं दी जाती। अब पर्यटन स्कीमें या तो राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत अथवा केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत होती है।

जवानों को आवासीय और शैक्षिक सुविधायें

3541. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेघर जवानों को उनके अपने-अपने राज्यों में आवासीय सुविधा देने के लिए क्या विशेष प्रबन्ध किये गये हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार जवानों को, उनके लिये सुविधाजनक समय में उच्च शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करने का है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सेवा के दौरान जवान पारिवारिक अथवा एकल आवास पाने के पात्र हैं जो पारिवारिक स्टेशन अथवा गैर पारिवारिक स्टेशन पर उनकी नियुक्ति और उनकी पात्रता तथा आवास की उपलब्धता पर निर्भर करता है। कुछ विशिष्ट स्टेशनों पर जवानों के परिवारों के लिए सरकारी आवास की व्यवस्था भी विद्यमान है, जब जवानों को गैर-पारिवारिक स्टेशनों पर तैनात किया जाता है।

सेवा के दौरान जवानों के आवासीय भूखण्डों के लिये विशिष्ट अनुरोधों की सिफारिश उनके कमांडिंग अफसरों द्वारा सम्बन्धित राज्य के उपायुक्त को भेजी जाती है।

प्राय: सभी राज्यों ने अपनी गृह योजनाओं, प्लाटों/मकानों में 15 प्रतिशत तक का आरक्षण, जवानों को इकमुश्त राशि अथवा किराया-खरीद आधार पर आवंटित करने के लिए किया है।

कुछ स्थानों पर डिफेंस कालोनियां स्थापित की गई हैं, उदाहरणतया चुरू (राजस्थान), हिसार (हरियाणा) और चंडीगढ़ जहां विल्डिगों के स्थान केवल रक्षा कार्मिकों को दिये जाते हैं।

सेवा से मुक्त होने के पश्चात् जवानों को कुछ राज्यों की भूमि कालोनियों में बसाया जाता है जहां खेती के लिए भूमि दिये जाने के अतिरिक्त वास भूमि भी दी जाती है। हाल के भारत-पाक संघर्ष में हताहत हुए सैनिकों के परिवारों के लिए निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं :—

(1) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दक्षिण दिल्ली में ऐसे परिवारों तथा आश्रितों को आश्रित सहायता की दरों के आधार पर आवंटन के लिए 150 प्लाट आरक्षित किये हैं। वे इस वर्ग के लोगों को निम्न आय वर्ग की गृह योजनाओं में आश्रित सहायता की दरों पर बने-बनाये फ्लेट भी आवंटित कर रही है।

(2) उत्तर प्रदेश और बिहार सरकारें ऐसे परिवारों के लिये छावनियों तथा अन्य क्षेत्रों में गृह परियोजनाओं की योजनाएं बना रही हैं।

(3) जलन्धर में ऐसे परिवारों तथा विकलांग रक्षा कार्मिकों के लिए आवास निर्माण हेतु एक प्लाट अर्जित किया गया है।

(ख) सैनिक शिक्षा की सामान्य योजना के अन्तर्गत जवानों के लिए आर्मी हायर सेकेन्डरी सर्टिफिकेट आफ एजूकेशन स्तर तक के शिक्षा कोर्स नियमित रूप से चलाये जाते हैं। उच्च शिक्षा के लिए भी सुविधाएं विद्यमान हैं। अपने खाली समय के दौरान जवान अपनी बी० ए० परीक्षा के लिए अध्ययन कर सकते है। इस उद्देश्य के लिये सैनिक कार्मिकों की उम्मीदवारी थल सेना मुख्यालय द्वारा आर्मी एजूकेशनल और ट्रेनिंग कालेज एण्ड सेन्टर पचमढ़ी द्वारा भेजी जाती है जो सागर विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है।

मुर्शिदाबाद, दार्जिलिंग, माल्दा और सुन्दरबन का पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकास

3542. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुर्शिदाबाद, दार्जिलिंग, माल्दा और सुन्दरबन को पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए उनके मंत्रालय को पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से उस राज्य की सहायता किये जाने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या उनके मन्त्रालय का स्वयं ही इन स्थानों पर पर्यटक होस्टलों/होटलों का निर्माण करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो उसकी मुख्य रूप रेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). राज्य सरकार ने दस योजनाओं का प्रस्ताव रखा था, किन्तु केन्द्रीय क्षेत्र में निम्नलिखित योजनाओं को हाथ में लेने का प्रस्ताव है :—

(i) दार्जिलिंग में 3.5 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक युवा होस्टल ;

(ii) तीन लाख रुपये की अनुमानित लागत से दार्जिलिंग पर्यटक लाज में 10 अतिरिक्त कमरों की व्यवस्था ;

(iii) 1.65 लाख रुपये की अनुमानित लागत से पर्यटकों के प्रयोग के लिये दो 16 सीटवाली मिनी-बसों तथा दो 8 सीटवाली जीपों की व्यवस्था ;

(vi) जलदापाड़ा वन्य जीव शरण-स्थल में एक-शय्या वाले 10 कमरों एवं भोजन-कक्ष की अतिरिक्त व्यवस्था ।

जापान से ऋण के लिए समझौता

3543. **श्री एस० एम० बनर्जी :**

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी, 1972 में हुए समझौते के अन्तर्गत जापान भारत को किन शर्तों पर ऋण देगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : पहली फरवरी, 1972 को, जापान के निर्यात-आयात बैंक (एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक) के साथ 73.26 करोड़ रुपये (31 अरब

येन) के एक ऋण-करार पर हस्ताक्षर किए गये थे। यह ऋण 20 वर्षों की अवधि में वापस किया जाना है जिसमें 7 वर्षों की रियायती अवधि भी शामिल है, और इस पर 4.75 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज लगेगा।

Criteria for Recruitment to Armed Forces

3544. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether people belonging only to certain specific States are recruited in the Defence Services ; and

(b) if so, the criteria laid down for the purpose of recruitment to the Defence Services ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) No, Sir. Only in some Regiments this is applicable.

(b) There are prescribed age-limits and educational and physical qualifications depending on the rank, the trade and the Resiment to which recruitment is to be made. Broadly, the age-limits for recruitment range from 17-24. The lowest prescribed educational qualification is "literate in own language". The minimum height is 152 Cms and the minimum weight is 42 Killograms.

Some relaxations in the minimum physical standards are allowed in respect of persons belonging to certain ethnic groups like the Gorkhas, the Kumaonis etc. who possess, on the average, lower physical staturc than members of the general poluplation. In some regiments, persons belonging to certain classes, States or regions only are recruited.

Overdraft by States

3554. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether Government have made a study of the circumstances leading to the States resorting to over-draft from the Reserve Bank and if so, the outcome thereof ; and

(b) the steps contemplated to curb the States' tendency to resort to overdrafts ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) (a) and (b). The Goverment of India have been urging the States to keep their financial position under constant review, to contain their Plan and non-plan expenditure within the available resources and to avoid recourse to overdrafts. Discussions have already been held with the States having overdrafts on the Reserve Bank. The concerned State Governments had in these discussions agreed to intiate suitable measures to reduce the overdrafts, including economies in non-plan expenditure and mobilisation of additional resources. The present overdrafts of States have resulted entirely from the fact that they have accepted expenditure commitments, both on plan and non-plan account, far in excess of available resourcees.

It has been decided that States will not be permitted to regard overdrafts on the Reserve Bank of India as a kind of budgetary resource. The State Plan outlays for the current year have been fixed on a fully financed basis. All future operations would, therefore, have to be on a self-financing basis and a balance would have to be maintained between the flow of resources and expenditure. Under the procedure which has now been worked out in consulatation with the Planning Commission and the Reserve Bank, in case any State Government has an overdraft continuously for seven days, the Reserve Bank would automatically suspend payments which will be resumed only when the overdraft disappears.

क्षेत्रों, प्रदेशों एवं राज्यों के नाम वाली सैनिक यूनिटें

3546. **श्री समर गुह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सशस्त्र सेनाओं में भिन्न-भिन्न संख्या वाली विभिन्न यूनिटें हैं जिनके नाम क्षेत्रों, प्रदेशों और राज्यों के परिचायक हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनके नाम और स्वरूप क्या हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) भारतीय सशस्त्र सेनाओं में कुछ यूनिटें विभिन्न संख्या शक्ति वाली भौगोलिक, प्रादेशिक या राज्य की परिचायक हैं ।

(ख) ऐसी यूनिटों की सूची निम्नलिखित है :—

नाम	आर्य	भौगोलिक/प्रदेशिक/राज्य
1. मेंट्रल इण्डिया हौर्स	आर्मरड कोर	भौगोलिक
2. मद्रास इंजीनियर ग्रुप	इन्जीनियर	प्रादेशिक
3. बंगाल इन्जीनियर ग्रुप	इन्जीनियर	राज्य
4. बम्बई इन्जीनियर ग्रुप	इंजीनियर	प्रादेशिक
5. पंजाब रेजीमेंट	इंफेट्री	राज्य
6. मद्रास रेजीमेंट	इन्फेंट्री	प्राबेशिक
7. राजपूताना राइफल्स	इन्फेंट्री	भौगोलिक
8. गढ़वाल राइफल्स	इन्फेंट्री	प्रादेशिक
9. कुमायूं रेजीमेंट	इन्फेंट्री	प्रादेशिक
10. असम रेजीमेंट	इन्फेंट्री	राज्य
11. बिहार रेजीमेंट	इन्फेंट्री	राज्य
12. जम्मू तथा काश्मीर राइफल	इन्फेंट्री	राज्य
13. लद्दाख स्काउट्स	इन्फेंट्री	प्रादेशिक

राष्ट्रीयकृत बैंकों में कर्मचारियों की अधिकता

3547. **श्री राम सहाय पाण्डेय** : क्या **वित्त** मंत्री की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों की अधिकांश शाखाओं में कर्मचारियों की अधिकता है जिससे इनकी सेवाएं खराब हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन बैंकों में कर्मचारियों की नियुक्ति और कार्य के ढांचे को युक्तियुक्त बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). यह कहना सच नहीं होगा कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की अधिकांश शाखाओं में कर्मचारियों की अधिकता है जिससे इनकी सेवाएं खराब हो गई हैं । फिर भी, प्रत्येक बैंक विभिन्न वर्गों में नियुक्त कर्मचारियों की संख्या की लगातार समीक्षा करते हैं और संख्या के असंतुलन को, यदि कोई हो, करते हैं ।

गुजरात में पेट्रो-रसायन परियोजनाएं स्थापित करने का निर्णय

3548. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गुजरात में कुछ पेट्रो-रसायन परियोजनाएं स्थापित करने का निर्णय किया है;

(क) यदि हां, तो क्या इन परियोजनाओं पर लगने वाली विदेशी पूंजी के प्रश्न पर विचार करने हेतु 25 मार्च, 1972 को नई दिल्ली में एक बैठक हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो बात-चीत के क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). गुजरात राज्य में केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित की जाने वाली पेट्रो-रसायन प्रायोजनाओं में से किसी में भी विदेशी निवेश का लगाया जाना परिकल्पित नहीं है। 25 मार्च, 1972 को हुई बैठक में नेफ्था क्रैकर प्रायोजना के 'डाऊन स्ट्रीम यूनिटों' के लिए विदेशी तकनीकी सहयोग के प्रस्तावों पर विचार किया गया था। अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है।

Proposal to open Hotel/Motel at narmada Ghat in Maheshwar and at Mandu (Madhya Pradesh)

3549. **Shri R. V. Bade** : Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) whether Central Government propose to open any hotel or motel for foreign tourists at Narmada Chat in Maheshwar and at Mandu; and

(b) whether Government of Madhya Pradesh had sent any proposal to the Central Government in this regard ?

The Minister of Tourism and Civil aviation (Dr. Karan Singh) : (a)& (b). No, Sir. The India Toursim Development Corporation, however, has a Travellers/Lodge at Mandu.

विदेशों में विदेशी मुद्रा का अवैध व्यापार करने वाले गिरोह

3550. **श्री एन० ई० होरो** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगापुर, लंदन, हागंकांग तथा विश्व के अन्य महत्वपूर्ण नगरों में विदेशी मुद्रा का अवैध व्यापार करने वाले बड़े-बड़े गिरोह भारतीय रुपये का अवैध व्यापार कर रहे हैं।

(ख) यदि हां, तो इससे भारत सरकार को अनुमानत: कितनी हानि होती है; और

(ग) इसके कारण होने वाली हानि को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी हां।

(ख) इस तरह के अवैध कार्यकलापों के कारण होने वाली विदेशी मुद्रा की हानि का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

विभिन्न प्रकार के अवैध लेन-देनों के कारण विदेशी मुद्रा की हानि सरकार के लिए चिन्ता का विषय बनी हुई है और इस समस्या को कारगर ढंग से सुलझाने के लिए कई कानूनी, प्रशासनिक और अन्य उपाय किए गये हैं। पहली अप्रैल, 1965 से विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में एक विशिष्ट उपबन्ध जोड़ कर उसमें संशोधन कर दिया गया है जिसके अनुसार भारत में, किसी व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत सारणी के अलावा किसी अन्य रीति से, विदेश में रहने वाले किसी व्यक्ति के लिए तथा उसकी ओर से धनराशि की प्राप्ति को अपराध माना जायगा। इसके परिणामस्वरूप, भारत में अप्राधिकृत विदेशी मुद्रा प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर भी यह अधिनियम लागू होगा जो पहले ऐसा नहीं था। आयातों के सम्बन्ध में वास्तविक से अधिक राशि के बीजक और निर्यातों के सम्बन्ध में वास्तविक से कम राशि के बीजक बनाने की प्रवृत्ति पर प्रतिबन्ध लगाने के उद्देश्य से सम्बद्ध कानूनों में संशोधन करने के लिए इस समय सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। अधिनियम के अधिक गंभीर उल्लंघनों के बारे में आवश्यक कार्रवाई करने के उद्देश्य से इस सम्बन्ध में अब तक जिस दण्ड की व्यवस्था थी उससे अधिक निवारक दण्ड की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। सरकार विदेशी मुद्रा विनियमन प्रवर्तन निदेशालय में कर्मचारियों की संख्या बढ़ा कर, उसमें विस्तार करने के लिए कुछ प्रस्तावों पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। सीमा-शुल्क कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर तथा फिर से तैनात करके और सूचना इकट्ठी करने की प्रणाली तथा तंत्र में आवश्यक सुधार करके, तस्करी की रोकथाम करने के लिए जोरदार प्रयत्न किये गये हैं। जटिल मामलों की जांच पड़ताल करने के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों में एक आर्थिक अपराध प्रशाखा भी जोड़ दी गयी है और राजस्व सम्बन्धी अपराधों के सम्बन्ध में कार्रवाई करने वाले अन्वेषण तथा प्रवर्तन अभिकरणों द्वारा जांच-पड़ताल करने के काम में अपेक्षाकृत अच्छे ढंग से समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से राजस्व गुप्तवार्ता तथा अन्वेषण के महानिदेशक के पद का निर्माण किया गया है।

उपर्युक्त उपायों के अलावा, निवेशसम्बन्धी नीति को उदार बनाने के लिए भी आवश्यक कदम उठाये गये हैं ताकि विदेशों में रहने वाले भारतीयों को निवेश करने के अच्छे अवसर प्राप्त हों। गैर रिहायशी खाते खोलने की नीति को अपेक्षाकृत अधिक उदार बना दिया गया है और एक नये किस्म के खाते खोलने की अनुमति दे दी गयी और जो गैर-रिहायशी (विदेशी) खाते कहे जाते हैं और इस तरह के खातों के माध्यम से की जाने वाली प्रेषणाएं विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रतिबन्धों से मुक्त हैं। इस प्रकार के खातों में जमा राशियों पर प्राप्त ब्याज कर भी मुक्त होता है। इन उपायों से भी अवैध तरीके से बाहर जाने वाली विदेशी मुद्रा की राशि में कमी करने में काफी सहायता मिलेगी।

राज्यों के लिये धन का आवंटन

3551. **श्री निहार लास्कर :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1971-72 में राज्यों को अलग-अलग गैरयोजना स्कीमों के लिए कितनी राशि सहायता के रूप में दी गयी;

(ख) क्या कुछ राज्यों को विशेष ख्याल रखते हुए सहायता दी गई है और यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और कितनी राशि दी गई तथा वह किस प्रयोजन हेतु दी गयी; और

(ग) क्या कुछ राज्यों, जिन्होंने निर्धारित राशि से अधिक राशि (ओवर ड्राफ्ट) ले ली थी को भी उनका विशेष ख्याल रखते हुए सहायता दी गयी और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) राज्यों के लिए 1971-72 के संशोधित अनुमान में कुल मिलाकर 1319 करोड़ रुपये की गैर-आयोजना सहायता की व्यवस्था की गई थी।

(ख) जी, हां,। एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

(ग) विशेष सहायता (ऋणों के रूप में) केवल उन्हीं राज्यों के लिए दी जाती है, जिनके साधनों में योजना आयोग के मूल्यांकन के अनुसार चौथी आयोजना की अवधि में अपरिहार्य कमी रह गई है। विशेष सहायता दिये जाने के बावजूद भी, इनमें से कुछ राज्यों ने भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट लिए हैं। ये ओवरड्राफ्ट इस कारण लेने पड़े हैं, क्योंकि सम्बद्ध राज्यों नें आयोजनागत और आयोजना भिन्न दोनों खातों में, विशेष ऋण सहायता समेत उपलब्ध अपने साधनों से कहीं ज्यादा व्यय की वचनबद्धताओं को पूरा करना स्वीकार कर लिया है।

विवरण

1971-72 *में साधनों की कमी को पूरा करने के लिए राज्यों को विशेष ऋण सहायता

	राज्य	करोड़ रुपयों में
1.	असम	16. 49
2.	जम्मू और कश्मीर	42. 86
3.	केरल	8. 61
4.	मैसूर	12. 07
5.	उड़ीसा	20. 21
6.	राजस्थान	24. 06
	जोड़	124. 30

* अनंतिम

देश के भीतर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये कार्यवाही

3552. **श्री निहार लास्कर :**
श्री भान सिंह भौरा :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के भीतर पर्यटन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि विभिन्न क्षेत्रों के लोगों में अच्छी सूझ-बूझ उत्पन्न हो सके; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है और इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) . जी, हां। पर्यटन के समस्त आधारभूत उपादान देशी और विदेशी दोनों प्रकार के पर्यटनों के लिए उपलब्ध हैं। गत योजनावधियों में अनेक पर्यटक बंगलों का निर्माण किया गया जोकि मुख्यत: देशी पर्यटकों के लिये थे। वर्तमान योजनावधि के दौरान देश में 14 स्थानों पर युवा होस्टलों के, तथा रामेश्वरम, गौहाटी और जैसलमेर तथा वन्य जीव शरणस्थानों में पर्यटक बंगलों के निर्माण का प्रस्ताव है।

भारत में काले धन सम्बन्धी आयोग

3554. **श्री पम्पन गौड़ा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में पाये जाने वाले काले धन की राशि का पता लगाने के लिए एक आयोग की स्थापना करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

आत्म-निर्भरता के लिए साधन जुटाना

3555. **श्री भोगेन्द्र झा :**

डा० रानेन सेन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ ने अपनी वार्षिक बैठक में कुछ सुझाव दिए हैं जिनसे सरकार आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए साधन जुटा सकती है;

(ख) यदि हां, तो संघ द्वारा किस प्रकार के सुझाव दिए गए हैं; और

(ग) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) संघ ने जो सुझाव दिए हैं उनका सम्बन्ध विदेशी और स्वदेशी दोनों प्रकार के साधनों से है। विदेशी साधनों के बारे में जो सुझाव दिए गये हैं उनमें ये सुझाव भी शामिल हैं; चयनात्मक आधार पर विदेशी सहायता लेते रहना और अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ और अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम जैसे अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों का अधिक सहारा लेना; कुछ विशिष्ठ क्षेत्रों में विदेशी गैर-सरकारी निवेश को प्रोत्साहन देना;

आयात-प्रतिस्थापन को बढ़ावा देना और निर्यात में वृद्धि की औसत वार्षिक दर के लक्ष्य को 7 प्रतिशत से बढ़ा कर 10 प्रतिशत करना।

स्वदेशी साधन जुटाने के बारे में जो सुझाव दिए गए हैं उनमें ये सुझाव शामिल हैं; कर—भार और कर—प्रोत्साहनों का विवेकपूर्ण सम्मिश्रण; बाजार—ऋणों के सम्बन्ध में बेहतर शर्तों की पेशकश; साधनों का निर्माण करने के उद्देश्य से सरकारी उपक्रमों को सक्षम बनाना; निगम क्षेत्र की बचतों में वृद्धि करने के लिए निगम कराधान की दरों का समायोजन; विकास छूट के स्थान पर इसी प्रकार का कोई अन्य प्रोत्साहन देना; आर्थिक विकास के लिए कृषि—बचतों को जुटाने के उद्देश्य से वित्तीय तकनीकों का विकास करना; ऋणों को समान्य पूंजी में बदलने के मामले में अत्याधिक विवेक के काम लेना; और उद्योगों और व्यापार के लिए ऋणों की अपेक्षाकृत बेहतर सुविधाओं की व्यवस्था करना।

(ग) सरकार इन सुझावों पर, स्वीकृत उद्देश्यों और नीतियों को ध्यान में रखते हुए, विचार करेगी।

एकाधिकार आयोग द्वारा वापिस भेजे गये आवेदन-पत्र

3556. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार आयोग ने बिड़ला उद्योग समूह के ग्वालियर रेयन और हिन्दुस्तान एल्युमिनियम के विस्तार से सम्बद्ध अनिर्णीत मामलों को बिना किसी टिप्पणी के सरकार को वापिस भेज दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं।

(ग) क्या सरकार ने इन दोनों मामलों के बारे में कोई निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो वह निर्णय क्या है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): (क) तथा (ख). एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग ने, हिन्दुस्तान अल्यूमिनियम के मामले को इस विषय के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना इस आधार पर वापिस कर दिया है, कि इस कम्पनी का औद्योगिक लायसेंस का पिछला आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया गया था। तीन अन्य विषयों में, जिनमें से एक इसी कम्पनी व दो अन्य मैसर्स ग्वालियर रेयन्स से सम्बन्धित थे, आयोग ने कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे। ये स्पष्टीकरण भेज दिये गये हैं, एवं आयोग की जांच पड़ताल प्रगति पर है।

(ग) नहीं श्रीमान्

(घ) उत्पन्न नहीं होता है।

दिल्ली में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं खोलना

3557. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने वाणिज्यिक बैंकों को 1972-73 में 125 नई शाखाएं खोलने की अनुमति दे दी है;

(ख) अन्य राज्यों में ये बैंक इसी अवधि में कितनी शाखाएं खोल रहे हैं; और

(ग) ये बैंक इसी अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी शाखाएं खोलेंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). बैंकों के पास दिल्ली/नयी दिल्ली को छोड़कर, देश में 2095 और कार्यालय खोलने के लिए लाइसेंस/आवंटन लंबित है और आशा है कि बैंक समग्र रूप में, वर्ष 1972-73 के दौरान इन लाइसेंसी/आवंटनों का उपयोग कर लेंगे । उपर्युक्त लाइसेंसों/आवंटनों में से लगभग 1601 का सम्बन्ध ग्रामीण/अर्ध-शहरी केन्द्रों में खोले जाने वाले कार्यालयों से हैं ।

इण्डियन एयरलाइन्स के पास उपयुक्त पड़े विमान

3558. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स के पास कुछ डकोटा विमान (डी० सी-3) तथा अन्य किस्म के विमान उपयुक्त पड़े हैं;

(ख) क्या इन उपयुक्त पड़े विमानों का उपयोग करने के लिये कुछ और माल वाहक विमानों तथा फीडर विमानों की सेवायें आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इण्डियन एयरलाइंस अपने पुराने और अलाभप्रद डकोटा तथा वाइकाउंट विमानों को क्रमशः समाप्त कर रहे हैं । ऐसे कुछ विमान अभी निपटान के लिये पड़े हैं ।

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में तेल शोधन के लक्ष्य

3559. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चौथी योजना के 280 लाख मीटरी टन तेल शोधन की क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेगी;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1970-71 तक कितनी तेल शोधक क्षमता प्राप्त की गई; और

(घ) तेल शोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) 280 लाख मीटरी टन के लक्ष्य की तुलना में निम्न क्षमताओं की उपलब्धता के साथ-साथ चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रतिवर्ष शोधन क्षमता 250 लाख मीटरी टन होने का अनुमान है।

(i) बोंगेगांव (असम) में 10 लाख मीटरी टन

(ii) हल्दिया (पश्चिमी बंगाल) में 35 लाख मीटरी टन

(iii) कोयाली (गुजरात) में 5.5 लाख मीटरी टन

(ख) उत्पादन में कमी के कारण इस प्रकार है :—

(i) बोंगईगांव शोधन परियोजना, जिसकी स्वीकृति सरकार द्वारा जनवरी, 1972 में दी गई थी, के 1976 के प्रारम्भ में चालू हो जाने की आशा है।

(ii) पूर्वी क्षेत्र की मांग को दृष्टिगत करते हुए यह निर्णय किया गया कि हल्दिया में प्रतिवर्ष 25 लाख मीटरी टन की क्षमता की प्रतिस्थापना की जाये। इस परियोजना की 1973 के मध्य तक चालू हो जाने की आशा है।

(iii) गुजरात में पता लगाये गए तेल क्षेत्रों से कच्चे तेल की सप्लाई की संभावित कमी के कारण केवल चौथी योजना के अन्त तक कोयाली शोधन शाला के प्रतिवर्ष 43 लाख मीटरी टन तक विस्तार करने का अब प्रस्ताव है।

(ग) 1971 के अन्तर्गत शोधन घन पुट 1960 मीटरी टन था।

(घ) हल्दिया और बोंगईगांव में स्थापित की जा रही परिष्करणशालाओं के अतिरिक्त उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में प्रतिवर्ष लगभग 6 लाख मीटरी टन की क्षमता की एक परिष्करणशाला की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। पांचवी योजना की अवधि में परियोजना के चालू हो जाने की आशा है।

बीजक बनाने में गड़बड़ी करके तथा तस्करी आदि के कारण विदेशी मुद्रा की हानि

3560. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार में गड़बड़ी दिखाने, तस्करी तथा विदेशी मुद्रा में जालसाजी किये जाने से भारत को प्रतिवर्ष 240 करोड़ रुपए के मूल्य की विदेशी मुद्रा की हानि होती है;

(ख) वित्त मंत्रालय के अनुमानों के अनुसार 70 प्रतिशत तस्करी भारत की प्राप्य विदेशी मुद्रा के उस अंश से की जाती है; जो बीजकों में गड़बड़ी करके बचा लिया जाता है और जो अनधिकृत व्यक्तियों के पास पहुँच जाती है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इसको रोकने के लिए क्या ठोस कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ग). विदेशी मुद्रा-विनिमय नियंत्रण व्यवस्था की मार्फत होने वाली हानि की मात्रा का अनुमान लगाना कठिन है।

लेकिन, वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त किये गये विदेशी-मुद्रा विनिमय की हानि पर अध्ययन-दल ने अनुमान लगाया था कि अनधिकृत रूप से इस्तेमाल की जा रही विदेशी-मुद्रा की मात्रा लगभग 240 करोड़ रुपये की होगी। दल ने यह भी अनुमान लगाया था कि स्वदेश भेजी जाने वाली रकमों के अपवर्तन से 70 प्रतिशत से भी अधिक तस्कर-व्यापार की वित्त व्यवस्था में मदद मिलती है।

(ग) एक विवरण-पत्र सदन की मेज पर प्रस्तुत किया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1820/72]

हैदराबाद में केन्द्रीय उड्डयन प्रशिक्षण (फ्लाइंग ट्रेनिंग) स्कूल की स्थापना के बारे में प्रस्ताव

3561. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद में केन्द्रीय उड्डयन प्रशिक्षण स्कूल स्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे और अधिक कमर्शियल पायलट तैयार किये जा सकें;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) प्रस्ताव पर कितनी लागत आने का अनुमान है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) फ्लाइंग क्लबों से चुने हुए उम्मीदवारों को उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करने और उन्हें वाणिज्यिक विमान चालक लाइसेंस स्तर यह प्रशिक्षित करने के लिए हैदराबाद में एक केन्द्रीय उड़ान प्रशिक्षण स्कूल स्थापित किया जा रहा है। इससे वाणिज्यिक विमान चालकों के उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होगी।

(ख) उन्नत प्रशिक्षण फ्लाइंग क्लबों के उन चुने हुए उम्मीदवारों को प्रदान किया जायेगा जिनके पास निजी विमानचालन लाइसेंस और अन्य अपेक्षित अर्हताएं होंगी। भूगत विषयों में प्रशिक्षण नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद में दिया जायेगा जबकि उड़ान प्रशिक्षण हैदराबाद में दिया जायेगा।

(ग) कोई अतिरिक्त व्यय नहीं आयेगा क्योंकि इस योजना के लिए वित्तीय व्यवस्था प्रशिक्षार्थियों द्वारा दिये जाने वाले शुल्क और नागर विमानन विभाग के बजट में प्रशिक्षण के लिए आवंटित निधियों में से की जायेगी।

आकर्षक मूल्यों पर कच्चे तेल का आयात

3562. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम विदेशों से कच्चे तेल की अतिरिक्त निरन्तर सप्लाई आकर्षक मूल्यों पर बराबर प्राप्त नहीं कर सका है;

(ख) यदि हां, तो भारत ने वस्तु अनुदान करार के अन्तर्गत बंगला देश को कच्चे तेल और

पेट्रोलियम के उत्पादों की सप्लाई की तो क्या इन वस्तुओं के स्टाक की स्थिति और खराब हो जायेगी; और

(ग) इस स्थिति के निराकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग). इस समय भारतीय तेल निगम अपनी परिष्करणशालाओं के लिए किसी प्रकार का संशोधित तेल आयात नहीं करती है। कच्चा तेल तुलनात्मक मूल्यों पर पृथक रूप से प्राप्त किया गया था तथा वह बंगला देश को, हमारे कच्चा तेल के आयातों अथवा वस्तु सूची पर किसी प्रकार प्रभाव डाले बिना, सीधे सप्लाई किया गया था। जहां तक पेट्रोलियम पदार्थों का सम्बन्ध है, इन पदार्थों के हमारे स्टाक की स्थिति में कोई गिरावट नहीं आई है तथा इनकी बंगला देश को सप्लाई, उत्पादों की कुल उपलब्धि में वृद्धि करते हुए, उचित ढंग से की जा रही है।

वर्ष 1974 में कच्चे तेल और पेट्रोलियम के उत्पादों के आयात की आवश्यकता

3563. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमें 1971 में 128 लाख मीटरी टन कच्चे तेल और पेट्रोलियम के उत्पादों का आयात करना पड़ा था और वर्ष 1974 में 177 लाख मीटरी टन का आयात करना पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री० एच आर० गोखले) : (क) वर्ष 1971 में कच्चे तेल एवं पेट्रोलियम उत्पादों के 14.6 मिलियन मीटरी टन की तुलना में वर्ष 1974 से 21.12 मिलियन मीटरी टन तक बढ़ने की आशा है।

(ख) अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में वृद्धि के कारण।

(ग) कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता को कम करते हुए, अन्वेषण कार्य के विस्तार कच्चे तेल के नये स्त्रोतों को मालूम करने की दृष्टि से अन्य गतिविधियों तथा पहले से ही मालूम तेल-क्षेत्रों से देशीय उत्पादन में वृद्धि को अधिक महत्व दिया जा रहा है। बम्बे हाई एवं त्रिपुरा जैसी अधिक आशावादी संरचनाओं में यद्यपि वे कठिन अथवा दुर्गम संरचनाए है, अन्वेषण-कार्य का भी विस्तार किया जा रहा है। जहां तक पेट्रोलियम उत्पादों के आयात का सम्बन्ध है, परिष्करणशाला क्षमता के उत्तरोत्तर वृद्धि के अतिरिक्त, पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में यथा-सम्भव कमी करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

आवास-निर्माण कार्यों में जीवन बीमा निगम का योगदान

3564. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या वित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में आवास-निर्माण कार्यों में जीवन बीमा निगम द्वारा क्या योगदान दिया गया है;

(ख) क्या निगम को केवल आवास-निर्माण कार्य से सम्बद्ध समस्याओं का निपटारा करने के लिए एक सहायक संगठन बनाने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर गणेश) : (क) जीवन बीमा निगम ने आवास के लिए पूर्ववर्ती तीन वर्षों (1968-71) में कुल लगभग 107 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध की ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता है ।

एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियायें अधिनियम का पुनर्विलोकन

3565. **श्री के० बालदन्डायुतम :**

श्री अम्बेश :

क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियायें अधिनियम के कार्यकरण का पुनर्विलोकन कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार अधिनियम के कार्यकरण के बारे में हुए अनुभवों को दृष्टिगत रखते हुए उनमें संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अधिनियम में क्या-क्या संशोधन करने का विचार है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (घ). इस अधिनियम के कार्यकलाप सरकार के सतत विचाराधीन है । ऐसा अनुभव किया गया है कि संदिग्धताओं के निवारण एवं इसे प्रभावी बनाने के लिए इस अधिनियम में कुछ संशोधन आवश्यक है । अतः इस अधिनियम में समुचित संशोधन विचाराधीन हैं ।

औद्योगिक गृहों द्वारा कम्पनी अधिनियम का उल्लंघन

3566. **श्री के० बालदन्डायुतम :** क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े औद्योगिक गृहों के विरुद्ध गत तीन वर्षों में कम्पनी अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए अब तक कितने मामले चलाये गये;

(ख) इन औद्योगिक गृहों ने किस प्रकार के अपराध किये थे ; और

(ग) इन मामलों में अन्तिम निर्णय क्या रहा ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग). यह सूचना संग्रह की जा रही है व सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

चौथी योजना की अवधि में लगाई जाने वाली प्राइवेट विदेशी पूंजी

3568. **श्री के० वालदन्डायुतम :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना की अवधि में औसतन कितनी प्राइवेट विदेशी पूंजी लगने की परिकल्पना की गई है;

(ख) चौथी योजना के प्रथम तीन वर्षों में देश में लगाई गई प्राइवेट विदेशी पूंजी की वास्तविक दर क्या रही है;

(ग) क्या चौथी योजना की शेष अवधि में प्राइवेट विदेशी पूंजी निवेश में वृद्धि होने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हाँ, तो कितनी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) चौथी पंचवर्षीय, प्रायोजना में अनुमान लगाया गया था कि आयोजना की अवधि में, गैर सरकारी क्षेत्र में विदेशों से ऋणों और निवेश के रूप में कुल 300 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होगी और विदेशो ऋणों की 270 करोड़ रुपये की राशि की वापसी-अदायगी की जायगी। इस प्रकार, अनुमान था कि गैर-सरकारी क्षेत्र को उपलब्ध होने वाली विदेशी पूंजी की शुद्ध रकम 30 करोड़ रुपया होगी। ये अनुमान इन परिकल्पनाओं पर आधारित थे और चौथी आयोजना की अवधि में गैर-सरकारी खाते की अन्य पूंजीगत प्राप्तियां और निकासियाँ बराबर-बराबर होंगी और देश की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये परिकल्पनाएं आयोजना की अवधि के पहले दो वर्षों के उपलब्ध तथ्यों के अनुसार सही सिद्ध नहीं हुई हैं और चौथी आयोजना के मध्यावधि मूल्यांकन के खण्ड 1 में अब परिकल्पना की गयी है कि आयोजना की अवधि में 249 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी होगी।

(ख) से (घ) . जल्दी लगाए गए अनुमानों के अनुसार, आयोजना की अवधि के पहले वर्ष अर्थात 1969-70 के दौरान 111 करोड़ रुपये की विदेशी पूंजी की सकल प्राप्ति हुई। इसी अवधि में निकासी की शुद्ध रकम 7 करोड़ रुपया थी। इन आंकड़ों में प्रतिधारित आय के रूप में निवेशों की रकमें शामिल नहीं हैं क्योंकि ये विदेशों से किसी प्राप्ति की द्योतक नहीं है। बाद के वर्षों के इसी प्रकार के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं।

लघु बचतों में से राज्यों को आवंटन

3570. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम् :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को उनके द्वारा लघु बचत योजना के अन्तर्गत एकत्र की गई धनराशि का पूर्ण लाभ उठाने की अनुमति दी जाती है और क्या उन्हें केवल इसका एक भाग अपने पास रखने की अनुमति दी जाती है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार उन्हें यह पूरी धनराशि अपने पास रखने की अनुमति देने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त संत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) . अल्प बचत साधनों में कई प्रकार के प्रलेख, बचत-पत्र डाक-घर बचत बैंक जमा खाते, डाकघर सावधि जमा खाते आदि

शामिल हैं। अल्प बचतों का संग्रह राष्ट्रीय बचत संगठन द्वारा किया जाता है जो राज्य सरकारों, लोक भविष्य निधियों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य संस्थाओं की सहायता से और उनके साथ समन्वय रखते हुए कार्य करता है। इन संग्रहों में से, किसी राज्य में इकट्ठी की गयी अल्प बचतों की शुद्ध राशि में से दो-तिहाई के बराबर की रकम केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को ऋणों के रूप में दे दी जाती है। इसके अलावा, साधनों को जुटाने के लिए यह प्रोत्साहन दिया जाता है कि सकल संग्रह के प्रति शुद्ध संग्रह के राष्ट्रीय औसत से अपर राज्यों के प्रत्येक 5 प्रतिशत अतिरिक्त संग्रह पर, राज्य, शुद्ध संग्रहों के दो-तिहाई के अपने सामान्य हिस्से के अलावा $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत रकम अधिक प्राप्त करने के हकदार हो जाते हैं।

उपर्युक्त और निम्नलिखित कारणों को ध्यान में रखते हुए अल्प बचतों के संग्रह की समस्त शुद्ध राशि राज्यों को नहीं दी जाती :—

(i) अल्प बचत योजनाओं के अन्तर्गत इकट्ठी की गयी रकमें केन्द्रीय सरकार द्वारा लिए गए ऋण हैं जिनकी वापसी-अदायगी और उन पर ब्याज की अदायगी केन्द्रीय सरकार को करनी होती है।

(ii) केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय बचत संगठन और राज्य सरकारों द्वारा अल्प बचत योजना के स्थानीय प्रकार पर किए गए खर्च और डाक-तार सेवा प्रभारों, अधिकृत अभिकर्ताओं को कमीशन आदि से सम्बद्ध व्यय को वहन करती है। केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों के अल्प बचतों सम्बन्धी अनुमोदित प्रतिष्ठान के 50 प्रतिशत खर्च को भी वहन करती है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा लिया जाने वाला विशेष वेतन

3571. **श्री दलीप सिंह :** क्या वित्त मंत्री 17 मार्च 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 635 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि 1958-1960 के दौरान केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा 3 महीने से एक वर्ष तक लिये जाने वाले विशेष वेतन को भी 22 जून, 1962 के आदेशों के अनुसार मूल वेतन माना जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : अब इतने वर्षों बाद यह कहना संभव नहीं है कि क्या किसी मामले में इस किस्म की कोई रियायत दी गई थी।

Ovetrime paid to Employees of Nationalised Banks

3573. **Shri Sudhakar Pandey :** Will the Minister of FINANCE be pleased to stale :

(a) The amount paid to the employees of nationalisd banks for overtime work during the financial year 1970-71, bank-wise; and

(b) whether the said amount has been paid due to excessive work and insuffiuent staff or due to any other reason ?

The Minister of State in the Minisrry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) & (b). Information is being collected and will be Laid on the table of the House.

छोटे सिक्कों का जब्त किया जाना

3574. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने 1971-72 में अनधिकृत स्थानों पर छापा मार कर कितने मूल्य के छोटे सिक्के जब्त किए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : सूचना इकट्ठी की जार ही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

उड़ीसा के लिए पृथक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कलक्टरी

3575. **श्री वनमाली पटनायक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के लिए एक अलग केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कलक्टरी बनाने की वांछनीयता पर पुनर्विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग). मामले की पुन: जांच की जा रही है ।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के माध्यम से देश में होटलों के निर्माण की योजना

3576. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय पर्यटन विकास निगम के माध्यम से देश में पर्यटकों के लिए होटलों के निर्माण के लिये कोई योजना बनाई है;

(ख) 31 मार्च, 1972 तक कितने होटल पहले ही बनाए जा चुके हैं;

(ग) भविष्य में राज्य-वार कितने ऐसे होटलों का निर्माण किया जाएगा; और

(घ) प्रत्येक होटल पर अनुमानत: कितनी लागत आयेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) . 31 मार्च, 1972 को भारत पर्यटन विकास निगम के अधीन छः होटल चल रहें थे ।(ग)और (घ) । चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक निगम द्वारा निम्नलिखित होटलों को पूरा करने की योजना है :

स्थान	अनुमानित लागत
	(लाख रुपयों में)
1. कोवालम (केरल)	115
2. दम दम (पश्चिमी बंगाल)	120
3. औरंगाबाद (महाराष्ट्र)	70
4. गुलमार्ग (जम्मू तथा काश्मीर)	110
5. होटल अशोक, बंगलौर का विस्तार (मैसूर)	65

कम्पनियों द्वारा कलकत्ते में साधारण बैठक

3577. **श्री एस० एम० सिद्धय्या :** क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल और भारतीय वाणिज्य मंडल ने कलकत्ता के अशांत क्षेत्रों में स्थित अनेक कम्पनियों की ओर से जून, 1970 में सरकार का ध्यान अपनी वार्षिक साधारण बैठक करने में होने वाली गम्भीर कठिनाइयों की ओर दिलाया था ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या इन कम्पनियों के लिए अब तक कोई ठोस कार्यवाही की गई और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल संघ, नई दिल्ली और भारतीय वाणिज्य मंडल कलकत्ता ने सूचित किया है कि कलकत्ता ने पंजीकृत कार्यालय वाली कुछ कम्पनियां कानून द्वारा अपेक्षित अपने पंजीकृत कार्यालयों में साधारण बैठकें करने में कठिनाइयां अनुभव कर रही है । दो एकाकी कम्पनियों ने भी ऐसे ही अभिवेदन प्रस्तुत किये हैं ।

(ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 116 (2) में प्रस्तुत कानून के उपबन्धों में वार्षिक महासभा की बैठक के स्थान के सम्बन्ध में मुक्ति कथित धारा की उपधारा (2) के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार की स्वेच्छा निर्णय के अनुसार केवल एक श्रेणी की कम्पनियों के मामले में दी जा सकती है । इस कारण एकाकी कम्पनी मुक्ति योंग्य न हो सकी । इस विभाग ने भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल संघ, नई दिल्ली को तत्वतः विचार करते हुए कि कुछ कम्पनियां जिनके पंजीकृत कार्यालय कलकत्ता में थे और वार्षिक महासभा करने में कठिनाई अनुभव कर रही थी जबकि बहुत सी अन्य कम्पनियों ने, कोई अधिक कठिनाई नहीं की थी, का संकेत देते हुए उत्तर दिया था, और यह भी सम्भव नहीं था कि उपरोक्त परन्तुक के अर्थान्तर्गत भूतपूर्व को एक श्रेणी की कम्पनी स्वीकार किया जाए । कम्पनियां बैठक करने की तो इच्छुक हैं । लेकिन प्रबन्ध में आंशकित हिंसा के कारण कोई आपत्ति पूर्ण मापदण्ड पर जबकि दूसरी कम्पनियां जो इसी प्रकार स्थित थी में प्रभेद करते हुए और कोई इस प्रकार का प्रस्ताव भी था कि कलकत्ता में पंजीकृत कम्पनियों के कार्यालयों को सारा कलकत्ता क्षेत्र प्रशांत क्षेत्र घोषित करके मुक्त कर दिया जाए । संघ को पुनः सूचित कर दिया गया कि उसका कम्पनी अधिनियम के परन्तुक को संशोधित करने तथा केन्द्रीय सरकार को एकाकी मामलों में मुक्ति करने की शक्ति प्राप्त करने का सुझाव टिप्पणी हेतु अंकित कर लिया गया है और उस पर यथा समय विचार भी किया जायेगा । भारतीत वाणिज्य मंडल कलकत्ता और दो एकाकी कम्पनियां जिन्होंने विभाग को लिखा था, को सूचित कर दिया गया है कि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 166 (2) के उपबन्धों में एकाकी मामलों में मुक्ति नहीं दी जा सकती है ।

कानून में इस प्रकार का प्रवन्ध हैं कि कम्पनी की वार्षिक वैठक को, अगर अच्छे आधार हैं, तो समयावधि बढ़ाने की अनुमति दी जा सकती है ।

(ग) अगर विभाग को वास्तविक कठिनाई के सम्बन्ध में सूचित किया गया और अधिनियम के द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत वार्षिक महासभा नहीं की जा सकी है या बढ़ाये गए समय पर भी नहीं की गई है, तो सम्बन्धित कम्पनी के किसी भी सदस्य को, केन्द्रीय सरकार को, कम्पनी अधिनियम की धारा 167 के अन्तर्गत, इस प्रकार की बैठक करने के स्थान के स्वेच्छापूर्ण निर्णय के लिए लिखने की खुली अनुमति है ।

डकोटा विमान की सेवाओं के स्थान पर एवरो विमान की सेवाओं को लेने के लिए कार्यवाही

3578. **श्री अम्बेश : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डकोटा विमान सेवाओं के स्थान पर एवरो विमान सेवाओं को चालू करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) किन हवाई मार्गों पर डकोटा विमान सेवाओं के स्थान पर एवरो विमान सेवायें आरम्भ हो गई हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इण्डियन एयरलाइन्स ने सात बोइंग 737 विमान प्राप्त कर लिये हैं, और उसके अलावा हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड को दस और एच० एस०-748 (एवरो) विमानों का क्रयादेश दे दिया है ।

(ख) एवरो विमानों को प्राप्त करने से पूर्व, इण्डियन एयरलाइन्स 19 मार्गों का डकोटा विमानों द्वारा परिचालन कर रही थी । फिलहाल केवल निम्न चार मार्गों का इन विमानों द्वारा परिचालन किया जा रहा है जबकि शेष को एफ-27/एच० एस-748 या जैट विमानों द्वारा परिचालित किया जा रहा है :—

1. बम्बई/केशोद/पोरबन्दर
2. कलकत्ता/जमशेदपुर/रांची/रूरकेला/रायपुर/भोपाल
3. कलकत्ता/अगरतला/खोवाई/कमालपुर/कैलाशहर
4. कलकत्ता/बागडोगरा/कूच बिहार

सीरा नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1972

3579. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सीरा नियंत्रण आदेश किन राज्यों में लागू हैं;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनके अपने सीरा नियंत्रण आदेश है तथा जिन्होंने सीरा नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1972 के अनुरूप ही सीरे के मूल्य में वृद्धि कर दी है; और

(ग) किन किन राज्यों ने किन किन कारणों से सीरे के मूल्य में वृद्धि नहीं की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के नाम जहां पर सीरा नियंत्रण आदेश, 1961 लागू है :—

1. आन्ध्र प्रदेश
2. असम
3. गुजरात
4. केरल
5. तमिलनाडु
6. मध्य प्रदेश
7. मैसूर
8. उड़ीसा
9. राजस्थान
10. पांडीचेरी
11. त्रिपुरा

(ख) और (ग) . बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के राज्यों के निजी सीरा नियंत्रण आदेश हैं । इन राज्यों में से किसी ने सीरा नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1972 के अनुरूप सीरों के मूल्यों में वृद्धि नहीं की है। इन राज्यों में से एक ने सूचित किया है कि उसका वर्तमान मूल्य, सीरा नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1972 में प्रकाशित मूल्य से अधिक है तथा अन्य पांच राज्य अभी इस विषय पर विचार कर रहे हैं ।

ऐलकोहल तथा पेय शराब बनाने वाली मद्यशालाओं को सप्लाई किया गया सीरा

3580. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐलकोहल तथा पेय शराब बनाने वाली मद्यशालाओं के नाम क्या हैं तथा उनकी क्षमतायें कितनी हैं;

(ख) क्या दोनों प्रकार की मद्यशालाओं को सीरा नियंत्रित मूल्यों पर सप्लाई किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या ऐलकोहल और पेय शराब जैसे तैयार उत्पादों के मूल्यों पर कोई सांविधिक नियन्त्रण है और यदि नहीं, तो पेय शराब बनाने वाली मद्यशालाओं को नियंत्रित दरों पर सीरे की सप्लाई किए जाने के क्या कारण है; और

(घ) क्या सरकार का विचार सीरे के नियंत्रित मूल्य में वृद्धि करने का है ?

पेट्रोलियम और रसायन-मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) औद्योगिक एलकोहल तथा अथवा पेय शराब का निर्माण करने वाली मद्यशालाओं (केन्द्रीय सरकार की पुस्तकों में दर्ज) की सूची संलग्न हैं। [**ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये** संख्या एल० टी०-1821/72] बहुत सी मद्यशालाएं दोनों औद्योगिक एलकोहल तथा पेय शराब का उत्पादन करती है ।

(ख) पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाना, पंजाब तथा महाराष्ट्र, जहां यह आदेश लागू नहीं है, को छोड़कर, सभी राज्यों की सभी मद्यशालाओं को सीरा केन्द्रीय सीरा नियन्त्रण आदेश के अनुसार नियन्त्रित मूल्य पर सप्लाई किया जाता है।

(ग) औद्योगिक एलकोहल का मूल्य ईथाइल एलकोहल (प्राइस कन्ट्रोल) आर्डर, 1971 के अन्तर्गत नियन्त्रित किया जाता है। यह समूचे देश में लागू है। पेय शराब का मूल्य नियन्त्रित नहीं है। सीरा नियन्त्रण अधिनियम का प्रयोग केवल औद्योगिक एलकोहल के उत्पादन तक ही सीमित रखना आवश्यक तथा उपयुक्त नहीं समझा गया है।

(घ) 5-2-1972 से सीरे के मूल्य में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है।

राज्य सरकारों द्वारा सीरा खुले बाजार में बेचने की अनुमति देना

3581. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार के निर्णय के अनुसार किन राज्य सरकारों ने 1970-71 में 20% सीरा खुले बाजार में बेचने की अनुमति दी थी।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : सीरा नियन्त्रण (संशोधन) आदेश, 1971 की शर्तों के अनुसार आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा, पांडीचेरी, राजस्थान तथा तमिलनाडु की राज्य सरकारों द्वारा शर्करा उत्पादनकाल 1970-71 के अन्तर्गत 20% सीरे की खुली बिक्री करने की अनुमति दी गई थी।

और अधिक बोइंग विमान न खरीदने के बारे में एयर इण्डिया का निदेश

3582. **श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एयर इण्डिया को कोई निदेश दिया कि वह और बोइंग विमान न खरीदे; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इस प्रकार का कोई निदेश जारी नहीं किया गया है।

(क) प्रश्न नहीं उठता।

Branches of Nationalised Banks In Balia (U. P.)

3583. **Shri Chandrika Prasad :** Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the total number of branches of Banks opened in Balia (Uttar Pradesh) after nationalisation of banks; and

(b) the number of branches likely to be opened there during 1972 ?

The Deputy Minister in the Ministry of finanee (Smt. Sushila Rohatgi) : (a) As on 19th July, 1969 *i. e.* the date of nationalisation, 4 commercial banks

had 8 offices in Balia District. Since that date and upto 31st Jan. 1972, 5 more offices have been opened in that District as shown below :

	Name of Bank	*Place*	*No. of offices*
1.	Banaras State Bank	Bilthera Road	1
2.	Union Bank of India	Gadwar	1
3.	Central Bank of India	Reoti	1
4.	State Bank fo India	Sikandarpur Sahatwar	1
		Total	5

(a) At present there is no licence pending with any commercial bank for opening an office in Balia District. However, the process of identification of Growth Centres is continuing.

Advancing of Loans by Banks in Balia (U. P.)

3584. **Shri Chandrika Prasad** : Will the Minister of FINANCE be pleased to state the names of banks in Balia (Uttar Pradesh) which advanced loans to petty shopkeepers, rickshaw-pullers, taxi-drivers and farmers to improve their lot ?

The Deputy Minister in the Minisrry of Finance (Shrimari Sushila Rohargi) : Since nationalisation, banks, as a policy, are extending liberalised credit facilities for productive and viable purposes to hitherto neglected sectors; including road transport operators, retail traders and farmers. Scheduled banks have 13 branches in the district of Ballia. Places at which offices of commercial banks are functioning in Ballia district are given below :

	Nome of Bank	*Name of place*	*No. of offices*
1.	State Bank of India	Ballia	2
		Bilthera Road	1
		Chitbaragaon	1
		Rasra	1
		Sahatwar	1
		Sikandarpur	1
2.	Central Bank of India	Ballia	1
		Reoti	1
3.	Union Bank of India	Gadwar	1
4.	Allahabad Bank	Bansdih	1
5.	Banaras State Bank Ltd.	Ballia	1
		Bilthera Road	1

Information as to which of the above branches have so far advanced loans to these borrowers is not readily available and the same will be collected and will be laid on the Table of the House.

हिण्डन हवाई अड्डे (गाजियाबाद) के सिविल कर्मचारियों को अर्ध-स्थायी बनाना

3585. **श्री धनशाह प्रधान** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिण्डन हवाई अड्डे (गाजियाबाद) के उन कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है जिन्होंने 1 जनवरी, 1972 को तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली थी और जिनको अभी तक अर्द्ध-स्थायी नहीं बनाया गया है; और

(ख) इनको अर्द्ध-स्थायी न बनाये जाने के क्या कारण है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख) : हिण्डन में काम करने वाले ऐसे 8 सिविलियन कर्मचारी है जिन्होंने 3 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है लेकिन जिन्हें अभी तक स्थायीवत्ता प्रदान नहीं की गई है। क्योंकि भर्ती के समय आयु-सीमा में छूट सहित कुछ बातों के स्पष्टीकरण के कारण उनके मामले विचाराधीन हैं।

नकद धन देने का काम करने वाले कर्मचारियों को विशेष वेतन देना

3586. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कार्यालयों में नकद धन देने का कार्य करने वाले कर्मचारियों को कोई विशेष वेतन दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उस आदेश की मुख्य बातें क्या हैं जिसके अंतर्गत विशेष वेतन दिया जाता है; और

(ग) विभाग-वार, उन कर्मचारियों की श्रेणियां क्या हैं जो विशेष वेतन पाने के अधिकारी हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) . जो व्यक्ति पर्यवेक्षी पदों पर नियुक्त हैं अथवा जिन रोकड़ियों के लिए एक अलग वेतनमान निर्धारित है, वे रोकड़ का काम संभालने के लिए कोई विशेष वेतन पाने के हकदार नहीं हैं। परन्तु, यदि कर्मचारियों के किसी अन्य वर्ग को, चैक/बैंक ड्राफ्ट आदि की मार्फत अदायगियों के अलावा नकदी की काफी बड़ी रकमें संभालने का काम सौंपा जाता है तो उनको नकद रकम के आकार के लिहाज से उपयुक्त विशेष वेतन दिया जाता है।

Meteorological Observatories set up in the Country

3587. **Shri Mohan Swurup** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviations** be pleased to state :

(a) the names of places where Meteorological Observatories have been set up in the country;

(b) the expenditure incurred thereon by Government so far;

(c) whether Government of Holland have offered to supply telecommunication computers therefor; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh)

(a) The India Meteorological Department maintains a network of different classes of meteorological observatories located at various pleaces in the country. The position as on 1-4-1972 is given below :

Surface Meteorological Observatories	480
Pilot Balloon Observatories	53
Radiosonde/Radiowind Observatories	23
Radar Observatories	11
Radiation Observatories	30
Ozone Observatories	6
Satellite Picture Receiving Observatories	5

(b) The India Meteorological Department was established in 1875, when there were only 77 observatories. Since then, the number of observatories has been gradually increasing and has currently risen to the level indicated above. As some of the observatories have been in existence for many decades, information about the expenditure incurred on these observatories since they started functioning is not readily available.

(c) Yes, Sir.

(d) The offer has been accepted by the Government of India.

Loan Given By Life Insurance Coıporarion To 'Build Your Own House' Scheme

3588. **Shri Chandrika Prasad** : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the number of persons given loans by the Life Insurance Corporation of India under the 'Build Your Own House' scheme;

(b) the reasons for not advancing loans in rural areas for the purpose; and

(c) the reasons for which the middle class is not being benefited by the said scheme ?

The Minisrer Of State In The Ministry Of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) to (c). Necessary information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as it is available.

Advancing Of Loan By Llc To Small Farmers For Development Of Agriculrure

3589. **Shri Chandrika Prasad** : Will the Minister of FINANCE be pleased to state the reasons why loans are not advanced to small farmers by the Life Insurance Corporation of India for the development of agriculture ?

The Minister Of State In The Ministry Of Finance (Shri K. R. Ganesh) : The Life Insurance Corporation is not a financing institution and does not grant loans to individuals except loans on the security of house property and loans on its policies. While it does not provide direct financial assistance to farmers, its investments in the public sector and the cooperative sector indirectly help in the development of agriculture.

मुख्य मंत्रियों द्वारा आयकर का भुगतान

3590. **श्री शशि भूषण** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्ष-वार भारत के प्रत्येक मुख्य मंत्री द्वारा कुल कितना आयकर दिया गया; और

(ख) अधिकतम तथा न्यूनतम आयकर देने वाले मुख्य मंत्रियों के नाम क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) ग्यारह व्यक्तियों के बारे में, जो 15-4-1972 को राज्यों के मुख्य मंत्री थे, सूचना विवरण में दी गयी है। उक्त तारीख को शेष मुख्य मंत्रियों के बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। यह एकत्रित की जा रही है और यथासंभव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

विवरण

क्र० सं०	राज्य	15-4-72 को जो मुख्य मंत्री थे, उनका नाम	वित्तीय वर्ष में अदा किया गया कर		
			1969-70	1970-71	1971-72
			रु०	रु०	रु०
1.	महाराष्ट्र	श्री वी० पी० नायक	2,634	1,835	इस समय मालूम नहीं
2.	बिहार	श्री केदार पाण्डेय	200	1,403	—यथोपरि—
3.	राजस्थान	श्री बरकतुल्ला खां	2,200	1,866	2,258
4.	केरल	श्री सी० अच्युत मेनन	378	458	306
5.	असम	श्री शरत चन्द्र सिन्हा	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
6.	त्रिपुरा	श्री एस० सेन गुप्ता	1,270	2,683	कुछ नहीं
7.	मणिपुर	श्री अलीमुद्दीन	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
8.	नागालैंड	श्री होकीशेसेमा	आय कर अधिनियम, 1967 की धारा 10(26) के अधीन आय पर छूट प्राप्त ।		
9.	मेघालय	श्री डब्ल्यू० ए० संगमा		—यथोपरि—	
10.	मध्य प्रदेश	श्री पी० सी० सेठी	7,018	6,342	इस समय मालूम नहीं
11.	गुजरात	श्री घनश्याम भाई ओझा	8,005	537	4,620

200 रुपये से अधिक पेंशन पाने वाले व्यक्तियों की पेंशन में वृद्धि

3591. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 200 रुपये से अधिक पेंशन पाने वाले पेंशनरों की पेंशन में गत 15 वर्षों से कोई वृद्धि नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या पेंशन में वृद्धि सम्बन्धी उनका मामला सरकार के विचाराधीन है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) नीति तो यह है कि तदर्थ वृद्धि, सीमान्त समायोजनों सहित ऐसे ही छोटे पेंशनरों को दी जाय जिसकी पेंशन प्रति मास 200 रुपये तक है। परन्तु, केन्द्रीय सरकार के पेंशनरों को राहत मंजूर करने के प्रश्न पर विचार, तीसरे वेतन आयोग की उन सिफारिशों को ध्यान में रखकर ही यथासमय करने का प्रस्ताव है, जो वेतन आयोग सेवारत सरकारी कर्मचारियों को पेंशन सम्बन्धी लाभ के मामले में करेगा।

अधिकारियों तथा अन्य 'रैंक' की परिवार पेंशन में समानता

3592. **श्री ओंकार लालबेरवा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन कमीशन प्राप्त अधिकारियों, गैर कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा अन्य 'रैंक' सैनिकों, जो 1 जनवरी, 1964 से पूर्व सेवा पेंशनों पर सेवानिवृत्त हुए थे और 1 जनवरी 1964 के पश्चात् 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् अथवा अपनी सेनानिवृत्ति से 5 वर्ष पश्चात् मर गये थे, की विधवाओं को परिवार-पेंशन दी जा सकती है, और यदि हां, तो उपरोक्त भूतपूर्व सैनिकों के तीनों वर्गों में प्रत्येक को कितनी परिवार पेंशन मिल सकती है;

(ख) क्या उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित भूतपूर्व सैनिकों के तीनों वर्गों में से किन्ही की विधवाओं को इस समय परिवार-पेंशन नहीं मिल रही है; और यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस असमानता को समाप्त करने और प्रत्येक वर्ग के भूतपूर्व सैनिकों की आयु का विचार किए बिना, चाहे उनकी मृत्यु किसी आयु में क्यों न हुई हो, उनकी विधवाओं को परिवार पेंशन देने का है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) कमीशन्ड अफसरों के मामले में जो 1-1-64 से पूर्व सेवा से निवृत हुए और जिनकी उक्त तारीख के बाद मृत्यु हुई हो, उनकी विधवाओं को रैंक पर निर्भर करते हुए जीवन पर्यन्त 75 रुपए से 200 रुपए प्रति माह की सामान्य पारिवारिक पेंशन दी जाती है। मृत्यु के समय की आयु अथवा सेवा निवृत्ति और मृत्यु के मध्य की अवधि का कोई महत्त्व नहीं है।

अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों के लिए इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। उनके मामले में सामान्य पारिवारिक पेंशन 1965 में लागू की गई थी। यह व्यवस्था की गई थी कि

किसी व्यक्ति की मृत्यु सेवा निवृत्ति के 5 वर्षों के भीतर हो जाती हो तो मृत्यु के समय की आयु का ध्यान न रखते हुए 5 वर्ष में से शेष अवधि के लिए सामान्य पारिवारिक पेंशन प्रदान की जाती है।

इस भेदभाव का कारण यह था कि सशस्त्र सेनाओं के अफसर पद से नीचे के कार्मिकों की पेंशन संरचना मुख्य रूप से सिविलियन कर्मचारियों पर लागू नियमों पर आधारित थी।

1964 में लागू की गई पारिवारिक पेंशन योजना में कमीशन्ड अफसरों और अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों में ऐसा कोई भेद नहीं रखा गया है। सैनिक की मृत्यु होने पर दोनों वर्गों की विधवाएं जीवन पर्यन्त पारिवारिक पेंशन पाने की पात्र है जिनमें मृत्यु के समय का महत्त्व नहीं है। तथापि यह योजना प्रायः उन लोगों पर लागू नहीं है जो 1-1-64 से पूर्व सेवा से निवृत हुए क्योंकि वित्तीय रियायतें सामान्यतः पिछली तारीख से प्रभावी नहीं होती हैं।

Arrears of Income-Tax Against Modi Spinning and Weaving Mills Ltd.

3593. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to 1tem 4 of Supplementary Statement No. X laid on the Table of the House on the 24th March, 1972 in impleme ntation of an assurance given in reply to Unstarred Question No. 98 on 27th July, 1970 regarding the assessment of 1ncome-Tax respect of Modi Group of Industries and state :

(a) whether the case regarding the Income-Tax arrears of Rs. 4,11,930 against Modi Spinning and Weaving Mills Ltd. which was pending disposal in the Supreme Court has since been decided; and

(b) if so, the main features of the decision ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) The case has been remanded to the High Court by the Supreme Court. It has not been taken up as yet by the High Court.

(b) Does not arise.

Levy of Income-Tax from 'Sadhu Samaj'

3594. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to ftate the amount of Income-Tax assessed against the Sadhu Samaj during the last three years and the amount of tax realised so far ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : No assessee Sadhu Samaj by name is assessed to income-tax in charges of Commissiones of Income-tax Delhi, Ahmedabad, Madras, Bhuvaneshwar, Nagpur, Ernakulam and Calcutta (Central).

However, there is one institution known as "Bharat Sadhu Samaj" at 22, Sardar Patel Marg, New Delhi. It has not filed any returns of income as it claims it income to be exempt from incom-tax. It has not been assessed to income-tax so far.

केरल में बैंक के कर्मचारियों द्वारा सांकेतिक हड़ताल

3595. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि स्टेट बैंक आफ इण्डिया के प्रबन्धक वर्ग द्वारा कथित दुर्व्यवहार करने और आंतक फैलाने के विरोध में 6 अप्रैल, 1978 को केरल में बैंक कर्मचारियों ने 4 घण्टे की सांकेतिक हड़ताल की थी जिसके कारण वहां बैंक-कार्य ठप्प हो गया था; और

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों के कर्मचारियों द्वारा 6 अप्रैल, 1972 को की गयी सांकेतिक हड़ताल की सरकार को जानकारी है। लेकिन, भारतीय स्टेट बैंक के अधिकांश कर्मचारियों ने सांकेतिक हड़ताल में भाग नहीं लिया और बैंक की अर्नाकुलम स्थित शाखा को छोड़ कर सभी शाखाओं ने उस तारीख को सामान्य कारोबार किया।

(ख) कर्मचारियों की शिकायतें प्रत्येक बैंक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दूर की गयी है। इस समय इस मामले में सरकार का और कोई कार्रवाई करने का विचार नहीं है।

Opening of Branches of Nationalised Bank in District Gaya Bihar

3956. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of Branches of the nationalised banks opened in District Gaya (Bihar) and the location thereof;

(b) whether Government propose to open branches of banks in villages of Gaya District; and

(c) if so the names of villages where such banks will be opened and when ?

the Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a). As on 19th July 1969 *i.e.* the date of nationalisation, 4 banks had six offices in Gaya District. Since then and upto 31st January, 1972, 14 more bank offices have been opened in this District as shown below :---

Name of the Banks.	Name of the Centre	No. of Offices.
1. Bank of India	1. Arwal	1
	2. Wazirganj	1
2. Central Bank of India	1. Bodh-Gaya	1
	2. Nawadah	1
3. Punjab National Bank	1. Hisua	1
	2. Rafiganj	1
	3. Belaganj	1
	4. Khizar Sarai	1
	5. Deo.	1
4. Bank of Baroda	1. Daudnagar	1
	2. Gaya Manipur	1
	3. Tekari	1
	4. Sherghati	1
5. Union Bank of India	1. Gaya	1
	Total	14

(b) & (c). Bank of India is holding licences to open an office each at Makdumpur and Gaya in Gaya District. These offices are expected to be opened before the and of 1972.

विश्व बैंक द्वारा दिये गये ऋण पर ब्याज

3597. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नागार्जुन सागर और पोचमपाद परियोजनाओं के अन्तर्गत 'अथाकर' का विकास करने हेतु विश्व बैंक द्वारा

दिए गए 26 करोड़ रुपए के ऋण पर विश्व बैंक ने भारत सरकार से किस दर पर ब्याज लिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : विश्व बैंक से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने, जो आसान शर्तों पर ऋण देने वाली एक संस्था है, आन्ध्र प्रदेश में भूमिगत जल और फार्म पर विकास के लिए सहायता देने के उद्देश्य से 244 लाख डालर (18.3 करोड़ रुपये) का एक ऋण दिया है। वह संघ कोई ब्याज नहीं लेता लेकिन 1 प्रतिशत का $\frac{3}{4}$ भाग सेवा प्रभार के रूप में लेता है।

इंडियन लीफ टोबको डेवलपमेंट कम्पनी न

3599. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंडियन लीफ टोबेको डेवलपमेंट कम्पनी भारत में पंजीकृत है और यदि नहीं, तो इसकी हैसियत क्या है;

(ख) इस कम्पनी में कितने मूल्य के विदेशी और कितने मूल्य के भारतीय शेयर है;

(ग) कम्पनी ने कितनी विदेशी मुद्रा पूंजी के रूप में देश में मंगायी है तथा किस-किस तिथि को;

(घ) गत तीन वर्षों में कम्पनी ने प्रतिवर्ष लाभांश, मूल कम्पनी के व्यय में हिस्सा, पारिश्रमिक तथा अन्य मदों के अन्तर्गत कितनी विदेशी मुद्रा बाहर भेजी है; और

(ङ) वर्ष 1969 और वर्ष 1970 में किसकी कितने मूल्य की परिसम्पत्ति थी ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) (क) इंडियन लीफ टोबेको डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड ब्रिटेन में पंजीकृत एक विदेशी कम्पनी जिसका भारत में प्रधान कार्यालय 2-2-1928 से कलकत्ता में है, की शाखा है।

(ख) कम्पनी के पास भारत में व्यापार हेतु अलग से प्रयोजन-विशिष्ट के लिए कोई पूंजी नहीं है। इसकी समस्त अंश पूंजी विदेशियों द्वारा धारित है।

(ग) कम्पनी ने, प्रधान कार्यालय से पिछले चार वर्षों में पूंजी के रूप में कोई निधि प्राप्त नहीं की है।

(घ) पिछले तीन वर्षों में रिजर्व बैंक आफ इन्डिया द्वारा लाभ के रूप में प्रेषित धन निम्न प्रकार था :

वर्ष समाप्ति	अनुमति प्राप्ति प्रेषित धन
31-3-69	रु० 37, 11,770
31-3-70	रु० 32, 78, 814
31-3-71	रु० 30, 25, 331

कम्पनी को प्रधान कार्यालय के लिए अलग से व्यय के रूप में धन प्रेषित करने की अनुमति नहीं दी गई हे।

(ङ) कम्पनी की भारतीय शाखा तुलन-पत्र के अनुसार भारत में कुल मूल्य की परिसम्पति और 31-3-71 तक रुपया 21·86 करोड़ और रु० 24·19 करोड़ क्रमशः थी ।

इंडियन लीफ टोबेको डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड और इंडियन टोबेको कम्पनी लिमिटेड

3599. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन लीफ टोबेको डैवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड और इंडियन टोबेको कम्पनी लिमिटेड को इंडियन टोबेको कम्पनी में समाहित कर दिया गया है;

(ख) क्या इंडिया टोबेको कम्पनी एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम के अन्तर्गत एकाधिकार वाली उपक्रम के रूप में पंजीकृत हैं; और

(ग) क्या इंडियन लीफ़ टोबेको डेवलपमेंट कम्पनी भी उक्त अधिनियम के अन्तर्गत एकाधिकार वाली उपक्रम के रूप में पंजीकृत है ?

कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) इन्डियन लीफ टोबेको डबलपमैंट कम्पनी लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 501 के अन्तर्गत भारत में व्यापार करने वाली एक विदेशी कम्पनी है; इन्डियन टोबेको कम्पनी लिमिटेड, अधिकांश विदेशी हिस्सेधारिता युक्त, एक भारतीय कम्पनी है ।

(ख) इन्डियन टोबेको कम्पनी लिमिटेड, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं ।

(ग) इन्डियन लीफ टोबेको डबलपमैंट कम्पनी लिमिटेड एकाधिकार एवं निर्बन्धनक व्यापार प्रथा अधिनियम, की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है ।

1971-72 में वाणिज्यिक बैंकों के लाभ में वृद्धि

3600. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971-72 में 69 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लाभ में तेजी से वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) बैंक अपने लाभ और हानि के लेखे कैलेंडर वर्ष के लिए तैयार किया करते हैं । वर्ष 1971 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अर्जित लाभ के आंकड़े रिजर्व बैंक द्वारा संकलित किये जा रहें हैं और यथाशीघ्र प्रस्तुत कर दिए जाएंगे ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा क्विलोन जिला, केरल में कृषकों को दिया गया ऋण

3601. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

राष्ट्रीयकृत बैंकों ने क्विलोन जिला, केरल में कृषकों को कितना ऋण दिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : सूचना सम्भव सीमा तक इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

केरल को ऋण

3602. श्रीमती **भार्गवी तनकप्पन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1971-72 के अन्त तक केरल राज्य को केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी राशि के ऋण दिए गए; और

(ख) इन ऋणों के भुगतान की आम शर्तें क्या हैं; और इन पर इस समय कितना ब्याज लेना शेष है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर०गणेश) : (क) जनवरी 1972 के अन्त की स्थिति के अनुसार केरल राज्य को दिए गये केन्द्रीय ऋणों की 262.49 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी ।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दिये जाने वाले ऋणों की वापसी की शर्तों का ब्यौरा, संलग्न विवरण में दिया गया है । जनवरी, 1972 के अन्त में, केरल सरकार पर केन्द्रीय ऋणों के व्याज की कोई राशि बकाया नहीं थी ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यसरकारों को दिये जाने वाले ऋणों की शर्तें

(क) 1-4-1969 से स्वीकृत ऋण

प्रयोजन	अवधि	ब्याज की दर प्रतिशत वार्षिक (प्रभावी)
1. राज्यों की आयोजनाओं के लिए एकमुश्त ऋण	15 वर्ष	4¾
2. अन्य आयोजनागत ऋण	छटे वर्ष से शुरु होने वाली बराबर-बराबर की 20 वार्षिक किस्तों में 25 वर्षों में	4¾
3. अल्प बचत ऋण		4¾
4. प्राकृतिक विपत्तियों में ऋण	10 वर्ष	4¾
5. उर्वरकों की खरीद के लिए ऋण	6 महीने	4¾
6. पुनः ऋण देने के लिए ऋण (पुनर्वास ऋण आदि)	25 वर्ष तक	उद्देश्य और अवधि के अनुसार दर घटती बढ़ती है ।
7. साधनों की कमी को पूरा करने के लिए विशेष ऋण सहायता	1974-75 से 10 वार्षिक किस्तो में वसूली की जानी है	4¾

8.	अन्य आयोजना-भिन्न ऋण	प्रयोजन के अनुसार शर्तों में फेर बदल कर दिया जाता है।	

(ख) 31 मार्च, 1969 तक स्वीकृत ऋण

1.	मुख्य सिंचाई और बिजली परियोजना ऋण	30 वर्षों तक	$5\frac{1}{2}$
2.	विविध विकास ऋण (अन्य सिंचाई और बिजली परियोजनाओं, उद्योगों के विकास आदि के लिए प्रयोग किये जायेंगे)	10 वर्ष	$5\frac{1}{4}$
3.	प्राकृतिक विपत्तियों में ऋण	10 वर्ष	$5\frac{1}{4}$
4.	आवासन योजनाएं	25 से 30 वर्ष	$5\frac{1}{2}$
5.	अल्प बचत ऋण	10 वर्ष	$5\frac{1}{4}$
6.	उर्वरकों की खरीद के लिए ऋण	6 महीने	$3\frac{3}{4}$
7.	पुनर्वास ऋण	20 वर्ष तक	$5\frac{1}{2}$
8.	ओवरड्राफ्ट की रकमों के परिशोधन के लिए ऋण	5 वर्ष तक	4 वर्ष तक $4\frac{1}{2}$ 5 वर्षों के लिए 5

पर्यटन का विकास करने हेतु केरल राज्य को अतिरिक्त धन का नियतन करने सम्बन्धी प्रस्ताव

3603. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल राज्य में पर्यटन का विकास करने हेतु केरल सरकार को अतिरिक्त धन का नियतन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह धन कितना होगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). योजनागत स्कीमों का क्रियान्वयन या तो केन्द्रीय क्षेत्र में होता है अथवा राज्य क्षेत्र में, और इस प्रकार राज्य सरकार के लिये अतिरिक्त निधियों को नियुक्त करने का प्रश्न नहीं उठता। बहरहाल केरल में केन्द्रीय क्षेत्र में निम्नलिखित स्कीमों को हाथ में लिया जा रहा है :—

(i) कोवालम में एक समुद्रतटीय बिहार-स्थल का विकास किया जा रहा है। इस विकास योजना के प्रथम चरण के लिये सरकार द्वारा 86.58 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त इस समुद्रतटीय विहार-स्थल पर 100 कमरों के एक होटल और 40 कुटीरों के निर्माण के लिए भारत पर्यटन विकास निगम ने 135 लाख रुपये की व्यवस्था की है। प्रायोजना का कार्य प्रगति पर है।

(ii) त्रिवेन्द्रम में एक युवा होस्टल के निर्माण के लिये 2.85 लाख रुपये की मंजूरी जारी कर दी गई है।

(iii) योजना में पेरियार वन्य जीव शरणस्थान के लिए 2 लाख रुपये की लागत से दो मोटर लांचों के खरीदने की व्यवस्था की गई है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

दक्षिण वियतनाम में भारतीय राष्ट्रजनों तथा अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग में भारतीय शिष्टमंडल के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग किए जाने का समाचार

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं विदेश मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

दक्षिण वियतनाम राष्ट्रीय असेम्बली की वैदेशिक सम्बन्धों पर समिति द्वारा दक्षिण वियतनाम सरकार से, भारतीय शिष्टमंडल को अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग से तुरन्त निकाल देने और भारतीय राष्ट्रजनों के प्रति कानून को भी कठोरता किन्तु 'न्यायानुकूल' ढंग से लागू करने के लिए मांग किए जाने के प्रकाशित समाचार।

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : दक्षिण वियतनाम की राष्ट्रीय असेम्बली की विदेश सम्बन्ध समिति के इस सुझाव की खबरें सरकार ने अखबारों में देखी हैं जिसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के भारतीय सदस्यों तथा दक्षिण वियतनाम में रहने वाले भारतीय लोगों, दोनों के खिलाफ कतिपय भारत-विरोधी उपाय बरते जाएं। सरकार सैगोन-स्थित अपने प्रधान कोंसलावास से तथा अन्तर्राष्ट्रीय अधीक्षण एवं नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष से इस मामले के बारे में पूछताछ कर रही है और उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। वियतनाम गणराज्य के प्रधान कोंसल को विदेश मंत्रायल में बुलाया गया था। उन्होंने यह बताया कि इस बारे में उनके पास कोई प्रामाणिक सूचना नहीं है लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वे सैगोन से स्थिति का ठीक-ठीक पता लगाएंगे और हमें बताएंगे।

2. दक्षिण वियतनाम सरकार का यह कहना है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय अधीक्षण एवं नियंत्रण आयोग का समर्थन और सम्मान करती है। यह आयोग एक सोलिस्ट निकाय है और इस आयोग के किसी एक पूरक सदस्य के विरुद्ध अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो उनका मतलब होगा समस्त आयोग के खिलाफ कार्रवाई। वियतनाम गणराज्य की सरकार ने आयोग के सभी सदस्यों के, जिनमें भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के सदस्य भी शामिल हैं, 1 अप्रैल, 1972 से आगामी 6 महीने की अवधि के लिए वीजा पुन: वैध कर दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय अधिक्षण एवं नियंत्रण आयोग के भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के खिलाफ उसे निकाल कर अथवा किसी और तरह से कोई कारवाई करके उसके प्रति भेद भा रतना किसी भी तरह से न्यायसंगत नहीं है।

3. जहां तक दक्षिण वियतनाम में भारतीय राष्ट्रीकों का प्रश्न है, वियतनाम गणराज्य की सरकार ने 21 जनवरी, 1972 के अपने नोट में हमें यह स्पष्ट आश्वासन दिया है कि उन्होंने समुचित प्राधिकारियों को यह सख्त हिदायत दे दी है कि वियतनाम गणराज्य में सर्वत्र भरतीय समुदाय के सदस्यों के जान और माल की रक्षा के लिए समुचित कदम उठाए जाएं।

4. भारत सरकार यह उम्मीद करती है कि दक्षिण वियतनाम की सरकार अपने इन वचनों का पालन करेगी और कोई ऐसा प्रतिकूल अथवा शत्रुतापूर्ण कदम नही उठाएगी जिससे भारत और दक्षिण वियतनाम के लोगों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध कम हों अथवा जिससे दक्षिण वियतनाम में भारतीय समुदाय के लोगों के वैध अधिकारों को क्षति पहुंचे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : दक्षिण वियतनाम में पूर्व-नियोजित भारत विरोधी आन्दोलन चलाने की यह केवल मात्र पहली घटना नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय अधीक्षण और नियंत्रण आयोग में भारतीय शिष्टमण्डल का अपमान और भारत विरोधी प्रचार प्रायः वहां तब से चल रहा है जब विदेशमंत्री के निमंत्रण मैडम बिन्ह भारत आई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत पर अपनी नीति में परिवर्तन करने के लिए दबाव डालने का प्रयत्न किया जा रहा है। क्योंकि हमने उत्तर वियतनाम के अपने मिशन का दर्जा बढ़ाकर राजदूतावास का कर दिया है और इसकी प्रेरणा अमरीकी सरकार से मिलती है। हम सैगोन की कठपुतली सरकार को मान्यता देते आ रहे हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग से भारतीय सदस्यों को निकालने की तथा वहां पर भारतीय राष्ट्रजनों का अपमान करने की घटनायें गम्भीर हैं। अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग वहां काम नहीं कर सके इसीलिए यह सब हो रहा है जिसके पीछे अमरीका की चाल मालूम होती है।

अमरीका, वास्तव में अपनी सेना की वापसी के नाम पर वियतनाम में जो पुरजोर सैनिक कार्यवाही कर रहा है उसे दुनिया न जान पाये इसी उद्देश्य से ही वह वहां से अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग को हटाना चाहता है, इस उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में भारतीय शिष्टमंडल को अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग से निकालने की खबर एक कदम मात्र हैं।

दक्षिण वियतनाम के सैनिक अमरीका की सैना का साथ नहीं दे रहे हैं और अकरीका को वहां पर सैनिक कार्यवाही के लिए अपनी समस्त सैना लगानी पड़ रही है। अमरीका के बी 52 बमवर्षक विमान उत्तर वियतनाम के शहरों पर मौत की अपूर्व वर्षा कर रहे हैं। आज के "स्टेट-समैन" में समाचार आया है कि दक्षिण वियतनाम की सेना भाग रही है तथा उन्होंने नागरिकों के कपड़े पहन लिये हैं। उनका आत्म सम्मान समस्त हो गया है। इसी कारण से मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय द्वारा अभी दिया गया यह वक्तव्य एक तरह से सुरक्षात्मक है।

मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है जब हम राष्ट्रीय आत्म सम्मान को ध्यान में रखते हुये दक्षिण वियतनाम सरकार से स्पष्ट बात कहनी चाहिये कि हम एक प्रकार के अपमान को नहीं सह सकते। ऐसी स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग अपने मुख्य कार्यालय को सैगोन से बदल कर हनोई क्यों नहीं ले जाता ? सरकार इस बारे में क्या सोच-विचार कर रही है ? समाचार पत्रों में समाचार छपा था कि दक्षिण वियतनाम सरकार का आरोप है की भारतीय राष्ट्रजन वहां की अर्थ व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की

इस बारे में क्या जानकारी है। भारतीय वहां किन व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। इस तरह का आरोप उन पर किस प्रकार लगाया गया। ये सभी बातें स्पष्ट की जानी चाहिए क्या पालेन्ड और कनाडा में इस बारे में बातचीत की गयी है? भारत सरकार दक्षिण वियतनाम में रहने वाले भारतीयों के हितों की रक्षा के लिये क्या कर रही है?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्नों का ही उत्तर दूंगा। वहाँ पर 2 हजार भारतीय परिवार हैं जिनमें से अधिकांश व्यापार करते हैं। दक्षिण वियतनाम सरकार ने उनकी सम्पत्ति की रक्षा करने का आश्वासन दिया है।

यदि दक्षिण वियतनाम में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग द्वारा काम करना कठिन हो जाये तो उस स्थिति में क्या विकल्प अपनाया जाना चाहिये, इस हेतु हमने पोलेण्ड और कनाडा सरकारों से सम्पर्क स्थापित कर रखा है। ये ही दो बातें उन्होंने पूछीं थी शेष तो उनकी अपनी जानकारी है। मैं उनकी बातों का खंडन नहीं करना चाहता इसलिए और कुछ कहना भी नहीं चाहता।

Shri Nawal Kishore Sharma (Dausa) : Sir India has Social role as Chairman of International Control Commission but South Vietnam do not like India to perform this role. The Amrican Government and the Government of South Vietnam have been adopting anti-India otulook. Is it a fact that it is the policy both of Saigon and American Government to harass Indians there? What Steps are beeing taken to protect the life and property of two thousand Indian families there.

श्री स्वर्ण सिंह : हमारे पास ऐसे कोई साक्ष्य नहीं जिससे हम समझ सकें कि दक्षिण वियतनाम सरकार के रवैये को अमरीका की सरकार का समर्थन प्राप्त है। हम अमरीका के प्रतिनिधियों से सम्पर्क बनाए हुए हैं तथा हमें सैगौन और वाशिंगटन से ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जिससे किसी प्रकार का सन्देह उत्पन्न हो।

जहाँ तक अमरीका से सम्बन्ध सुधारने हेतु प्रयास करने का प्रश्न है मैं यही कहूंगा कि यदि सम्बन्ध सुधारे जा सकते हो तो हमें निश्चय ही इस दिशा में प्रयत्न करना चाहिए किन्तु ऐसा करते समय हमें देश की गरिमा को, सम्मान को पूर्णतः ध्यान हमें रखना होगा। हम अपने किए निर्णयों के प्रति कभी क्षमा याचना नहीं करना चाहेंगे।

तीसरा प्रश्न दक्षिण वियतनाम में रह रहे भारतीय राष्ट्रिकों की सुरक्षा के बारे में पूछा गया है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह कार्य दक्षिण वियतनाम सरकार का है। हमें दक्षिण वियतनाम को उसके उत्तरदायित्वों के बारे में स्मरण कराते रहना चाहिए।

श्री हरि किशोर सिंह (पुपरी) : वियतनाम की कहानी एक छोटे राष्ट की दुःखद कथा है जो राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए विश्व की सबसे बड़ी ताकत से संघर्ष कर रहा है। अमरीका उत्तरी वियतनाम पर बड़े पैमाने में बमबारी कर रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग अपने उद्देश्य में असफल सिद्ध हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उसे अमरीका सरकार का सहयोग नहीं मिला है।

दक्षिण वियतनाम की राष्ट्रीय असेम्बली की विदेशी सम्पर्क समिति ने एक संकल्प में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के भारतीय शिष्टमंडल को बाहर निकालने की मांग की थी। प्रश्न

यह है कि क्या हम इस प्रकार का अपमान सह सकते हैं ? क्या सरकार समझती है कि अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग का अध्यक्ष होते हुए हम वहां पर किसी बड़े उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं ? यदि हाँ; तो क्या विदेश मंत्री इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करेंगे।

मंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि हमारी सरकार जेनेवा सम्मेलन के सह-सभापति से सम्पर्क बनाए हुए है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग की एक मीटिंग पहले ही बुलाई जा चुकी है और यदि नहीं, तो क्या मीटिंग बुलाई जाएगीं अथवा नहीं।

क्या यह भी सच है कि भारत सरकार ने हमारे शिष्ट मंडलों के सदस्यों पर प्रतिबंधात्मक (वीसा) विनिमय लागू करने के सैगोन सरकार के निर्णय को मौन स्वीकृति दे दी हैं, यदि नहीं तो भारतीय शिष्टमंडल के सदस्यों को वीसा की मूल सुविधाए जुटाने हेतु सरकार ने क्या कार्य-वाही की है ?

अन्त में मैं जानना जाहता हूं कि बदली हुई परिस्थितियों तो देखते हुए क्या सरकार अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग का मुख्यालय हनोई ले जाने की संभावना पर विचार करेगी यदि हां, तो वे संभानाएं क्या हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : क्या अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के बने रहने से किसी उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है इस प्रश्न के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि सभी दल इस बात पर एकमत हैं कि इसको बनाए रखने के लिए हमें भरसक प्रयत्न करने चाहिए यद्यपि इस समय यह प्रभावशाली ढंग से कार्य नही कर रहा है। आयोग के सदस्यों तथा जेनेवा सम्मेलन के सह-सभापति की भी यही राय है। इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग की कई अनौपचारिक बैठकें हुई हैं। इस मामले की समय समय पर समीक्षा की जाती रहती है।

दीसा के सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि दीसा को 6 महीने के लिए पुनर्वोधित कर दिया गया है। जब भी वीसा की तिथि समाप्त हो जाती है तो उसको पुर्नवेधित कर दिया जाता है। यह सामान्य प्रक्रिया है और इसे ही अपनाया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के मुख्यालय को हनोई ले जाने के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा करना दक्षिण वियतनाम की सरकार के इशारों पर नाचने के समान ही होगा। ऐसा सुझाव देते समय हमें सतर्क रहना चाहिए। ऐसी बातें जो स्वाभाविक एवं स्पष्ट लगती हैं हमेशा आयोग के हित में या हमारे रवैये के प्रति संगत नहीं हो सकती ?

श्री ज्योतिमय बसु (डायमंड हार्बर) भारत सरकार हमेशा दुविधा की स्थिति में रही है। सरकार को यह भली भांति पता है कि दक्षिण वियतनाम की सरकार वस्तुतः अमरीकी सरकार ही है। इसे कठपुतली सरकार कहना ठीक नहीं है।

मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि भारतीय शिष्टमंडल को आई० सी० सी० से निकाल कर एक तरह से भेद-भाव बरतने के पीछे कोई औचित्य नहीं है। हमारी समझ में नहीं आता कि मंत्री महोदय के ऐसे वक्तव्य के पीछे उनका उद्देश्य क्या है।

क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गत अवसरों पर आई. सी. सी. अधिकारियों को जोरी किए गए (बीसों) की अवधि क्या थी।

अब दक्षिण वियतनाम की सरकार भारतीयों को आई. सी. सी. से निकालने की बात कहती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार दक्षिण वियतनाम सरकार के साथ अपने व्यापारिक एवं राजनयिक सम्बन्ध तोड़ देगी अथवा ऐसा करने का विचार करेगी। मंत्री महोदय स्पष्ट शब्दों में यह बताए कि सदस्य देशों के साथ किए गए विचार विमर्श का क्या परिणाम निकला।

श्री स्वर्ण सिंह : जहां तक दक्षिण वियतनाम के साथ व्यापारिक एवं राजनयिक सम्बन्ध तोड़ने का प्रश्न है। सरकार ऐसा नहीं करेगी। सदस्य देशों के साथ हुई बातचीत का निष्कर्ष यह था कि हमें आयोग को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयत्न करना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : हाल ही में राष्ट्रपति निक्सन ने यह घोषणा की थी कि उन्हें किसी भी विषय पर स्वतंतापूर्वक विचार प्रकट करने का तथा दूसरे के विचारों को स्वीकार करने का पूरा अधिकार है। जहां तक अमरीकी सरकार और उसकी कठपुतली सरकार का सम्बन्ध है वे अन्य देशों, जिसमें भारत भी शामिल है, निदेश देने के लिए बड़ी उदारता से काम लेते हैं परन्तु जब अन्य देशों द्वारा अरूचिकर बात कही जाती है तो वे उसे सहन नहीं करते हैं। गत सप्ताह ही उन्होंने वाशिंगटन में भारत तथा फ्रांस के राजदूतों के समक्ष इन देशों के रवैये के प्रति नाराजगी प्रकट की थी। अब दक्षिण वियतनाम की राष्ट्रीय असेम्बली की विदेशी संपर्क समिति ने अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग से भारतीय शिष्टमंडल को निकालने की मांग की है।

क्या सरकार उनसे यह पूछेगी कि क्या उनकी सरकार अमरीकी सरकार के इशारों पर नहीं चल रही है। क्या सरकार यह भी पूछेगी कि जब वह वियतनाम में अमरीकी इलेक्ट्रानिक हथियारों और एशियाई जनशक्ति की सहायता से लड़ रही थी, तब क्या उसे यह कहने का नैतिक अधिकार है कि अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग ने सैनिक रहित क्षेत्र में उत्तरी वियतनामी फौजों के प्रवेश को रोककर अपनी भूमिका अदा नहीं की ? क्या हमारी सरकार उनको यह बतांएगी कि क्या हमारी सरकार अमरीकी सरकार और साथ ही दक्षिण वियतनाम सरकार को यह स्पष्ट करेगी कि हमारी गुट निरपेक्षता और हस्तक्षेप न करने की नीति का अर्थ आक्रमण और स्वतंत्रता के अतिक्रमण के समय तटस्थ रहने का नहीं है बल्कि हमें अमरीकी साम्राज्यवादियों द्वारा की गई बमबारी के विरुद्ध विश्व को जागृत करने का पूरा अधिकार है।

सैगोन सरकार की ब्लेकमेल की नीति के जवाब में क्या सरकार सुरक्षा परिषद का सदस्य होने के नाते अमरीकी बमबारी के प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र में उठाएगी ?

क्या सरकार वियतनाम की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार को उसी प्रकार मान्यता देने पर विचार करेगी जिस प्रकार उसने बंगला देश को मान्यता दी थी ?

क्या सरकार सैगोन सरकार को यह स्पष्ट करेगी कि जहां तक भारतीत राष्ट्रिकों का सम्बन्ध है भारत किसी भी धमकी को सहन नहीं करेगा ? क्या भारत सरकार उनको यह बताएगी कि अमरीकी शासकों का साम्राज्यवादी ढाका में पहले ही मुंह की खा चुका है और अब वही साम्राज्यवादी दक्षिण वियतनाम की भूमि में दफन कर दिया जाएगा ।

मंत्री महोदय का कहना है कि उनके पास ऐसे कोई प्रमाण नहीं हैं । जिससे यह सिद्ध हो कि अमरीकी सरकार सैगोन सरकार की सहायता कर रही । मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय के पास इस बात को सिद्ध करने के लिए प्रमाण नहीं है कि अमरीकी स्वयं दक्षिण वियतनाम की कठपुतली सरकार के शत्रु है ।

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य ने जिस ढंग से मुझे अमरीकी सरकार और दक्षिण वियतनाम सरकार से विभिन्न बातें बतलाने को कहा है संभवतया मेरा कहने का इससे भला होगा ।

प्रो० मधु दंडवते : मैंने पूछा क्या सरकार यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाएगी और वियतनाम की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार को बंगला देश की भांति मान्यता देगी ।

श्री स्वर्ण सिंह : हम उचित अवसर पर उचित कार्रवाई करेंगे ।

विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGC

टाइम्स ऑफ इण्डिया में लोक-सभा के कार्यवाही वृतान्त को गलत छापना

अध्यक्ष महोदय : 10 अप्रैल, 1972 को श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यू० एन० आई० द्वारा परिचालित और 5 अप्रैल, 1972 को टाइम्स ऑफ इण्डियन बम्बई में प्रकाशित समाचार के सम्बन्ध में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया था जिसमें यह कहा गया है कि 4 अप्रैल, 1972 को सभा में प्रधान मंत्री ने कुछ टिप्पणियां की हैं किन्तु वे टिप्पणियां उस दिन के लोक सभा के वाद-विवाद में नहीं दी गई है । मैंने तब कहा था कि मैं पहले समाचार पत्र के सम्पादक से पूछूगा कि वह इस मामले में क्या कहना चाहते हैं ।

टाइम्स ऑफ इण्डिया बम्बई के सम्पादक ने यह सूचना दी है कि "यह समाचार यू० एन० आई० द्वारा दिए गए समाचार पर आधारित है और हमने समाचार को सदभाव से प्रकाशित किया है जैसाकि कई अन्य समाचार पत्रों ने भी किया है" मुझे यू० एन० आई० के महा प्रबन्धक से भी एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने खेद व्यक्त किया है कि संभवतः संवाददाता ने प्रधान मंत्री के भाषण को हंसी और तालियों के कारण गलत समझा है ।

उपर्युक्त स्पष्टीकरण और खेद व्यक्त करने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह मामला यहां समाप्त किया जाता है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : (Gwalior) I have no objection if the matter is dropped.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:—

(एक) जी० एस० आर० 231 (ङ), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) जी० एस० आर० 232 (ङ), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) जी० एस० आर० 416, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल, 1972 में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 1811/72]

वायुयान (दूसरा संशोधन) नियम

पर्यटन तथा नगर विमानन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : मैं डा० सरोजिनी महिषी की ओर से (2) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अन्तर्गत वायुयान (दूसरा संशोधन) नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 18 मार्च, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 324 में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 1812/72]

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) मैं श्री विद्याचरण शुक्ल की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:—

(एक) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1970-71 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखी गई देखिएसंख्या एल० टी० 1812/72]

(दो) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1970-71 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल टी. 1814/72]

सदस्य द्वारा पद त्याग

RESIGNATION OF MEMBER

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचना देनी है कि श्री घनश्याम ओझा ने, जो गुजरात के राजकोट निर्वाचन क्षेत्र से सभा के निर्वाचित सदस्य थे, लोक सभा में 18 अप्रैल, 1972 से अपना स्थान त्याग दिया है।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

41वाँ प्रतिवेदन

श्री ईरा सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं निर्माण और आवास मंत्रालय के संबंध में विनियोग लेखे (सिविल) 1969-70 और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का वर्ष 1969-70 का प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार (सिविल) के बारे में लोक लेखा समिति का 41वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

16वां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्री एम बी. राणा ; (भडौच) : मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का निम्नलिखित प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

(1) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के सम्बन्ध में 16वां प्रतिवेदन; और

(2) उपयुक्त प्रतिवेदन के सम्बन्ध में समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश।

अनुदानों की मांगे—1972-73

DEMANDS FOR GRANTS—1972-73

गृह मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : अब हम ग्रह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा करेंगें। चर्चा का उत्तर माननीय प्रधानमंत्री सोमवार को प्रश्नकाल के उपरान्त देंगी।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। 25 अप्रैल को जीवन का बीमा निगम के 42,000 कर्मचारी हड़ताल करने वाले हैं। मंत्री महोदय इस संबंध में कृपया एक वक्तव्य दें।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : इस सम्बन्ध में मेरे पास जानकारी उपलब्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें आंकड़े उपलब्ध करने हैं। श्री हरि सिंह अपना भाषण जारी करें।

Shri Hari Singh (Khurja) : There is no doubt that the Prime Minister has brought revolutionary changes in the country and she is steadily moving forward. But all our achievements are being nullified by the corruption rampant in the administrative machinery. Therefore, it is very necessary that urgent steps should be taken to eradicate corruption from the country.

In the recruitment to Delhi Police, Scheduled Caste candidates are deliberately not selected. I have written many letters to the Home Ministry in this regard. There have been cases wherein the candidates are not being selected even for the post of a constable in Delhi but they have been selected for Sub-Inspectors' post in other states. I don't understand why Delhi Administration is so apathetic towards the Scheduled Caste people.

The Harijans specially those living in rural areas are unnecessarily being harassed by the persons belonging to high castes. If they refuse to do free work they are treated badly. All this should be stopped forthwith.

There is lot of corruption in the Police department but if we want these people to work honestly we will have to give them more pay and allowances. These people, specially the fourth class employees, are not paid well. They cannot afford good houses with their meagre salaries therefore I suggest that their house rent allowance should be increased.

I also want to suggest that the families of those constables who die on duty and are killed in encounter should be given life pension. Such a measure would boost-up their morale and they would be able to face grave situation boldly.

We will have to modernise our police force only then they will be able to discharge their duties efficiently.

With these words I support the demands for grants of Home Ministry.

श्री एम० सत्यनारायण राय (करीमनगर) : यह बहुत खेद की बात है कि यह मंत्रालय तेलंगाना की समस्या का समाधान करने में असफल रहा है। तेलंगाना आन्दोलन के समय लोगों द्वारा दिए गए बलिदानों से यह सदन पूर्णतया अवगत है। किन्तु दुर्भाग्यवश पृथक तेलंगाना राज्य बनाने के लिए कुछ नहीं किया गया है।

जब यह आन्दोलन जोरों पर था तो प्रधान मंत्री ने लोगों से हिंसात्मक तरीके न अपनाने के लिए अपील की थी और लोगों ने उनकी बात मान ली थी परन्तु फिर भी उनकी मांग को अब तक स्वीकार नहीं किया गया है।

निःसन्देह इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री एवं तेलंगाना प्रजा समिति के अध्यक्ष की आपस में बातचीत हुई है। तेलंगाना प्रजा समिति द्वारा एक 6 सूत्रीय फार्मूला तैयार किया गया था किन्तु प्रधानमंत्री ने उसे अस्वीकार कर दिया।

6 सूत्रीय कार्यक्रम में से एक बात यह थी कि तेलंगाना के व्यक्ति को मुख्य मंत्री बनाया जाए और यह बात स्वीकार कर ली गई थी। यह आन्दोलन तेलंगाना के व्यक्ति को आंध्र प्रदेश का मुख्य मंत्री बनाने के लिए नहीं किया गया था।

श्री पन्त ने मुझे आश्वासन दिया था कि वह स्वयं मामले को देखेंगे तथा जो कुछ संभव होगा करेंगे। इस आन्दोलन से पूर्व तेलंगाना के लोगों को मुल्की नियमों के रूप में कुछ सुरक्षा प्राप्त थी लेकिन आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने उन्हें अवैध घोषित कर दिया है। परिणामतः जो सुरक्षा प्राप्त थी वह समाप्त हो गई और लोग निराश हो गए।

निर्णय के दो दिन उपरांत प्रधानमंत्री आन्ध्र प्रदेश गई थीं वहां कारंगल में एक सभा में उन्होंने कहा कि मैं इस समस्या को स्थायी तौर से सुलझा दूंगी। बंगला देश के मामलों में व्यस्त रहने के कारण मैं अब तक इस ओर ध्यान नहीं दे सकी हूं, मुझे प्रसन्नता हैं कि प्रधान मंत्री ने जो आश्वासन दिया उसे पूरा किया किन्तु मुल्की नियमों को अभी तक फिर से लागू नहीं किया गया है जबकि इसके बारे में उन्होंने आश्वासन दिया था। संभव है ऐसा करने में कुछ व्यावहारिक एवं संवैधानिक कठिनाईयां हों इसलिए एकमात्र उपाय यह है कि तेलंगाना को पृथक राज्य बना दिया जाना चाहिए। अब तो आन्ध्र प्रदेश वाले भी इस मांग से सहमत हैं क्योंकि इस प्रकार दोनों राज्य अधिक एवं शीघ्र प्रगति कर सकते हैं ? यदि मेघालय मिजोराम, अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं त्रिपुरा के लिए पृथक राज्य बनाया जा सकता है तो तेलंगाना को पृथक राज्य बनाने में क्या आपत्ति है ?

इस सम्बन्ध में मैं हरियाणा और पंजाब का उल्लेख करना चाहूंगा यद्यपि वे छोटे राज्य है फिर भी वह देश में हरित क्रान्ति लाने के जिम्मेदार है। केवल राज्य के छोटे या बड़े होने पर प्रगति निर्भर नहीं करती।

हमारे विरुद्ध एक तर्क यह दिया जाता है कि आन्ध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनाया गया है। पर जब छः हिन्दी भाषी राज्य हो सकते हैं तब क्या दो तेलुगु भाषी राज्य नहीं हो सकते।

यदि संविधान का संशोधन करने में कुछ दिक्कतें हैं तो तेलंगाना को एक अलग राज्य बना दीजिए, जिससे हम लोगों को अपना मुंह दिखा सकें। हमारी प्रधान मंत्री बड़ी दयालु हैं और मुझे पूर्ण आशा है कि वे हम दलित लोगों की ओर ध्यान देंगी। उन्होंने वायदा किया था कि या तो संविधान में संशोधन करेंगी या नया तेलंगाना राज्य बनायेंगी। आशा है वे अपना वायदा पूरा करेंगी।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा (जम्मू) : मुझे इस बात की अत्यन्त प्रसन्नता है कि गृह मंत्रालय बहुत सीमा तक साम्प्रदायिकता को समाप्त करने में सफल हुआ है। वर्ष के दौरार कुछ जगहों पर साम्प्रदायिक दंगे हुई पर पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष इन पर नियंत्रण रखा गया।

बंगला देश के बनने से जम्मू और काश्मीर में अच्छा प्रभाव पड़ा है। जो लोग जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की सिफारिश करते थे वे भी अब खुले रूप से यह कहने लगे हैं कि काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ऐसा भी सुनने में आया है कि शेख अब्दुल्ला के विचारों में भी अब परिवर्तन आया है। वे भी अब जम्मू और काश्मीर का भारत में विलय अंतिम मानने लगे हैं। अतः अब उन पर लगी रोक को समाप्त कर देना चाहिए।

देश में बेरोजगार इंजीनियरों की समस्या को गृह मंत्रालय ने अपने हाथ में ले लिया है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय सदन को विश्वास में लें और बताएं कि इस समस्या के समाधान के लिए वे क्या कदम उठा रहे हैं।

केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह जम्मू काश्मीर सरकार को अपने कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को केन्द्र के बराबर वेतन देने के लिए सहायता दें क्योंकि राज्य सरकार स्वयं ऐसा करने में सक्षम नहीं है।

सरकार उन कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्तियों का शीघ्र प्रबन्ध करें जो शरणार्थी शिविरों में काम कर रहें थे और अब शरणार्थियों के बंगला देश वापिस जाने पर बेकार हो गये हैं।

अन्त में मैं मंत्रालय से अनुरोध करूँगा कि डोगरी भाषा को भी संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करें।

श्रीमती गायत्री देवी (जयपुर) : गृह मत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन के अध्याय 7 में जगह-जगह बेरोजगारी को दूर करने के लिए नियुक्त की गई समितियों आदि का जिक्र किया गया है पर कहीं यह नहीं बताया गया है कि इस दिशा में कितनी सफलता मिली है।

प्रत्येक राजनीतिक दल एकाधिकार के विरुद्ध है पर अभी-अभी सरकार ने 42 फर्मों के बिस्तार करने के लिए लाइसेन्स दिये हैं। किसी भी नई फर्म की लाइसेन्स नहीं दिया गया है। जबकि ऐसा करने से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और कार स्कूटर, ट्रैक्टर आदि प्रतियोगी मूल्य पर मिल सकते हैं।

देश में अच्छी सड़कों का निर्माण करना चाहिए। इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। पीने के पानी की सुविधा, सिंचाई साधनों का निर्माण और ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यक्रम के द्वारा तुरन्त रोजगार दिया जा सकता है।

सरकार ने उन बूढ़े और असमर्थ लोगों के लिए कुछ नहीं किया है जो विभिन्न नरेशों से पेन्शन पाते थे और जो 26 वें संविधान संशोधन के बाद उनको मिलना बन्द हो गई है। आशा है इस बात पर ध्यान दिया जायेगा।

सीमा सुरक्षा दल के जवानों को पानी की सुविधा देने के लिए कुएं आदि खुदवानें चाहिएं।

सरकार केन्द्रीय रिजर्व पुलिस क्यों बनाए हुए है, इससे यह प्रतीत होता है कि उन्हें राज्य सरकारों की योग्यता में विश्वास नहीं है।

लोक सेवाएं, निर्वाचन आयोग और सतर्कता आयोग आदि को स्वतंत्र रूप से काम करने की सुविधा होनी चाहिए जिससे कि भारत में जनतंत्र की रक्षा हो सके।

गृह मंत्रालय देश में निष्पक्ष कानून और व्यवस्था कायम रखने में असफल रहा है। चुनावों के दौरान विपक्षी दलों के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया है, यहाँ तक कि कई लोग पुलिस की

गोली का शिकार हो गये हैं। चुनावों को सरल बनाया जाना चाहिए। मतपत्र पर हस्ताक्षर करने के नियम को समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे मतदान गुप्त नहीं रह सकता।

यह एक बड़े ही दुःख की बात है कि हत्याओं के लिए जिम्मेदार लोगों को भी मुख्य मंत्री जैसे उच्च स्थान पर स्थित लोग संरक्षण प्रदान करते हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री से हुई अपनी बातचीत का हवाला एक पत्रकार ने दिया है, जिससे स्पष्ट होता है कि वहां पर हत्यारे शासक वर्ग के मित्र हैं इसलिए उन पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जायेगा।

सरकार के कई जांच विभाग हैं। पर फिर भी उच्च स्थानों पर बैठे लोगों की कोई जांच नहीं की जाती है जबकि किसी छोटे आदमी को तुरन्त बांध लिया जाता है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे इस दिशा में ध्यान दें अन्यथा लोगो को यह सन्देह होने लगेगा कि यह एक पुलिस राज्य है।

अन्त में मैं यह पूछना चाहती हूं कि अभी भी बंगला देश में चटगांव, कोक्स बाजार और अन्य बन्दरगाहों पर 21 रूसी जहाज क्यों ठहरे हुए हैं। बंगला देश को रूस ने मिग-21 के दो स्क्वाड्रन किस उद्देश्य से सप्लाई किए हैं। इस सम्बन्ध में सतर्कता बरती जानी चाहिए।

श्रीमती मुकुल बनर्जी (नई दिल्ली) : श्रीमती गायत्री देवी ने आसूचना विभाग तथा अन्य सरकारी विभागों पर पश्चिम बंगाल में हुई हत्याओं की जांच न करने का आरोप लगाया है। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि उन्हें पूरी-पूरी जानकारी नहीं है। पश्चिम बंगाल में अनेक जांच की गई हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]
[Mr. Deputy Speaker *in the chair*]

श्री ज्योतिर्मय बसु का यह आरोप कि भारत सरकार का विदेश आसूचना एकक का उपयोग सरकार के अपने दल के लोगों पर निगरानी रखने तथा सत्तारूढ़ दल के हितों की रक्षा करने के लिए, विशेष कर चुनावों में किया हैं, बिल्कुल निराधार आरोप है। सरकारी सेवा आचरण नियमावलि के अन्तर्गत सेवा में लगा कोई भी व्यक्ति किसी के टेलीफोन अथवा पत्रों की निगरानी अथवा जांच नहीं कर सकता। विदेश आसूचना विभाग का आन्तरिक मामलों से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः इस तरह का आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए जिससे लोगों के मन में सन्देह पैदा होता है। प्रत्येक देश में सार्वजनिक हित में राज्य की सुरक्षा के लिए आसूचना एकक को बनाए रखना अत्यावश्यक है। अतः हमें इसके खर्च का भार वहन करने को तैयार रहना चाहिए।

सीधी भरती करने की सरकार की नीति को लेकर वायु सेना कर्मचारी संघ के सदस्यों में बड़ी उत्तेजना फैली हुई है क्योंकि इस नीति के कारण सेवारत कर्मचारियों की पदोन्नति में बाधा पड़ती है। सरकार इस बात पर विचार करे और इस कमी को दूर करने का प्रयत्न करे।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के विभिन्न संवर्गों और क्षेत्रों में विभाजित होने के कारण कर्मचारियों को असमान उन्नति के अवसर मिलते हैं। अतः इस विभाजन को समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि यह कर्मचारियों के हित में नहीं है।

सरकार में अनन्त काल तक कर्मचारियों के अस्थायी रहने की एक बड़ी समस्या है और सरकार का कोई भी विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है बावजूद इस नियम के कि एक कर्मचारी 3 साल से अधिक अस्थायी नहीं रह सकता। परन्तु फिर भी खेद का विषय है कि 10 वर्ष सेवा करने के पश्चात् भी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी अस्थायी पदों पर हैं। कभी कभी तो 20 वर्ष तक भी कर्मचारी अस्थायी बने रहते हैं। मैं चाहती हूं 3 वर्ष की सेवा के उपरान्त कर्मचारियों को स्थायीवत घोषित किया जाना चाहिए और यूनिटों को स्थायी बनाया जाना चाहिए। पुलिस सेवा में आमूल परिवर्तन किए जाने चाहिएं। हम पुलिस पर बहुत उत्तरदायित्व डालते हैं। परन्तु उन्हें पर्याप्त सुविधाएं नहीं दे पाते हैं। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : सूची में उल्लिखित सभी विपक्ष के सदस्य अनुपस्थित हैं।

श्री वयालार रवि (चिरीयकीत) : मैं गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। इस मंत्रालय का कार्य बहुत टेढ़ा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु जनता को तो दोष दे नहीं सकते परन्तु उन्होंने पश्चिमी बंगाल में हार के लिए पुलिस को ही दोषी ठहराया है।

खेद है कि गरीब जनता को प्रशासन के निकट लाने का अभी तक कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। हम अब भी पुरानी पद्धति पर चल रहे हैं।

एक सेना अधिकारी के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा 1960 से चल रहा है। टाटा बिडला आदि न्यायालय का सहारा ले रहे हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर पाता है। न्यायालय की इन कमियों को दूर करने के लिए मंत्री महोदय क्या कर रहे हैं मैं जानना चाहता हूं।

हम आई० सी० एस० अधिकारियों के विशेषाधिकारों को समाप्त नहीं कर पाये हैं। प्रधान मन्त्री ने निश्चय किया था की उनकी सेवा अवधि को नहीं बढ़ाया जाएगा। परन्तु यह लोग सरकारी प्रतिष्ठानों में अपने लिए स्थान बताने लगे हैं। इन लोगों ने वास्तव में हमारे स्वर्तत्रता संग्राम का विरोध किया था। अब वे प्रतिक्रियावादी शक्तियों के साथ सहयोग कर रहे हैं।

ठक्कर आयोग के गठन से पूर्व श्री मंगत राय ने त्याग पत्र दे दिया था। आई० सी० एस० अधिकारियों ने उस त्यागपत्र को आपकी जानकारी के बिना स्वीकार कर लिया है। इसी प्रकार यह लोग सरकार की नीतियों को विफल कर रहे हैं।

श्री समर गुह (कन्टाई) : आज कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत होते हुए भी कोरम की घंटी बार बार बजानी पड़ती है। यह देश में प्रजातन्त्र को चुनौती है।

आज शासक दल किसी प्रकार के अधिनायकवाद की ओर बढ़ रहा है। सरकार को अपना 'गरीब हटाओ' का वायदा पूरा करना चाहिए। मुझे भय है कि देश में कुछ प्रवृत्तियां ऐसी हैं जो देश को अधिनायकवाद की ओर ले जा रही हैं। जनता की स्वतन्त्र अभिव्यक्ति, प्रजातन्त्र के लिए आवश्यक है। इसके लिए (i) स्वतंत्र प्रेस, (ii) दलीय प्रभाव से रहित रेडियो प्रचार (iii)

निष्पक्ष प्रशासन (iv) संदेह रहित निर्वाचन आयोग (v) चुनाव प्रचार के लिए समान अवसर (vi) निर्वाचन खर्चों के लिए समान आधार होने आवश्यक हैं।

पिछला चुनाव कोई राजनीति चुनाव नहीं था। जनता ने कांग्रेस के सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम का मूल्यांकन नहीं किया था। शासक कांग्रेस को पूर्ण सत्ता अपने हाथ में रखने के मोह के कारण प्रजातांत्रिक निर्वाचन को बढ़ोतरी मिली है।

विज्ञापनों के वितरण द्वारा सरकार समाचार पत्रों पर नियंत्रण रखे हुए है। निर्वाचन आयोग को संदेह से रहित नहीं माना जाता है। मन्त्रियों द्वारा वायुयानों आदि का खुला प्रयोग किया जाता है। पश्चिमी बंगाल में काँग्रेस के कुकृत्यों ने हिंसा की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। ये सभी भ्रष्ट प्रवृत्तियाँ हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अब समाप्त करने की चेष्टा करें।

श्री समर गुह : मैं दो मिनट में समाप्त करता हूं।

भारत में प्रजातन्त्र के झंडे को ऊपर रखने के लिए पश्चिम बंगाल, बिहार और जम्मू काश्मीर के चुनाव सम्बन्धी आरोपों की जांच के लिए न्यायिक जाँच कराई जानी चाहिए। जन प्रतिनिधि अधिनियम को इस प्रकार संशोधित किया जाना चाहिए जिससे लोकसभा के चुनाव से दो महीने पूर्व तथा विधान सभा के चुनाव से कभ से कम एक महीना पूर्व सरकारों को त्याग पत्र दे देना चाहिए।

Shri Hukam Chand Kachwai : There is no quorum in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य श्री समर गुह को समय का पालन करना चाहिए।

श्री के० एस० चावड़ा : सभा में गणपूर्ति न होने की ओर ध्यान दिलाया जा चुका है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने सूचना दे दी है मैं गणपूर्ति की जाँच कर रहा हूं।

गणपूर्ति का ध्यान रखना मेरा काम है। जब मुझे यह महसूस होने लगेगा कि सदन में गणपूर्ति नहीं है, मैं स्वयं गणपूर्ति के लिए घन्टी बजवा दूंगा। सदन की कार्यवाही केवल तभी रुकनी चाहिए जब मैं गणपूर्ति के लिए घण्टी बजवा दूं।

श्री समर गुह आप अपना भाषण जारी रखिये।

श्री समर गुह : मैं यह कर रहा था कि राज्य या केन्द्र के जहां भी चुनाव हों, वहां की सरकार को चुनाव से एक माह पूर्व त्याग पत्र दे देना चाहिए। इसी प्रकार आकाशवाणी के कार्य-करण का निरीक्षण करने के लिए तीन सेवानिवृत न्यायाधीशों की एक समिति बनाई जानी चाहिए जो यह सुनिश्चित करे कि सभी राजनीतिक दलों को आकाशवाणी और प्रैस द्वारा अपने प्रचार का उचित अवसर दिया गया है। चुनाव के दौरान वाहन का प्रयोग करने की सुविधा केवल बीमार मतदाताओं को ही उपलब्ध होनी चाहिए। जाली मतदान करने लिए कम से कम तीन वर्ष की कड़ी सजा निर्धारित की जानी चाहिए। चुनाव पर होने वाले व्यय का पूर्ण ब्यौरा

चुनाव आयोग को दिया जाना चाहिए। पोलिंग स्टेशनों के पास पोलिंग- बूथ बनाने की अनुमति किसी भी राजनीतिक दल को नहीं दी जानी चाहिए। निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रत्याशियों से इस आशय की उद्घोषणा पर हस्ताक्षर कराये जाने चाहिए कि वह चुनाव पर न तो निर्धारित धनराशि से अधिक व्यय करेंगे और न ही चुनाव प्रचार में लोगों से धर्म जाति या सम्प्रदाय के नाम पर मतदान करने की अपील करेंगे। इससे पूर्व लोगों का लोकतन्त्र से विश्वास उठ जाये, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में अपेक्षित संशोधन किए जाने चाहिए।

***श्री के० बासप्पा** (चित्रदुर्ग) : गृह मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करते हुए मैं सबसे पहली बात यह कहना चाहता हूं कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनने के 16 वर्ष बाद भी अभी तक विभिन्न राज्यों में कार्य करने वाले अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की वरीयता सूचियों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। इसके फलस्वरूप प्रशासन में अकुलता आती जा रही हैं। सरकार को इस ओर उचित ध्यान देना चाहिए।

सरकार ने वन, शिक्षा, चिकित्सा और इंजीनियरिंग आदि विभागों के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवायें आरम्भ करने का निर्णय किया था। परन्तु अभी तक यह निर्णय केवल वन विभाग क्षेत्र में ही लागू किया गया है। कृषि विभाग भी काफी महत्वपूर्ण है और मैं समझता हूं कि इस विभाग में भी भारतीय प्रशासनिक सेवायें आरम्भ की जानी चाहिए।

भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के बारे में एक असन्तोषजनक बात यह है कि इस सेवा में आने वाले प्रथम श्रेणी के स्नातकों की संख्या में प्रत्येक वर्ष कमी होती जा रही है। विभिन्न वर्षों के आंकड़ों से यह पता चलता है कि प्रथम श्रेणी प्राप्त स्नातक तो केवल एक तिहाई पदों पर ही होते हैं। अब अधिक प्रतिभा सम्पन्न लोग इस सेवा में नहीं आ रहे हैं। सरकार को यह भी पता लगाना चाहिए कि इस सेवा में सुधार करने अपेक्षित हैं ताकि अच्छे लोगों को इसकी ओर आकृष्ट किया जा सके। प्रायः यह देखा गया है कि अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को 5-6 वर्ष की सेवा के बाद जिलाधीश और कलेक्टर नियुक्त कर दिया जाता है। मैं समझता हूं कि उन्हें पहले विभिन्न मंत्रालयों में अवर सचिव और उप-सचिव नियुक्त किया जाना चाहिए और जब उन्हें वहां कार्य करने का 10-12 वर्ष का अनुभव हो जाये तो उसके बाद उन्हें जिलाधीश या कलैक्टर नियुक्त किया जाना चाहिए।

देश में अपराध सम्बन्धी वैज्ञानिक जांच प्रयोग शालायें केवल दिल्ली कलकत्ता और हैदराबाद में ही हैं। अपराध के मामलों की संख्या की तुलना में यह तीन प्रयोगशालायें बहुत कम हैं। प्रत्येक राज्य में इस प्रकार की प्रयोगशालायें खोली जानी चाहिएं।

केन्द्रीय जांच आयोग के कार्य में हाथ बटाने के लिए, अतिरिक्त आयुक्त की नियुक्ति करने के बारे में, प्राकलन समिति द्वारा जो सिफारिशें की गई थीं, उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है।

---

*कन्नड में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी उपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of a speech delivered in Kannada.

स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए जो पेंशन योजना बनाई गई है उसमें 6 महीने की जेल यात्रा वाली जो शर्त रखी गई है, वह काफी कड़ी हैं। उसमें कुछ संशोधन किया जाना चाहिए तथा स्वतन्त्रता सेनानियों के परिवारों के लिए निशुल्क चिकित्सा व्यवस्था भी की जानी चाहिए। चिकित्सा, तकनीकी, प्रोद्यौगिकी और कृषि कालिजों में प्रवेश प्राप्त करने के लिए, स्वतन्त्रता संग्रामियों के बच्चों के लिए 5-10 प्रतिशत स्थान आरक्षित होने चाहिऐं।

लोक सभा में दिये गये एक प्रश्न को उत्तर में 5.12.69 को सरकार द्वारा बताया गया था कि स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए स्मारक अप्रैल, 1972 तक तैयार हो जाएगा। अत: इस सम्बन्ध में अब तक हुई प्रगति क्या है इस बारे बताया जाना चाहिए।

Shri Chandrika Prasad (Ballia) : Mr. Deputy Speaker, sir, I hereby support the Demands for Grants of the Home Ministry. Our Prime Minister has not succeeded in implementing all her Economic and Social policies with desired speed. I feel that our bureaucracy is responsible for it. At the same time our Economic and Social policies should also be based on our Education system.

It has always been the policy of the Government to help the weaker section of the society and backward areas. But draught, unemployment and famine strikes areas of East Uttar Pradesh and Western Districts of Bihar are still as backward and neglected as they were before. I would request the Home Ministry to take some strict action in this matter so that poor Harijans can get their due.

In India there are 5½ lakh villages and our 50 crore population is living in them. But these villages have not been provided with primary civic amenities, such as schools, hospitals, roads and houses. The facility of drinking water and irrigation is also not there. The Doctors and engineers educated in India are anxious to proceed to Foreign Countries because they do not want to serve in rural areas and backward areas. Therefore I wish to suggest that while admitting students to Medical Colleges, preference should be given to those students who hail from backward rural areas. These doctors will be more energetic to serve the ailing humanity. All plans to eleminate poverty in backward areas must be implemented without delay.

The boundry dispute between Uttar Pradesh and Bihar was going on since the days of late Pandit Nehru. But even after 25 years of independence, this problem hss not been solved and situation on the borders of two states is as tense as on the borders of India and Pakistan. This year we are celebrating the Silver Jubliee of our independence, but Ballia sector of East Uttar Pradesh, which was on the forefront of freedom struggle is still without any memorial for Freedom Fighters. If we fail to erect a memorial for Freedom Fighters there what is the justification for celebrating this Silver Jubliee.

Hindi language has been ignored during all these years. All the three Committees of Lok Sabha—Public Undertaking Committee, Estimates Committee and Public Accounts Committee—make excessive use of English language and Hindi knowing Members fail to express their views properly. Most of the material supplied by Lok Sabha Secretariat is also in English. I wish Hindi must be given its due. The States like U. P. should be allowed to use Hindi as official language.

Although according to the recommendations of the Administrative Reforms Commission the age for I. A. S. has been raised to 26 years but the number of chances has been restricted to two only. The number of chances should be more than three.

Harijans are not being properly represented in the services. Their reservation percentage should be increased to 25 percent from present percentage of 18 percent.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Mr. Deputy Speaker, sir, after cease fire on Western borders and emergence of Bangla Desh on Eastern border, peace has been

established on our borders for the last four months. In view of these circumstances there is no justification for continuing the Emergency. The fundamental rights of the public must be restored now.

It is a matter of pity that despite a categorial assurance by the Government, State Governments are making use of Defence of India Act for settling employee and labour disputes. The Central Government has also announced that it is likely to use Defence of India Act for suppressing the struggle of Food Corporation Employees. If once Government sets emergency powers, it is reluctant to give them up. I think it is high time for the Government to withdraw emergency. The Prime Minister, last year while replying for demands for Grants of Ministry of Home said, "Every political party, therefore needs to examine seriously whether its faith in democracy is a durable one and not a mere tactic to undermine democracy through violent means." But the sentiments expressed by Prime Minister are not being given any practical sphpe upto now. The Ruling party adopted the same tactics in Bengal which it condemns. Whatever has been stated here in the House by Shri Bhogendra Jha, that too supports my allegation. Congress and C.P.M. both give equal importance to come to an end without caring for the means adopted to achieve it. In view of this attitude, I do not find any difference between Congress and C. P. M. May I know if using violence for crushing violence is correct ? The unfair means which have been used by the Government in West Bengal will not be supported by anyone in this House. Is there anybody who is bold enough to come forward for justifying the tactics of the Government in West Bengal during polls ? In case ruling party had not abapted these tactics. even then under these changed circumstances, Congress would have won. Yesterday a statement was made by Shri D. N. Tiwari, an hon. Member of this House. I would like to quote him. He has expressed concern over the survival of democracy and demanded an enquiry in regard to 1972 elections.

Similar views have been expressed by another senior member Shri Bibhuti Mishra in an article published in a leading daily today. It is natural that all those who love democratic way of life, should feel concerned about all such things. I repeat my demand for constituting all party committee to go into the prevention of election irregularities.

There should be guaranteed that in future there will be no political murder to ensure poll victory.

The opposition parties have already expreessed their point of view with regard to declaring the defection as illegal. The defector should not be appointed Minister. The ruling party has vested interest in the defections which is disfiguring our democracy. The cooperation rendered by the opposition parties during war time was subsiquently cashed by the ruling party during the elections.

We no doubt, accepted the Prime Minister as leader to lead the country during Indo-Pak war. We are not sorry for praising the Prime Minister but we really feel sorry to see that she has not proved to that praise.

It is one thing to win the elections and other thing to show greatness by way of actions. Is it wrong on the part of the people to vote the opposition parties ? Will no development be undertaken in those areas where congress (R) lost ? Is it the way to maintain the unity of the country ?

The centralised power at Delhi needs to be decentralised among Corporations, Zilha Parishads and Panchayats in the interest of healthy growth of democracy.

The political leaders will have to establish ideas for eradicating corruption in the services. Are not the charges levelled against Haryana Chief Minister, Shri Bansi Lal I suggest that this matter may the referred to the Attorney General for his advice.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पंत) : गत वर्ष इस देश में ऐतिहासिक घटनायें घटी हैं। एक करोड़ शरणार्थियों के आगमन और बंगला देश की घटनाओं ने हमारे राष्ट्र तथा

नेतृत्व के लिये एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी । यह संतोष की बात है कि हमने इस चुनौती का सफलता से सामना किया है ।

सन् 1972 में जो चुनाव हुए वे सामान्य स्थिति में हुए हैं और जिस ढंग से ये चुनाव सम्पन्न हुए, उसका सभी को स्वागत करना चाहिये । इन चुनावों ने हमारे दल तथा प्रधानमंत्री के प्रति जनता की निष्ठा को सिद्ध किया है । मेरे विचार में इस सभा और सभा के बाहर आज यह कोई नहीं कह सकता कि देश आज एक या दो वर्ष पहले की अपेक्षा कमजोर हैं।

जनता ने साम्प्रदायिकता और अतिवाद को ठुकरा दिया है । हम संतोषपूर्वक पीछे देख सकते हैं कि हमारी नाटकीय सफलताओं के इन वर्षों में हमने सभी चुनौतियों का वीरता से तथा दृढ़ता से सामना किया है ।

हम जम्मू और कश्मीर की समस्याओं से परिचित हैं और हर राज्य सरकार की यथा-सम्भव सहायता कर रहे हैं ।

श्रीमती वी० आर० सिन्धिया ने अपने भाषण में चटगांव में रूस के जहाजों की उपस्थिति और बंगलादेश द्वारा मिग जहाज़ खरीदने की चर्चा की थी । दो स्वतंत्र देशों के बीच में जो हमारे मित्र हैं हम यहां ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहते जिसका देश के अन्दर अथवा बाहर कोई अन्य अर्थ निकाला जाये ।

युद्ध विराम के पश्चात केन्द्रीय सरकार ने सभी मंत्रालयों यथा राज्य सरकारों को परामर्श दिया है कि भारत सुरक्षा अधिनियम अथवा नियमों की शक्तियों का सावधानी तथा सोच बिचार कर प्रयोग किया जाये । लेकिन क्या वह स्थिति आ गयी है जब हम सीमाओं से अपनी सेनाओं को वापस बुला लें । मेरे विचार में अभी समय नहीं आया है जबकि हम भारत सुरक्षा अधिनियम की शक्तियों का उपयोग करना छोड़ दें ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र ने अपने भाषण में राज्यपाल की चर्चा की है । उनकी आपत्ति राज्य पाल द्वारा आई०जी० को बदलने अथवा डी० आई०जी को विलम्बित करने के बारे में थी । उनके विचार में बिहार में ये परिवर्तन चुनाव के लिये किये गये थे । परन्तु मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि 1971 के चुनावों में उनका दल तीन राज्यों में सत्तारूढ़ था और हमारा दल इन तीनों राज्यों में विजयी रहा था । उन्होंने जन्तर मन्तर की चर्चा भी की जो अब संगठन कांग्रेस के कब्जे में है । आशा है इस संबंध में राजनैतिक नैतिकता के प्रश्न पर स्वयं विचार करेंगें ।

हरियाणा के मुख्यमंत्री के विरुद्ध लगाये गये अपराधों की भी यहां चर्चा हुई है । इन अपराधों के तथ्यों की सभी सदस्यों को पूरी जानकारी है । 16 मई, 1969 और जुलाई 1969 में हमें कुछ ज्ञापन प्राप्त हुए थे जिनमें लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं हुये । 27 अक्तूबर, 1971 को प्राप्त एक अन्य ज्ञापन पर कार्यवाही चल रही है और आरोपों की छानबीन हो रही है । प्रधानमंत्री को भी कुछ संसद सदस्यों ने ज्ञापन भेजे हैं जिसे हरियाणा के मुख्यमंत्री की टिप्पणी के लिये भेज दिया गया है । हर आरोप की छानबीन के लिये आखिर कुछ समय लगता है ।

श्री वीरेन्द्र पाटिल, श्री निजलिंगप्पा तथा श्री बन्दोदकर के विरुद्ध दिए गए ज्ञापन अभी विचाराधीन है अतः इस मामले में राजनीतिक उद्देश्यों को लाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

जहां तक पंजाब का प्रश्न है उस समय मंत्री महोदय कार्यालय में उपस्थित नहीं थे। राज्यपाल के कागजों की जांच की है और उसी के आधार पर एक जाँच कमीशन की नियुक्ति इस बारे में की जाएगी।

माननीय सदस्य श्री ज्योतिर्मय बसु ने इस सम्बन्ध में एक लम्बा भाषण दिया है तथा चुनावों के बारे में बहुत कुछ कहा है। प्रजातंत्र में उनकी इतनी आस्था है इसका मुझे पता नहीं था। किसी भी व्यक्ति या दल का प्रजातंत्र में कितना विश्वास है इस बात का पता उस व्यक्ति या दल की हार जीत से लगाया जा सकता है। उन्हें हार जीत को एक समान रूप में स्वीकार करना चाहिए। जब उनका दल सतारूढ़ था तो वह हिंसा का उपयोग करने आतंक फैलाने और डराने धमकाने से कभी भी नहीं हिचकिचाया साथ ही प्रशासनिकतंत्र और पुलिस में अपने लोगों को आगे लाया और आज जब जनता ने उनको इस कारण सतारूढ़ होने से इन्कार कर दिया है तब यह लोग निराश हो गए हैं और उनकी राजनीतिक योजनाएं विफल हो गई हैं। इनकी निर्णायक कसौटी बहुत साधारण है यदि यह जीत जाते हैं तो इन्हें चुनाव उचित और निष्पक्ष लगते है किन्तु यदि यह हार जाते हैं तो इन्हें चुनाव अनुचित प्रतीत होते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु ने आसूचना (इंटेलिजस) ढाँचे के विरुद्ध भी बहुत कुछ कहा है। उन्हें यह स्मरण रखना चाहिए कि देश में आज भी आसूचना तंत्र की आवश्यकता है क्योंकि देश में कुछ ऐसे तत्त्व है जो लोकतंत्र को नष्ट करने में विश्वास रखते है और ऐसे भी तत्त्व हैं जो सरकार को समाप्त करने और साम्प्रदायिक शांति को भंग करने का प्रयास करते रहते हैं। यद्यपि हमारे यहां पृथक न्यायपालिका है फिर भी आसूचना तंत्र की आवश्यकता को कम नहीं समझा जा सकता है।

पहले जब कभी इनका दल पश्चिम बंगाल या अन्य स्थानों पर हिंसा करने का निर्णय लेता था तो वह अपना निशाना केन्द्रीय आरक्षित पुलिस सीमा सुरक्षा बल अथवा कानून एवं व्यवस्था स्थापित करने वाली एजेंसियों को बनाता था लेकिन अब ऐसा लगता है कि इनका निशाना बदल गया है और इन्होंने अपनी दृष्टि आसूचना तंत्र पर केन्द्रित कर दी हैं। हम उनके दल से इस सम्बन्ध में आश्वासन चाहते हैं कि वह भविष्य में ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करेंगे जो कानून एवं व्यवस्था के विरुद्ध हो।

श्री सत्यनारायण राव ने तेलंगाना का उल्लेख किया है। वे जानते हैं कि पहले ही इस सम्बन्ध में काफी कुछ कार्यवाही हो चुकी है और इन विकासोन्मुख उपायों के परिणामस्वरूप जहाँ शेष राज्य में 87.9 प्रतिशत व्यय हुआ है वहाँ तेलंगाना में 97.5 प्रतिशत व्यय हुआ है। अब 1971-72 में शेष राज्य के लिए 69.1 प्रतिशत व्यय किया गया है जबकि तेलंगाना में व्यय की गई राशि 71·6 प्रतिशत है इससे पता चलता है कि विकास के लिए तंत्र की स्थापना हो चुकी है और कार्यान्वियन को सुनिश्चित करने के लिए यह तंत्र काम कर रहा है।

मुल्की नियमों को फिर से लागू करने के लिए राज्य सरकार का उच्चतम न्यायालय में एक अपील दायर करने का विचार है। जब एक बार राज्य सरकार अपील दायर कर देती है तो हमें इस मामले में आगे कार्यवाही करने के बारे में निर्णय करने से पूर्व उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए अतः यह कहना कि सरकार इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर रही है उचित नहीं है। हम स्वयं तेलंगाना की बेरोजगारी की समस्या के विषय में चिंतित है तथा चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान किया जाए। आंध्र प्रदेश सरकार इसके लिए स्वयं प्रयत्नशील है।

चुनावों में हिंसा के सम्बन्ध में कुछ उल्लेख किया गया है। 1967 से पूर्व देश में चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हुए थे। 1967 में हिंसा और अन्तर दलीय भिड़न्ते हुई और यही प्रतिक्रिया 1971 तक होती रही और लोकसभा के मध्यावधि चुनावों में तो 258 व्यक्ति हिंसात्मक घटनाओं में मारे गए लेकिन हाल के चुनावों में यह प्रवृत्ति नहीं रही है। यह सोचना पूर्ण रूप से गलत है कि चुनाव हिंसात्मक वातावरण में हुए थे। कुछ क्षेत्रों में हिंसा की वारदातें हुई हैं परन्तु हम आशा करते हैं कि संबन्धित राज्य सरकारें इनसे स्वयं निपट लेंगी। सरकार चुनावों में हिंसा रोकने के लिए कानून के उपबन्धों को और शक्तिशाली बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है। किन्तु हम अपने उद्देश्यों में तभी सफल हो सकते हैं जब सभी राजनीतिक दल इसमें सहयोग दें। यदि हम देश में प्रजातंत्र बनाए रखना चाहते हैं तो हमें इस समस्या की ओर विशेष रूप से ध्यान देना होगा।

श्रीमती जोशी तथा कई अन्य माननीय सदस्यों ने साम्प्रदायिक हिंसा का उल्लेख किया है। गत वर्ष में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे साम्प्रदायिकता को बढ़ावा मिला है। जम्मू से हमारे एक विमान का अपहरण करके पाकिस्तान ले जाया गया। लोकसभा के चुनावों में साम्प्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देने के प्रयत्न किए गए। बंगला देशवासियों पर पाकिस्तानियों के अत्याचार तथा बड़ी संख्या में शरणार्थियों के आगमन का भी प्रभाव साम्प्रदायिकता पर पड़ा है ? किन्तु हमारे लोगों ने जिस साहस से इन सभी बातों का सामना किया वह प्रशंसनीय है। उन्होंने साम्प्रदायिकता की आग को भड़कने नहीं दिया। हमारा प्रशासन भी इस सम्बन्ध में सभी स्तरों पर सतर्क है। सरकार साम्प्रदायिक हिंसा की समस्या के साथ निपटाने के लिए कृतसंकल्प है और इस खतरे को समाप्त करने के लिए राज्य सरकारें हर सम्भव प्रयत्न कर रही है। सरकार ने विशेष न्यायालयों की स्थापना की है तथा दंगों सम्बन्धी मामलों की शीघ्र सुनवाई हेतु कई विधायी प्रस्ताव तैयार किए हैं। प्रस्ताव शीघ्र ही संसद के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे। सरकार जानती है कि साम्प्रदायिक संगठनों की गतिविधियों से हमारी धर्मनिक्षेप नीति को गंभीर खतरा पैदा हो गया है, और इसीलिए सदन को याद होगा इस सम्बन्ध में सितम्बर 1970 में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था किन्तु विरोधी दलों की आपत्तियों के परिणामस्वरूप उसको पहली अवस्था में ही वापिस ले लिया गया था। किन्तु हमारा इसे संशोधित रूप में प्रस्तुत करने का विचार है।

नक्सलवादियों के सम्बन्ध में स्थिति न केवल पश्चिम बंगाल में अपितु बिहार, पंजाब और आंध्र प्रदेश में भी काफी सुधर गई है। यही कारण है कि इस विषय पर सदन में इस बार चर्चा

नहीं हुई । सरकार शरारत करने वालों की क्षमता से पूर्णतया परिचित हैं और वह इस मामले में काफी सतर्क है । लोग भी इस सम्बन्ध में काफी जागरूक हो गए हैं और वह अपनी शान्ति को इन तत्वों के माध्यम से भंग नहीं होने देना चाहते हैं । सरकार भी इस बारे में संकुचित दृष्टिकोण नहीं अपना रही है ।

हमें पता चला है कि कुछ नवयुवक जो नक्सलवादियों तथा अन्य उग्रवादियों की बुरी संगत में चले गए थे, अब असंतुष्ट हैं । अतः बंगाल सरकार अब सामाजिक आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के उपाय कर रही है । हम भी उस समस्या की जड़ तक पहुंचना चाहते हैं और बंगाल सरकार की सहायता करना चाहते हैं । विभिन्न मंत्रालयों ने इस सम्बन्ध में कई योजनाएं तैयार की हैं ।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल तथा न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा हाल ही में इस बारे में दिए गए निर्णय का उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस अधिनियम संविधान के उपबन्धो के विरुद्ध है । इस बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि यह आदेश उस समय लागू होगा जबकि इसके जारी किए जाने की तिथि के बाद बारह सप्ताह का समय व्यतीत हो जाएगा ।

कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्णय प्राप्त होते ही हम इस बात की जांच करेंगे कि इसे किस आधार पर अवैध घोषित किया गया है तथा इस मामले में उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी ।

केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है । इसने राज्य सरकारों तथा सेना की बहुत सहायता की है । जब कभी भी राज्य सरकारों को कानून एवं व्यवस्था स्थापित करने के सम्बन्ध में कुछ कठिनाई हुई है केन्द्रीय आरक्षित पुलिस ने हमेशा उनकी सहायता की है ।

हाल के संकट में यह पुलिस सीमाओं की रक्षा में भी बड़ी सहायक रही है । चुनावों के दौरान भी इसकी सहायता ली गई ।

श्री दण्डपाणि, श्रीमती कौल और श्रीमती बनर्जी ने पुलिस दल के आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में प्रश्न उठाए हैं । सरकार राज्य सरकारों को अपने कानून तथा व्यवस्था तंत्र का आधुनिकीकरण करने में सहायता देने को स्वयं उत्सुक है । राज्यों को अपने पुलिस बल के गैर राजपत्रित कर्मचारियो के लिए मकान बनाने के लिए अब तक लगभग 45 करोड़ रुपए दिए गए है । वर्तमान बजट में इस उद्देश्य के लिए 4 करोड़ रुपये की राशि नियत की गई है ।

दूसरी बड़ी योजना विधि चिकित्सा विज्ञान प्रयोगशालाओं; उंगलियों के निशान पहचान ने के सम्बंध में ब्यूरो, संचार की बेहतर सुविधाएं तथा तुरन्त कार्यवाही इत्यादि की व्यवस्था में राज्य सरकारों को सहायता देने की है । यह योजना 1969-70 में 50 लाख रुपये की राशि से शुरू की गई है और 1970-71 में यह राशि बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दी गई है तथा पिछले वर्ष इसे 7 करोड़ रुपये कर दिया गया है । राज्य सरकारें स्वयं आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में योजनाएं बनाती हैं और हम भी यही कोशिश करते हैं कि सभी राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में अधिकाधिक सहायता प्रदान की जाए । तीसरी योजना चम्बल घाटी जैसे कठिन क्षेत्रों के लिए विशेष सहायता देने की है जिसके

बारे में सभा में कई बार प्रश्न उठाए गए हैं। राज्यों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करने के अतिरिक्त अन्य भी कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इनमें से केन्द्रीय पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो है। इसकी स्थापना एक वर्ष की गई थी। इसका उद्देश्य राज्य सरकारों की, प्रौद्योगीकी संचालन तकनीकों तथा सिंचाई इत्यादि विविध क्षेत्रों में आधुनिक अनुसंधान तथा विकास परिणाम उपलब्ध कराना है। हाल में राज्य पुलिस दलों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को विधि चिकित्सा विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में प्रशिक्षण देने के लिए एक केन्द्रीय विधि चिकित्सा विज्ञान तथा अपराध विज्ञान संस्थान स्थापित किया गया है।

केवल उपकरणों को जुटा देने से हम उस ढंग के पुलिस दल की स्थापना नही कर सकते जैसाकि हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग पुलिस को अपना मित्र समझें। पुलिस कर्मचारियों के प्रशिक्षण सम्बन्धी सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा एक उच्च शक्ति प्रशिक्षण समिति नियुक्त की गई है क्योंकि प्रशिक्षण स्तर पर पुलिस कर्मचारियों के व्यक्तित्व को एक विशेष रूप देने का प्रयत्न किया जाता है।

इस वर्ष 15 अगस्त को देश में स्वतन्त्रता की 25वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। कई सदस्यों ने इस अवसर पर स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए पेंशन देने का सुझाव प्रस्तुत किया है। इस विषय पर मैं पहले अपने विचार प्रकट कर चुका हूं। हम चाहते हैं इस वर्ष न केवल समारोह ही मनाया जाए अपितु ऐसे कार्य भी किए जाएं जिनसे लोगों को स्थायी तौर पर लाभ प्राप्त हो। जीवन स्तर को बढ़ाने तथा वातावरण को उचित बनाने पर अधिक जोर दिया जाएगा। 14 अगस्त, 1972 की आधी रात को आराम होने वाले वर्ष में विभिन्न प्रदर्शनियों, विचार गोष्टियों तथा स्मारकों इत्यादि के माध्यम से आत्म निर्भरता, सामाजिक न्याय और आर्थिक वृद्धि की दिशा में प्रगति प्रतिबिम्बित की जाएगी तथा उसी रात संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में जन सेवा के लिए प्रतिज्ञा की जाएगी। युवकों के लिए अनेक कार्यक्रमों का प्रस्ताव है क्योंकि यही देश के भावी निर्माता हैं।

———

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILL AND RESOLUTION

सोलहवां प्रतिवेदन

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा (कछार) : मैं प्रस्ताव करती हूं। "कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 12वें प्रतिवेदन से जो 19 अप्रैल, 1972 को सभा में प्रस्तुत किया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा

संकल्पों सम्बन्धी समिति के 12वें प्रतिवेदन से, जो 19 अप्रैल, 1972 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

साम्प्रदायिक अर्ध सैनिक संगठनों के बारे में संकल्प—जारी

RESOLUTION RE : COMMUNAL PARA MILITARY ORGANISATIONS—CONTD

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में अब श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा के संकल्प पर विचार होगा। इसके लिये दो घण्टे नियत किए गए थे जिसमें से 25 मिनट समाप्त हो चुके हैं। शेष 1 घण्टा 35 मिनट बचे। श्री बाजपेयी अपना भाषण जारी रखे।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Mr Deputy Speaker, sir I oppose the resolution introduced by shri Inder J. Malhotra. The resolution calls upon the Government to take immediate steps to ban eommunal para-military organisations in the country. I want to know whether the mover of the resolution do not want to ban those para-military organisations which are not communal and communal organisations which are not para-military. The resolution represents a misconceived approach to the problem of communalism.

What is communal and what is not communal this question has been raised many a time. Muslim League in Kerala is not communal because it is partner in the Government with the ruling party. Outside Kerala Muslim League is communal because it is going against the ruling party and is some states opposing it.

A lot of discussion has been done about Jamait-i-islami. I want to know what is Jamiat-ul-ulema. To be there does not seem to be any difference in the thinking of Jamait-i-islami and Jamiat-ul-ulema. Both have one aim. But Jamiat-ul-ulema is connected with the congress party therefore it is not communal whereas Jamait-i-islami is communal as it opposes the congress (R).

[**श्री का० ना० तिवारी पीठासीन हुए।**
Shri K. N. Tiwari *in the chair*]

Sir, I want to know whether the ruling party is free from communal feelings. In 1916 the congress at their Lucknow Session accepted separate electorate on communal bases. The partition took place in 1947 but its foundation was laid in 1916 at Lucknow. Khilafat movement also helped in spreading communalism.

Take the case of Jamait-ul-ulema. Jamait-ul-ulema wants to establish a pure Islamic Government in India. They consider India as the country of enemy. This fact has been clearly stated in their book Maqtabat-Shaikhul Islam. Maulana Hussain Ahmed Madni who was a freedom figher has also said clearly that they want to establish a pure Islamic Government in India. May I khow is it not communalism to talk of as Islamic Government in India because they are a fit connected with congress (R). Why donot the ruling party calls Jamiat-ul-ulema a communal body ?

In India certain sections of people did not like our helping Bangla Desh in the attainment of Independence, But on the other hand the ruling party brought out a poster in the recent elections to appease these people. In this poster it was stated that the Government of India has liberally helped a Muslim country in attaining independence. Posters also referred to India's relation with Indeonesia and Arab countries. Bangla desh proclaims itself

to be a secular country but our ruling party has told the Muslims that Bangla Desh is a Muslim country. Have we helped Bangla Desh because it is a Muslim country. Bangla Desh being a Muslim country can be secular. Can't India being a Hindu country be a secular state ? These cannot be two separate yardsticks to determiue communalism.

It should be decided as what is communalism and who are communals. This question cannot be decided on political basis. An impartial commission can only decide the question.

No resolution is comming regarding fundamental rights, unemployment allowances etc. but resolution are being discussed here for declaring communal organisation illegal. It shows that there is no other work before the Government.

R.S.S. was once declared illegal but again it was made legal. R.S.S, was founded by Dr. Hedgewar who was a congressman and organised the young congress volunteers at the time of Nagpur session of the congress in 1920. Sardar Patel said that R.S.S. men are not theives and decoits. They are patriots who love their couniry. In 1962 after the chinese invasion R.S.S. was invited for a parade which was led by Pandit Nehru. In 1965 Shri Lal Bahadur Shastri also invited Shri Golwalkar, when he called for all party leaders for discussion at the time Pakistani invasion. They were needed at the time of a danger and now they are being treated as communals. Legislation cannot end communalism. The creation of Minority Board will not minimise communalism. I predict that it will rather increase this feeling in India.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतुल) : श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने अपने ओजस्वी भाषण के द्वारा इस संकल्प का विरोध करने के अपने प्रयत्न में साम्प्रदायिकता का हमसे भी कहीं अधिक कठोर शब्दों में खण्डन किया क्योंकि वे एक दल जमायत-उल-उलेमा का खण्डन करना चाहते थे ।

[श्री आर० डी० भण्डारे पीठासीन हुए]

Shri R. D. Bhaudari *in the chair*

यदि हम इस बात पर एक मत हो जाते हैं कि साम्प्रदायिकता भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एक खतरा बन गया है तो क्या वे इस संकल्प के पक्ष में मत देंगे ।

यदि यह स्वीकार कर लिया जाए कि साम्प्रदायिकता एक ऐसी विपत्ति है जो इस देश की धर्म निर्पेक्षता की नीति कों गम्भीर रूप से चुनौती दे रही है और यह समूचे राष्ट्र के अस्तित्व के लिए भी एक खतरा है तो यह उचित समय है कि हम यह पता लगाने के लिए एक संतुलित तथा वास्तविक दृष्टिकोण तैयार करें कि इसका मूल कारण क्या है ।

गाँधी जी की हत्या के समय एक अर्ध-सैनिक संगठन के प्रति सारा देश रोश से भर गया था । यद्यपि उस संगठन ने स्वयं को इस अपराध का अपने को दोषी नहीं बताया था परन्तु उसने अपने उन सिद्धान्तों को कभी नहीं छोड़ा जिनके कारण गाँधी जी की हत्या हुई । बाद में कुछ ऐसी घटनाएं हुई और इस संगठन को फिर से मान्यता प्रदान कर दी गई । मेरा यह निश्चित मत है कि ऐसी संस्थाओं अथवा संगठनों को केवल अपराध सम्बन्धी कानूनों में संशोधन करने से समाप्त नहीं किया जा सकता । इस सम्बन्ध में जनमत बनाना बहुत आवश्यक है । हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि इस समस्या को सदा के लिए समाप्त कर दिया जाए ।

***श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** (औसग्राम) : हमारे स्वतन्त्रता संग्राम को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों ने साम्प्रदायिकता की भावना को देश में भड़काया तथा हमारी कमजोरी का लाभ उठाया।

बंगला में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

बंगला दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

Summanised translated version based on translation of the speech delivered in Bangali.

और यह उसी कमजोरी का फल हुआ कि देश दो भागों में बट गया। इतना ही नहीं इस साम्प्रदायिक भावना ने समय समय पर हमारी उन्नति को हमेशा धक्का पहुंचाया है और ये शक्तियाँ देश में अभी भी सक्रिय हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आज भी ब्रिटिश और अमरीकी साम्राज्यवादियों ने सी० आई० ए० और अन्य संगठनों के माध्यम से देश में साम्प्रदायिक भावनाओं को प्रोत्साहन देते आ रहे हैं ताकि हमारी प्रगति में बाधा पड़ें। आज जबकि श्रमिक वर्ग, किसान और गरीब लोग अपनी स्थिति में सुधार करने के लिए कड़ा परिश्रम कर रहे हैं तो पूंजीपति लोग उनके संघर्ष में रुकावट डालने और उनके प्रयासों को विफल करने के लिए इन साम्प्रदायिक संगठनों तथा अर्ध सैनिक संगठनों का प्रयोग कर रहे हैं। देश में समाजवादी समाज की स्थापना करने लिए इन सभी संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। आज आवश्यकता है कि हमें देश में ऐसा राजनीतिक वातावरण तैयार करना चाहिए जिससे कि इस प्रकार की भावना को बल न मिले।

इस प्रकार के संगठनों पर केवल प्रतिबन्ध लगाने मात्र से यह समस्या हल नहीं होगी क्योंकि वे गैर-कानूनी तौर पर भी सक्रिय रह सकती हैं। अतः हमें इन संगठनों के विरुद्ध कठोर कार्यवाई करनी चाहिए जिससे कि ये देश की राजनीति को प्रभावित न कर सकें।

Shri Satpal Kapur [Patiala] : If is really a very bad state in the country that even after 25 years of independence communal forces are stile actiue in the country. They are spreading communal hatred in the country which is very harmful. These Communal and religions organisations are stumbling blocs in the path of couutriye's progress. They should be eradicated.

Capitalists want that these communal perties and organisation should florish so as to achieve their ends.

These R. S. S people are poisoning the minds of our youtys by telling them that Hindu are supreme in India and the others including Harijans are their slales. In this way they are misleading our youngmen.

These communal organisations are puting hindrances in the advancement of the country.

Under the circumstances prevailing in the country at present it is necessary to have all these organization ; though enactment of any Act cannot solve this problem. With these words I support the resolution.

Shri Vasantrao Purushottam Sathe [Akola] : Sir, through the Jan Sangh leaders do not admit but it is a recognized fact that R. S. S. is a para-military communal organisation. There is also no poubt in this fact also that R. S. S. has given certain good ideas. But I want to draw the attention of this House towards a very unfortunate thing that unfortunate thing is that after singing training in the name of sports etc. Dr. Hedgəwar used to put the narrow idea of Hindu nationalism and hatred towards muslims and others in the mihds of young people of the country. They did not took any part in 1942 movement. In my opinion this idiology is its main cause of the creation of Pakistan.

It is not the Hindu nationalism but the congress which has Pakistan burried the ideas of Pakistan in Bangla Desh. Any organisation professing and practising commvnalism and religion should be banned.

With these words I support the resolution.

real face at R. S. S. which neither claims to be religious nor cultural, can not be identified. The R. S. S. has put forward the principle of Indianism wiih its anti-Indian understanding. According to Shri Golwalkar Jews and Parsies are our guests and Christians and Muslims are aggressors. In this way R. S. S. is restricting the circle of our nationalism. The R. S. S. is an anti-Indian organisation leading the country towards disintegration...we can only think of removing poverty if we succeed in curbing stich organisations.

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : श्री वाजपेयी ने साम्प्रदायिकता का दमन करने की बात को तो स्वीकार किया है लेकिन उनके विचार में साम्प्रदायिकता केवल मुसलमानों के बीच है, हिन्दुओं के बीच नहीं। वाजपेयी जी समझते हैं कि जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ साम्प्रदायिकता नहीं फैला रहे हैं।

श्री वाजपेयी ने मौलाना मदनी के कुछ लेखों का उल्लेख किया है। मुझे अरबी, फ़ारसी या उर्दू भाषा का विशेष ज्ञान नहीं है। यदि उन्होंने इसकी अपेक्षा गीता या संस्कृत साहित्य का कोई उद्धारण दिया होता तो मैं निश्चय ही उन्हें अधिक उचित उत्तर दे पाता। साम्प्रदायिकता चाहे कहीं भी या किसी भी दल में हो वह निंदनीय है। साम्प्रदायिकता को बढ़ावा मिलने का एक कारण यह भी है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व यहां विभिन्न धर्मों के आधार पर विभिन्न मतदाता हुआ करते थे। साम्प्रदायिकता के कारण ही हमारे देश का बटवारा हुआ है। अगर अब भी सम्प्रदायिकता पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई जाती तो देश को इससे और किसी बड़ी हानि होने की संभावना भी हो सकती है।

कुछ सदस्यों ने बंगला देश की स्वतन्त्रता का उल्लेख करते हुए कहा है कि एक अन्य मुस्लिम देश की स्थापना हो गई है। मैं उन्हें यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बंगला देश मुस्लिम बहुसंख्यक होते हुए भी धर्म निरपेक्ष देश है। हमारी धर्म निरपेक्षता की नीतियों के फल-स्वरूप ही आज बंगला देश का उदय हुआ है। जब बंगला देश से 100 लाख शरणार्थी भारत आये थे तो हमारे कुछ मित्रों ने यह पूछना आरम्भ कर दिया था कि इनमें से कितने हिन्दू और कितने मुसलमान हैं? परन्तु भारत ने सदा ही बंगला देश में होने वाले अत्याचारों को मानव और मानवीयता पर होने वाले अत्याचार के रूप में लिया था। इसलिए तो बंगला देश स्वतन्त्र हो सका है। केवल साम्प्रदायिकतावाद के कारण ही आज पाकिस्तान के टुकड़े-टुकड़े हो गये हैं। अतः मैं साम्प्रदायिकता में विश्वास रखने वाले अपने मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं कि अब समय आ गया है जबकि उन्हें पाकिस्तान से सबक सीखना चाहिए। साम्प्रदायिकता का त्याग ही देश में विकास की ओर अग्रसर कर सकता है।

हमारे देश के सामने बहुत सी विकट समस्यायें है। हमें एक ऐसे समाजवाद की स्थापना करनी है जहां गरीब और अमीर को बिना किसी भेदभाव के समाज में समान सम्मान प्राप्त हो। उनमें धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न रहे। हम एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं लिसमें सभी लोग सच्चे मानव के रूप में रह सके। श्री वापेयी जी ने भी अपने भाषण के दौरान यही कहा है कि यह राष्ट्र सब का है। यदि उन्होंने यह बात पूरी ईमानदारी से कही है कि सभी लोगों को समान ब्यवहार प्राप्त होना चाहिए तो यह निश्चय ही सराहनीय है।

श्री. जे. एम. गीडर (नीलगिरि) : श्रीमन् सत्तासूढ़ कांग्रेस के माननीय सदस्य द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्थापित किया गया है वह यद्यपि प्रशंसनीय है, फिर भी

मेरी समझ में यह नहीं आता कि सरकार इन वर्षों में अर्ध सैनिक संस्थाओं पर पाबन्दी लगाने के लिये क्यों संकोच करती आ रही है। यदि इन इन अर्ध-सैनिक शक्तियों से कोई आन्तरिक खतरा है, तो इन पर अवश्य पाबन्दी लगनी चाहिये। यदि अभी हाल के भारत-पाक युद्ध तथा 1962 के चीनी आक्रमण के दौरान इन अर्ध-सैनिक शक्तियों ने उपद्रव मचाया तो इन पर सन 1962 के आसपास क्यों पाबन्दी नहीं लगायी गयी? अब इन पर पाबन्दी लगाने की क्या जल्दी है, मेरी समझ में यह नहीं आया।

देश में विभिन्न धर्मों को सरकार की गलत नीतियों से शक्ति मिली है। आज भी यहां हिन्दु विश्वविद्यालय तथा मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थापित हैं।

चुनावों में अब तक क्या होता रहा है? सत्तारूढ़ दल उक्त विशेष धर्म, सम्प्रदाय अथवा जाति के उम्मीदवार को चुनाव के लिए चुनते आ रहे हैं, जो उक्त निर्वाचन क्षेत्र में बहुमत में हो। क्या यह सत्तारूढ़ कांग्रेस दल द्वारा देश में जातिवाद, साम्प्रदायिकता अथवा धार्मिक कट्टरता को प्रोत्साहन देना नहीं है? यदि आप किसी पर पत्थर बरसाते हैं तो आपको इसकी प्रतिक्रिया के लिए भी तैयार रहना चाहिए। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। आजादी के बाद काँग्रेस सरकार गलती पर गलती करती आ रही है। प्रतीत होता है कि सरकार को अपनी गलती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है।

विभिन्न धर्मों के मंदिरों के अन्दर यदि शस्त्र, बारूद, बन्दूकें, तलवारें तथा बर्छे, भाले मिले तो आप क्या करेंगे? मंदिरों को विभिन्न धर्मों के वर्ग चलाते हैं। क्या आप इस प्रकार प्रवृत्तियों को रोकने के लिए कोई कानून नहीं बना सकते?

आप भारत सुरक्षा नियम के अधीन खतरा पैदा करने वाली अर्ध सैनिक संस्थाओं के विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं। आखिर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक मच्छर की तरह है। क्या आप इसके लिए कानून बनाना चाहते हैं? मैं नहीं समझता कि सरकार कानून द्वारा इन शक्तियों का दमन कर सकेगी यह एक सामाजिक समस्या है और सामाजिक स्तर पर ही इसका समाधान किया जाना चाहिये। सरकार को इन समस्याओं पर ध्यान देकर, आवश्यक हो तो, एक सार्थक कानून बनाना चाहिए।

Shri Bhogendra Jha (Jainagar): Traditionally we have not been banning the religious beliefs through law. According to Shri Vajpayee this resolution aims at hitting the R. S. S. only. This resolution is not meant to curb the para-military voluntary organisations which are not communal.

[**श्री का० ना० तिवारी पीठासीन हुए।**
Shri K. N. Tiwari *in the chair*]

The Jan Sangh, which is both political and communal party need not be banned because public is there to accept or reject it through democratic means. However, the

तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

Summerised translated veasion based on English translation of the speech delivered in Tamil.

3 अप्रैल, 1948 को भारत की संविधान सभा ने एक प्रस्ताव पारित करते हुए यह बात पूर्णतया स्पष्ट कर दी थी कि लोकतन्त्र के सुचारु रूप से कार्य करने के लिए तथा राष्ट्रीय एकता व अखंडता बनाये रखने के लिए देश के राष्ट्रीय जीवन में साम्प्रदायिकता को समाप्त करना अनिवार्य है। उस समय के अपराध कानून संशोधन अधिनियम 1908 के अन्तर्गत राजनीति में भाग लेने वाले या हिंसात्मक गतिविधियों में भाग लेने वाले साम्प्रदायिक संगठनों के विरुद्ध कार्यवाही करना बहुत आसान कार्य था परन्तु संविधान के लागू हो जाने के बाद यह कार्य कुछ अधिक कठिन हो गया है। इसी अधिनियम के अन्तर्गत सरदार पटेल ने ककसार जमात और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को गैर-कानूनी घोषित कर दिया था। 1970 में केन्द्रीय सरकार का विचार गैर-कानूनी गतिविधियों (निरोधक) अधिनियम, 1967, में संशोधन करने का था ताकि साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले संगठनों को इस अधिनियम के अन्तर्गत लाया जा सके। एक जाति विशेष से सम्बद्ध संगठन बनाना गैर-कानूनी है और हम समाज के विभिन्न लोगों के समक्ष भाषा, जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोगों के विरूद्ध सरकार कार्यवाही कर सकती है। इसी प्रकार की शक्ति सरकार को देने के लिए ही यह विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया था परन्तु यह खेद की बात है कि उस समय मेरे मित्रों ने इसे समझने में भूल की। इस समय स्वतन्त्र दल जनसंघ के साथ-साथ साम्यवादी दल, साम्यवादी मार्क्सवादी दल और कांग्रेस (संगठन) ने भी इसका विरोध किया था। इन सब के विरोध को देखते हुए सरकार ने उस समय यह विधेयक प्रस्तुत करना कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया था। अब लोगों ने फिर इस विधेयक की आवश्यकता को समझा है।

श्री वाजपेयी जी ने कहा है कि हमें इसके साथ लोक स्तर पर लड़ना चाहिए। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह लड़ाई लोक स्तर पर ही रही है। लोगों ने स्वयं ही साम्प्रदायिक संगठनों का उन्मूलन कर दिया है। कानून तो केवल लोगों की भावनाओं का प्रतिरूप ही होता है। हम लोगों को दिये गये आश्वासनों को पूरा करने के लिए ही यह सब कुछ किया जा रहा है।

यह संतोष की बात है कि साम्प्रदायिक घटनाओं में कमी होती जा रही है। वर्ष 1970 में ऐसी घटनायें 521 हुई थीं परन्तु 1971 में होने वाली घटनाओं की संख्या केवल 320 ही रह गई थी। परन्पु साम्प्रदायिक तत्व अभी भी देश में विद्यमान हैं··· **(व्यवधान)**

श्री पन्त जी पहले ही यह बात कह चुके हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की सिफारिशों के आधार पर वह एक विधेयक पुरस्थापित करने वाली है। यह विधेयक शीघ्र ही और सम्भवतः इसी अधिवेशन में पेश कर दिया जायेगा। मैं संकल्प के उद्देश्य और सिद्धांत से पूरी तरह सहमत हूं परन्तु साथ ही साथ यह भी मेरा मत है कि संकल्प को इस प्रकार स्वीकार करना हमारे लिए संभव नहीं है। मैं केवल सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि सदन में इस सम्बन्ध में जो भावनाओं व्यक्त की गई हैं, सरकार उनका स्वागत करती है और इस उद्देश्य का विधेयक प्रस्तुत करने के लिए वह सदन के समक्ष कटिबद्ध है। इन सब्दों के साथ हैं मैं संकल्प के प्रस्तावक से निवेदन करता हूं कि वह इस संकल्प को वापिस ले ले। हम यह विधेयक इसी सत्र में प्रस्तुत करने का भरसक प्रयत्न करेंगे।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूं। यह भी प्रसन्नता की बात है कि सदस्यगण साम्प्रदायिकता की समस्या के प्रति जागरूक हैं। मैंने अपने संकल्प में यह पूर्णतया स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जमायत-ए-इस्लामी, रजाकार, शिव सेना आदि साम्प्रदायिक और अर्द्ध सैनिक संगठन हैं। चर्चा के दौरान श्री वाजपेयी जी का नाम वार-बार लिया गया है परन्तु उन्होंने स्वमं अपने वक्तव्य में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। राष्ट्रीय स्बयं सेवक संघ ने 1947 में जो कुछ किया वह हमारे समक्ष है और वह अब जो कुछ कर रहा है उसे भी हम देख रहे हैं। हमें यह भी मालूम है कि इस संगठन का भावी कार्यक्रम क्या है। इसी प्रकार के मुस्लिम साम्प्रदायिकता वादी संगठन भी है। इस प्रकार के संगठन हमारे देश की आर्थिक प्रगति की राह में आने वाली बाधायें हैं। हम इस प्रकार के सभी संगठनों की निन्दा करते हैं।

मंत्री महोदय ने फरमाया है कि संकल्प को स्वीकार करना उनके लिए कठिन है। क्या मैं जान सकता हूं कि उन्हें यह स्वीकार करने में क्या कठिनाई है। मैंने इस तथ्य पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है कि देश में कार्यरत यह तीनों संगठन बहुत खतरनाक है और उनसे उत्पन्न होने वाले खतरे का मुकाबला करने के लिए वैधानिक कार्रकारी तथा अन्य सभी प्रकार के संभव उपाय किये जाने चाहिए। यह प्रसन्नता की बात है कि सरकार ने इस खतरे को स्वीकार कर लिया है और श्री पन्त द्वारा शीघ्र ही इस सम्बन्ध में एक विधेयक सदन में प्रस्तुत करने की घोषणा की गई है।

चर्चा के दौरान यह उल्लेख किया गया था कि देश के बटवारे के लिए स्वयं कांग्रेस दल के ही कुछ लोग उत्तरदायी हैं। यदि ऐसे लोग कांग्रेस दल या मेरे अपने ही दल में हैं, तो भी मैं उनकी निन्दा करता हूं। मेरे मित्र ने ठीक ही कहा है कि देश के बटवारे का मुख्य कारण साम्प्रदायिकता ही थी, इसी सिद्धांत पर ही दो राष्ट्रों की नीति आधारित हुई थी।

श्री जोशी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के वातावरण में पले हैं। इसलिए वह संकुचित विचार रखते हैं।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : मुझे अपने संघ के कार्यों पर गर्व है।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : मुझे विश्वास है कि बंगला देश की स्थापना और विकास से धर्म निर्पेक्षता की नीव मजबूत होगी। मुझे यह भी आशा है कि इन बदली हुई परिस्थिति का प्रभाव बचे हुए पाकिस्तान पर भी शीघ्र पड़ेगा।

मैं सरकार से कानूनी कार्यवाही करने का आग्रह करता हूं। साम्प्रदायिकता को रोकने के लिए अन्य कार्यवाहियां भी की जानी चाहिए।

क्योंकि सरकार ने इस सम्बन्ध में विधेयक इसी सत्र में रखने का आश्वासन दिया है, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्यां 3 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment was put and negatived.

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य को संकल्प बापस लेने की अनुमति है ।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां ।

संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

The Resolution was, by leave, withdrawn

पंचवर्षीय योजना में दो और इस्पात कारखाने स्थापित करने के बारे में संकल्प

Resolution Re : establistment of two more steel plant during fifth Five Year

श्री बनमाली पटनायक (पुरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा सिफारिश करती है कि भारत सरकार इस्पात के उत्पादन और लौह अयस्क के विकास के लिए अधिक क्षमताओं का निर्माण करने के लिए पांचवी पंचवर्षीय योजना अवधि में दो और इस्पात कारखाने स्थापित करने के लिए तुरन्त और प्रभावी पग उठाये तथा उड़ीसा और मध्य प्रदेश की प्रौद्योगिक-आर्थिक सम्भाव्यता और इन क्षेत्रों के तुलनात्मक पिछड़ेपन के कारण इनमें से एक कारखाना उड़ीसा में और दूसरा कारखाना मध्य प्रदेश में स्थापित करे ।"

उड़ीसा में प्राकृतिक साधन पर्याप्त हैं और उसकी प्रति व्यक्ति औसत आय अखिल भारतीय औसत आय से कम है ।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में कोई कारखाना नहीं था जबकि वहां पर 800 करोड़ टन लौह आयस्क उपलब्ध है ।

अभी भी राज्य की अर्थ-व्यवस्था पुष्ट नहीं है और वहां पर परिवहन सुविधायें अपर्याप्त हैं ।

दूसरी योजना में रूरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई और हीराकुण्ड बांध परियोजना सम्पन्न हुई ।

आधुनिक भारत के निर्माता श्री जवाहर लाल नेहरू ने देश की प्रगति के दो पहलुओं का उल्लेख किया है, एक महिलाओं की स्थिति और दूसरा देश में निर्मित लोहा इस्पात और बिजली की मात्रा । इन दृष्टियों से भारत अभी भी पिछड़ा देश है ।

भारत खनिज साधनों की दृष्टि से विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है परन्तु कच्चे लोहे के उत्पादन में विकसित देशों की अपेक्षा अभी भी बहुत पीछे है । इस्पात के उपयोग की दृष्टि से भी भारत बहुत पिछड़ा हुआ है ।

लौह-आयस्क का उत्पादन आंध्र प्रदेश में 109,000 टन, बिहार में 5743,000 टन, मैसूर, 2814,000 टन, तथा उड़ीसा में 59,94,000 टन है । 74 करोड़ रुपए का लौह अयस्क का निर्यात होता है । खनिज लोहे में उड़ीसा का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है । इस सम्बन्ध में सरकार ने एक

समिति का गठन किया है। उसकी सिफारिशों के अनुसार तथा अन्य आधार पर सरकार ने तीन इस्पात कारखानों के निर्माण का निश्चय किया है जिनमें से एक विशाखापत्तनम में, एक होसपेट में और एक सेलाम में स्थापित किया जायेगा। इससे उड़ीसा के लोगों को बड़ी निराशा हुई है। हमारा इस्पात का उत्पादन तथा सम्भावित उत्पादन हमारी आवश्यकताओं से बहुत कम है।

सभी क्षेत्रों में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए भारत में इस्पात के उत्पादन पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इस्पात के बिना कोई प्रगति नहीं हो सकती है। अच्छे इस्पात के उत्पादन के सभी साधन देश में उपलब्ध हैं। प्रस्तावित नये कारखानों के चालू हो जाने पर भी इस्पात की कमी दूर नहीं हो सकती। उड़ीसा में लौह अयस्क निकट होने के कारण परिवहन व्यय बहुत कम पड़ता है। हमारे यहां रिफरेक्ट्रों की कमी है।

दस्तूर एण्ड कम्पनी द्वारा दर्शाए स्थानों पर भूमि कम मूल्य पर उपलब्ध है। उन्होंने विभिन्न संयंत्रों के उत्पादन व्यय भी दिये हैं। टिस्का का उत्पादन व्यय 1342 प्रतिटन, एण्डियन आयरन और स्टील कं० का व्यय 1131 रु०, रूरकेला का 2264 रु०, भिलाई का 1441 रु०, दुर्गापुर का 1721 रु० और बोकारों का 4460 रु० प्रति टन है।

पांचवी पंच वर्षीय योजना में अधिक रोजगारों की व्यवस्था की गई है। परन्तु इस्पात कारखानों जैसे बड़े कारखाने लगाये बिना अधिक रोजगार की व्यवस्था नहीं की जा सकती है। इसलिए मंत्री महोदय दो इस्पात कारखाने शीघ्र स्थापित करे। घोषित किये गये इस्पात कारखाने कई वर्षों से उत्पादन आरम्भ कर पायेगे। इन बातों को विचार में रख कर मैंने ही नये इस्पात कारखाने खोलने का प्रस्ताव रखा है।

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं : कि संकल्प में,

पंक्ति छः में, 'कारण' के पश्चात् यह अन्तःस्थापित किया जाये,

"उड़ीसा में नये इस्पात कारखाने के स्थान के सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत सम्भाव्यता प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद,"

श्री चिन्तामणि पणिग्राही (भुवनेश्वर) : इस विषय पर चौथी लोक सभा में तथा इस सभा में कई बार चर्चा हुई है।

हमें आशा है कि चौथी लोक सभा में दिये गये आश्वासनों को दो वर्षों में पूरा किया जा सकेगा। मैं मंत्री महोदय का ध्यान चौथी लोक सभा में उनके पूर्ववर्त्ती श्री भगत द्वारा दिये गये आश्वासनों की ओर दिलाना चाहता हूं।

इस वैज्ञानिक युग में इस्पात प्रगति का चिन्ह है। श्री भगत ने जुलाई, 1970 में आश्वासन दिया था कि उड़ीसा तथा अन्य राज्यों के इस्पात के क्षेत्र में उनके हितों पर पूरा विचार किया जायेगा।

उन्होंने यह भी कहा था कि उड़ीसा में स्थल के चयन का कार्य निश्चित रूप से चौथी योजना की अवधि में पूरा कर दिया जायेगा।

इस बारे में प्रश्न 30 मार्च, 71 को सभा में पूछा गया था जिसके उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया था कि आगामी दस वर्ष में इस्पात की मांग का अध्ययन किया जा रहा है। अतिरिक्त मांग का मूल्यांकन करने पर विभिन्न राज्यों में इस्पात संयंत्रों के सम्बन्ध में निश्चय किया जायेगा।

योजना आयोग ने 'दक्षिण-पूर्वीय क्षेत्र के स्रोतों के अध्ययन' पर एक रिपोर्ट तैयार की थी। परन्तु न जाने क्यों उसे अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है।

उक्त रिपोर्ट में कहा गया है कि इस क्षेत्र का क्षेत्रफल 135000 क्षेत्र मील है और वहां की जन संख्या 3.49 करोड़ है। जिसका 45 प्रतिशत अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जन-जातियां हैं।

दस्तूर एण्ड कम्पनी ने अपने अध्ययन के आधार पर कहा है कि नालागढ़ इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिए अत्यन्त उपयुक्त स्थान है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण अगले अवसर पर जारी रखें।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

दसवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं कार्य मंत्रणा संमिति का दसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

इसके पश्चात् लोक सभा 24 अप्रैल, 1972/14 वैसाख, 1894 (शक) के 11.00 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Monday, April 24, 1972/Vaisakha 4, 1894 (Saka)